

उत्तरवर्ती मुगल शासक

औरंगजेब की मृत्यु मार्च, 1707 ई. को अहमदनगर में हुई। उस समय उसके तीन पुत्र जीवित थे – मुअज्जम, आजम तथा कामबक्ष। औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध नहीं चाहता था। अतः उसने तीनों पुत्रों के लिए वसीयत लिखी थी, जिसमें मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया गया था, परन्तु राज्य के बंटवारे के बावजूद तीनों भाई उत्तराधिकार युद्ध में उलझ गए। अन्ततः मुअज्जम ने जून, 1707 ई. में जजाओं के युद्ध में आजम को तथा 1709 ई. में बीजापुर के सुद्ध में कामबक्ष को पराजित कर बहादुरशाह प्रथम की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा।

बहादुरशाह प्रथम (शाह-ए-बेखबर) : 1707-1712 ई.

बहादुरशाह प्रथम ने मेल-मिलाप की नीति अपनाई। उसने राजा जयसिंह (आमेर) तथा अजीतसिंह (मारवाड़) को शासक स्वीकार किया। छत्रसाल बुन्देला तथा चूड़ामल जाट के साथ मित्रता की नीति अपनाई। साथ ही मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दिया, किन्तु साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना।

बहादुरशाह ने गुरु गोविन्द के साथ भी संधि कर मेल-मिलाप करने की कोशिश की, परन्तु गुरु गोविन्द की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने विद्रोह का झंडा बुलांद किया। बहादुरशाह ने 1711 ई. में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान कर उसे पराजित किया, परन्तु 1712 ई. में बंदा बहादुर ने पुनः लौहगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1712 ई. में बहादुरशाह की मृत्यु हो गई।

जहांदारशाह (लम्पट मूर्ख) : 1712-1713 ई.

बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात् उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हो गया। इस उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लजता दिखाई कि बहादुरशाह का शव एक माह तक दफन भी नहीं किया जा सका। दरबार में ईरानी दल के नेता जुल्फीकार खाँ की सहायता से जहांदारशाह शासक बनने में सफल हुआ। कृतज्ञ सम्राट ने जुल्फीकार खाँ को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

जहांदारशाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि व मालवा की सूबेदारी तथा अजीतसिंह को महाराजा की उपाधि व गुजरात की सूबेदारी दी। उसने छत्रसाल बुन्देला तथा चूड़ामल जाट के साथ मित्रता की नीति अपनाए रखी। मराठों को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि इनकी वसूली मुगल अधिकारी कर मराठा शासक को दे देंगे। जहांदारशाह ने बंदाबहादुर के खिलाफ सैन्य कार्यवाही जारी रखी। इसके काल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया, किन्तु एक गलत पद्धति (इजारा) की शुरुआत हुई। इजारा पद्धति में भू-राजस्व की निलामी की जाती थी, जिससे कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन मिला। जहांदारशाह लालकुंवारि नामक वेश्या पर आसक्त था। 1713 ई. में जहांदारशाह के भतीजे फरुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदारशाह को पराजित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी।

फरुखशियर (घृणित कायर) : 1713-1719 ई.

फरुखशियर ने हिन्दुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं (किंग मेकर) की सहायता से राजगद्दी प्राप्त की थी। 1713 ई. में सैयद बंधुओं ने जहांदारशाह तथा जुल्फीकार खाँ की हत्या कर दी। कृतज्ञ बादशाह ने अब्दुल्ला खाँ को वजीर तथा हुसैन अली को मीर बक्शी नियुक्त किया। फरुखशियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी तथा अजीतसिंह की पुत्री से विवाह किया। उसने चूड़ामल जाट के साथ मित्रता बनाए रखी। फरुखशियर के समय में ही 1716 ई. में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई।

1717 ई. में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक के बदले चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। आगे चलकर फरुखशियर और सैयद बंधुओं के मध्य संबंध बिगड़ने लगे। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू के साथ 1719 ई. में दिल्ली की संधि की, जिसके अनुसार साहू को दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया, बदले में साहू ने 15,000 सैनिकों के साथ सैयद बंधुओं का सहयोग करने का वादा किया। 1719 ई. में ही बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा सैन्य शक्ति की सहायता से सैयद बंधुओं ने फरुखशियर को पराजित कर उसकी हत्या कर दी।

फरुखशियर की मृत्यु के पश्चात् सैयद बंधुओं ने एक के बाद एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठाए। पहले रफी-उद्द-दरजात को मुगल बादशाह बनाया गया। रफी-उद्द-दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई। इसके पश्चात् रफी-उद्द-दौला को बादशाह बनाया गया, किन्तु इसकी मृत्यु पेचिस रोग से हो गई। फिर सैयद बंधुओं ने मुहम्मदशाह को बादशाह बनाया।

मुहम्मदशाह (रंगीला) : 1719-1748 ई.

मुहम्मदशाह (रोशन अख्तर) के शासनकाल में मुगल परिवार में हिजड़ों तथा महिलाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसके काल में तूरनी दल के नेता निजाम-उल-मुल्क (चिनकिलिच खां) के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। मुहम्मदशाह ने निजाम-उल-मुल्क को वजीर बनाया, परन्तु बादशाह के अत्यधिक लापरवाह होने के कारण निजाम-उल-मुल्क दबकन की ओर पलायन कर गया। वहां उसने दबकन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां को शकूरखेड़ा के युद्ध में पराजित किया तथा 1724 ई. में हैदराबाद राज्य की नींव डाली। इसी तरह अब्द (सआदत खां) तथा बंगाल (मुर्शीद कुली खां) ने भी स्वयं को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया।

1739 ई. में मुहम्मदशाह के समय ही फारस के शासक नादिरशाह (ईरान का नेपोलियन) ने भारत पर आक्रमण किया तथा करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिरशाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा यहां से अपने साथ तख्तेताऊस (मयूर सिंहासन) व कोहीनूर हीरा ले गया। इस प्रकार तख्तेताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मदशाह था।

अहमदशाह : 1748-1754 ई.

मुहम्मदशाह की मृत्यु के पश्चात् उसका एकमात्र पुत्र अहमदशाह गद्दी पर बैठा। इसी के काल में अहमदशाह अब्दाली ने 1748 ई. में भारत पर आक्रमण किया था। अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ई. से 1767 ई. कुल 07 आक्रमण किए। अहमदशाह ने गाजीउद्दीन इमादुलमुल्क को वजीर बनाया। इमादुलमुल्क ने अहमदशाह को अंधा कर जेल में डाल दिया तथा आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया।

आलमगीर द्वितीय : 1754-1758 ई.

इसके काल में अहमदशाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। प्लासी का युद्ध (1757 ई.) इसी मुगल बादशाह के काल में लड़ा गया। आलमगीर द्वितीय की हत्या भी गाजीउद्दीन इमादुलमुल्क द्वितीय द्वारा कर दी गई।

शाहआलम द्वितीय : 1759-1806 ई.

इसी के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध (1761 ई.) तथा बक्सर का युद्ध (1764 ई.) हुआ। शाहआलम द्वितीय ने ही इलाहाबाद की संधि (1765 ई.) के द्वारा कलाइब को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके पश्चात् शाहआलम द्वितीय 1765 ई. से 1772 ई. तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में ही रहा, क्योंकि गाजीउद्दीन ने उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया। 1772 ई. में वह मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 ई. तक मराठों के संरक्षण में रहा। 1803 ई. में अंग्रेज सेनापति लेक ने मराठों को पराजित किया, जिससे शाहआलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। 1806 ई. में शाहआलम द्वितीय की हत्या हो गई।

अकबर द्वितीय : 1806-1837 ई.

अकबर द्वितीय ने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दी तथा अपना केस लड़ने हेतु इन्हें इंग्लैण्ड भेजा। इंग्लैण्ड में ही 1833 ई. में ब्रिस्टल में राजाराम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अकबर द्वितीय के समय ही 1835 ई. में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे।

बहादुरशाह द्वितीय (जफर) : 1837-1857 ई.

यह अंतिम मुगल बादशाह था। इतिहास में इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। 1857 ई. के सैनिक विद्रोह के बाद इसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए अन्य परिसम्पत्तियों के लिए किराया तथा 1 हजार रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 ई. में रंगून में ही बहादुरशाह जफर की मृत्यु हो गई। हालांकि कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवम्बर, 1858 ई. को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया था।

बहादुरशाह जफर बहुत अच्छे गजल गायक थे। इब्राहिम जौक और गालिब उसके कविता शिक्षक थे, जबकि हसन अशकरी उसके अध्यात्मिक शिक्षक थे।

यूरोपीय कंपनियों का आगमन

1453 ई. में कुस्तुनुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप व एशिया के मध्य के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। यूरोप के अधिकांश देश भारत तथा दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों के साथ मुख्यतः गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे। अतः यूरोपीय देशों द्वारा नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। नवीन देशों एवं व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन अग्रणी थे।

पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमोडियाज ने 1487 ई. में उत्तमाशा अन्तरीप (Cape of Good Hope) खोज निकाला। स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलम्बस ने 1494 ई. में भारत पहुंचने का मार्ग ढुँढ़ते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1498 ई. में पुर्तगाली वास्कोडिगामा ने उत्तमाशा का चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफलता पाई। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक ने आस्ट्रेलिया तथा हॉलैण्ड निवासी तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड को खोज निकाला।

भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले ही हो चुकी थी।

यूरोपियों के आने का क्रम	यूरोपीय कंपनी के गठन का क्रम
पुर्तगाली → डच → ब्रिटिश → डेन → फ्रेंच 1498 ई. 1595 ई. 1600 ई. 1616 ई. 1664 ई.	पुर्तगाली → ब्रिटिश → डच → डेन → फ्रेंचे

पुर्तगीज

यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। 17 मई, 1498 ई. में वास्को-डि-गामा एक हिन्दुस्तानी गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से कालीकट (केरल) पहुंचा था। कालीकट के हिन्दू राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, ने वास्को-डि-गामा का स्वागत किया और उसे मसाले व जड़ी-बुटियां इत्यादि ले जानी की आज्ञा प्रदान की। वास्को-डि-गामा की इस सफल यात्रा से उत्साहित होकर पुर्तगालियों ने 1500 ई. में पेड़ो अल्वेरज केब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट भेजा। 1502 ई. वास्कोडिगामा पुनः भारत आया। 1503 ई. में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई तथा 1505 ई. में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा।

□ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा (1505-1509 ई.)

अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसका प्रमुख उद्देश्य हिन्द महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। इसके लिए उसने ब्लू वॉटर पॉलिसी (शांत जल की नीति) अपनाई। भारत सहित संपूर्ण हिन्द महासागर के पुर्तगाली साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया।

□ अलफांसो डी अलबुकर्के (1509-1515 ई.)

अलबुकर्के को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अलबुकर्के ने 1510 ई. में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अलबुकर्के भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय नियमों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया।

□ नीनो डी कुन्हा (1529-1538 ई.)

1529 ई. में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बना। इसने 1530 ई. में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानान्तरित कर दिया, जो 1961 ई. तक भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनी रही। धीरे-धीरे पुर्तगालियों ने भारत में समुद्र के समीप कई बस्तियां बसाई। बंगाल में पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती हुगली थी।

□ पुर्तगाली नियंत्रण की विधि

पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर से होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज-ऑर्मेडा-काफिला व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था के तहत् कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगालियों से कार्टेज (परमिट) लिए बिना अरब सागर नहीं जा सकता था। कार्टेज के लिए शुल्क देना पड़ता था। व्यापार नियंत्रण का एक अन्य तरीका काफिला व्यवस्था थी। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली नौ सैनिक बेड़ा साथ-साथ चलता था।

□ पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन

पुर्तगालियों का 1595 ई. तक हिन्द महासागर पर एकाधिकार बना रहा, परन्तु उसके बाद उसका पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे। प्रथम, उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे भारतीय शक्तियां असंतुष्ट हो गई। द्वितीय, ब्राजील का पता लग जाने से पुर्तगाल की औपनिवेशिक प्राथमिकता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। तृतीय, यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें पुर्तगाली पिछड़ गए। 1611 ई. में सूरत के निकट स्वाल्ली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मिडल्टन व थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। चतुर्थ, पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ लूटमार की नीति भी जारी रखी। उन्होंने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। 1632 ई. में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया।

यहां उल्लेखनीय है कि भारत में तम्बाकू, आलू, लाल मिर्च तथा मक्का मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर आए थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरूआत की थी।

डच

डच नीदरलैण्ड या हॉलैण्ड के निवासी थे। पुर्तगीजों के बाद 1595–1596 ई. में डच भारत आए। 1602 ई. में विभिन्न डच कंपनियों ने पूरब में व्यापार करने के लिए यूनाइटेड ईंस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैण्ड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की, जिसका मूल नाम VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) था। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात् कार्टल पर आधारित थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूँजी कंपनी डचों ने ही आरंभ की थी।

डच मूलरूप से काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार में ही रुचि रखते थे। ये मसाले मूलतः इण्डोनेशिया में मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का वह प्रमुख केन्द्र बन गया था। डचों ने भारत में मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के व्यापार को अधिक महत्व दिया, क्योंकि यह मसालों के व्यापार से अधिक लाभप्रद था। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का त्रेय डचों को जाता है।

भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 ई. में मछलीपट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) में स्थापित की। 1610 ई. में डचों ने पुलीकट (तमिलनाडु) में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। बंगाल में डचों ने पीपली एवं चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थीं। 1759 ई. में बेदारा के युद्ध में डच अंग्रेज से पराजित हुए। इसी पराजय के साथ भारत से उनकी शक्ति समाप्त हो गई।

अंग्रेज

भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। सितम्बर 1599 ई. में लन्दन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम ‘गवर्नर एण्ड कंपनी ऑफ मर्चेन्ट्स ऑफ लन्दन ट्रेडिंग इन टू द ईंस्ट इंडीज’ रखा गया, जिसे ब्रिटिश ईंस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था। इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसम्बर, 1600 ई. (मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में) में एक चार्टर (आज्ञापत्र) द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इस कंपनी का तात्कालिक उद्देश्य पूर्वी द्वीप समूह से काली मिर्च व मसालों की प्राप्ति था।

□ अंग्रेजों की व्यापारिक सफलताएं

1608 ई. में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, किन्तु पुर्तगीज के शत्रुतापूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागारों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1611 ई. में अंग्रेजों ने स्वाल्ली में पुर्तगालियों के जहाजों को परास्त कर दिया। इस घटना से जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने 1613 ई. में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके पहले 1611 ई. में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक केन्द्र की स्थापना की थी।

1615 ई. से 1619 ई. तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा और अंग्रेज ब्रिटिश व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1632 ई. में गोलकुण्डा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देकर वे गोलकुण्डा राज्य के बंदगाहों में स्वतंत्रापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ई. में फ्रांसिस डे ने चन्द्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई, जिसका नाम फोर्ट सेन्ट जार्ज पड़ा।

1651 ई. में बंगाल के सूबेदार शाहशुजा ने मुगल राजवंश की स्त्री की डॉ. बोटन द्वारा चिकित्सा करने पर कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी।

1661 ई. में इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया। 1668 ई. में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पौण्ड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।

1688 ई. में सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई व पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल जहाजों को पकड़ लिया था, जिससे कुछ होकर औरंगजेब ने उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया था। अन्ततः सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब से मांफी मांगनी पड़ी थी। 1691 ई. में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने शाहशुजा के फरमान की मोहर लगा दी एवं ब्रिटिश को पुनः सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई।

1698 ई. में बंगाल के सूबेदार अजीम-उस-सान ने अंग्रेजों को सूतीनाता, कालीकाटा व गोविन्दपुर नामक 3 गांवों की जर्मीदारी प्रदान की, जिसे मिलाकर जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। इंग्लैण्ड के सप्राट के सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ई. में फोर्ट विलियम (कलकत्ता) पहला प्रेसीडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1911 ई. तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही। इसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर हुआ।

1715 ई. में कंपनी ने जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूतमण्डल मुगल दरबार में भेजा। इस दूतमण्डल में हेमिल्टन नामक सर्जन तथा ख्वाजा सेर्हूद नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया भी था। हेमिल्टन ने मुगल बादशाह फुरखशियर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज किया, जिससे खुश होकर 1717 ई. में फर्स्तखसियर ने कंपनी को व्यापार हेतु एक शाही फरमान जारी किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति तथा बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को सम्पूर्ण मुगल राज्य में चलाने का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्सर्स ने इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी है।

डेन

अंग्रेजों के बाद 1616 ई. में डेन भारत आए। इन्होंने तंजौर में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ई. तक उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए।

फ्रेंच

फ्रांस के सप्राट लुई XIV के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के फलस्वरूप 1664 ई. में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी ‘कम्पनी द इण्ड ओरिएण्टल’ की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार द्वारा हुआ और इसका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक केन्द्र फ्रैंकोकैरो द्वारा 1668 ई. में सूरत में स्थापित किया गया। 1669 ई. में मसूलीपट्टनम में द्वितीय व्यापारिक केन्द्र की स्थापना की। 1673 ई. में फ्रैंकोमार्टिन ने एक फ्रांसीसी बस्तीकी स्थापना की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह बंगाल में चन्द्रनगर में, दक्षिण भारत में माहे व कारीकल में व्यापारिक केन्द्र की स्थापना की गई। 1701 ई. में पांडिचेरी को सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रेन्को मार्टिन को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया।

भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना गवर्नर डुप्ले के काल में हुई। डुप्ले ही प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, जिसने भू-क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। आंग्ल-कर्नाटक युद्ध में पराजय के पश्चात् फ्रांसीसियों का चन्द्रनगर, माहे, कारीकाल, यनम व पांडिचेरी में शासन रहा, किन्तु 1 नवम्बर, 1954 ई. में इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार हो गया।

कर्नाटक युद्ध

17वीं तथा 18वीं शताब्दियों में अंग्ल-फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे तथा ज्यों ही यूरोप में उनका आपसी युद्ध प्रारंभ होता, संसार के प्रत्येक कोने में जहां ये 2 कंपनियां कार्य करती थीं, वहां आपसी युद्ध आरंभ हो जाते थे। भारत में लड़े गए कर्नाटक युद्ध भी इसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम थे। करीब 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष के फलस्वरूप यह निश्चित हो गया कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। एंग्लो-फ्रांस युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध (1740 ई.) से प्रारंभ, जबकि सप्तवर्षीय युद्ध (1756-1763 ई.) की समाप्ति के साथ समाप्त हुआ।

प्रथम कर्नाटक युद्ध : 1746-1748 ई.

यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। भारत में इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश नौ सैनिक अधिकारी बारनैट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लेना था। प्रतिक्रियास्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरीशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बार्डेनेस की सहायता से मद्रास पर कब्जा कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने दोनों कंपनियों को युद्ध बंद करने तथा शांति बनाए रखने की आज्ञा दी। तभी डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास नवाब को सौंप देगा, लेकिन जब डुप्ले ने अपना वचन पूरा नहीं किया, तब कर्नाटक के नवाब अनवरूद्धीन ने हस्तक्षेप किया, किन्तु 1748 ई. में सेन्टथोमे के युद्ध में कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के अधीन नवाब अनवरूद्धीन की सेना को पराजित कर दिया। यूरोप में 1748 ई. में एक्स ला शेपल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईवर्थ फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध : 1749-1754 ई.

कर्नाटक के प्रथम युद्ध के पश्चात् डुप्ले ने फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हेतु भारतीय राजाओं के परस्पर झगड़ों में भाग लेने की सोची। उसे यह सुअवसर हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासन के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण प्राप्त हुआ। हैदराबाद में नासिरजंग तथा मुजफ्फरजंग, जबकि कर्नाटक में अनवरूद्धीन तथा चंदा साहब के मध्य विवाद था। डुप्ले ने हैदराबाद व कर्नाटक के लिए क्रमशः मुजफ्फरजंग व चंदा साहब का, जबकि अंग्रेजों ने क्रमशः नासिरजंग व अनवरूद्धीन का समर्थन किया।

1749 ई. में अम्बूर की लड़ाई में मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अनिवरुद्धीन को पराजित कर मार डाला। अनवरूद्धीन का पुत्र मुहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली, जबकि कर्नाटक के शेष भाग पर राजधानी अर्काट से चंदा साहब ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह तीनों की संयुक्त सेना ने हैदराबाद के नासिरजंग पर भी आक्रमण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार हैदराबाद में मुजफ्फरजंग नया राजा बना। डुप्ले ने हैदराबाद के दरबार में अपने अधिकारी बुस्सी को नियुक्त किया।

फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई शक्ति के प्रतितर में ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। चंदा साहब और फ्रांसीसियों के अथक प्रयास के बाद भी पुनः कर्नाटक नहीं जीता जा सका। आगे एक संघर्ष में तंजौर के राजा द्वारा चंदा साहब भी मारे गए। इस तरह कर्नाटक पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया तथा मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। फ्रांसीसियों की पराजय से डुप्ले को वहां की सरकार ने 1754 ई. में वापस बुला लिया और गोडेहू को नया गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू ने अंग्रेजों से 1755 ई. में पांडिचेरी की संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों कंपनियों को अपने-अपने क्षेत्र मिल गए। इस तरह द्वितीय अंग्ल कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ।

तृतीय कर्नाटक युद्ध : 1758-1763 ई.

1756 ई. में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के आरंभ होते ही भारत में पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1758 ई. में फ्रांसीसी गवर्नर काउन्ट डी लाली ने पांडिचेरी स्थित फोर्ट डेविड जीत लिया, किन्तु वह मद्रास जीतने में असफल रहा। इसी बीच अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। इसके कारण अंग्रेजों को अपार धन मिला, जिससे वे फ्रांसीसियों को दक्कन में पराजित करने में सफल हुए। 1760 ई. में वांडिवाश के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी सर आयरकूट ने फ्रांसीसी अधिकारी काउन्ट डी लाली के नेतृत्व वाली सेना को निर्णयक रूप से पराजित कर पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। इस तरह फ्रांसीसी सितारा डूब गया। 1763 ई. में दोनों के मध्य पेरिस की संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश लौटा दिए, परन्तु वे उनकी किलोबंदी नहीं कर सकते थे। उन्हें केवल व्यापार करने की अनुमति थी।

क्षेत्रीय राज्य

दक्कन के निजाम

हैदराबाद राज्य की नींव मुहम्मदशाह रंगीला के शासनकाल में चिनकिलिज खां अथवा निजामुलमुल्क (उपाधि - आसफजाह) ने रखी। 1722 ई. में चिनकिलिज खां को मुगल वजीर नियुक्त किया गया था, किन्तु मुगल दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से क्षुब्ध होकर वह बिना मुगल बादशाह मुहम्मदशाह की अनुमति के 1723 ई. में शिकार अभियान के बहाने दक्कन चला गया। मुहम्मदशाह ने दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां से निजामुलमुल्क को पराजित करने को कहा। 1724 ई. में सकूरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिज खां ने मुबारिज खां को मार डाला और दक्कन का स्वामी बन गया। आगे 1724 ई. में चिनकिलिज खां ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1748 ई. में चिनकिलिज खां की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष उसके द्वारा कर्नाटक में नियुक्त अधिकारी सादातुल्ला खां ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली।

रुहेले तथा बंगश पठान

एक अफगान वीर दाउद तथा उसके पुत्र अली मुहम्मद खां ने बरेली में एक छोटी-सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखण्ड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसी प्रकार एक अन्य अफगान मुहम्मद खां बंगश ने फरुखाबाद, बुन्देलखण्ड व इलाहाबाद के प्रदेशों में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।

राजपूत

18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का राजा सवाई जयसिंह था। इसे सवाई की उपाधि मुगल शासक फरुखशियर ने दी थी। सवाई जयसिंह ने 1722 ई. में जयपुर शहर की स्थापना की। वह एक महान खगोलशास्त्री था, उसने दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर व उज्जैन में खगोलशास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाएं बनवाई थीं। उसी प्रकार खगोलशास्त्र के अध्ययन हेतु एक सारणी बनवाई थी, जिसे जिज मुहम्मदशाही कहा जाता था। उसने युक्तिड के ग्रंथ 'रेखागणित के तत्व' का अनुवाद संस्कृत में करवाया। वह समाज सुधारक भी था, उसने अपने राज्य में यह विधान लागू किया था कि किसी लड़की की शादी में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च न किया जाए।

जाट

जाट दिल्ली, आगरा व मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में थे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सर्वप्रथम 1669 ई. में तिलपत के जर्मांदार गोकुल जाट ने विद्रोह किया, किन्तु इस विद्रोह को कुचल दिया गया। आगे 1686 ई. में राजाराम जाट ने विद्रोह किया। मनूची के अनुसार राजाराम ने सिकन्दरिया स्थित अकबर के मकबरे की हड्डियां जला दी थीं, किन्तु इसके विद्रोह को भी कुचल दिया गया।

1700 ई. में चूडामल जाट ने भरतपुर राज्य की नींव डाली व थीम नामक स्थान पर दुर्ग बनवाया। 1721 ई. में आगरा के मुगल गवर्नर जयसिंह द्वितीय ने चूडामल को पराजित कर दुर्ग जीत लिया, जिससे चूडामल ने आत्महत्या कर ली।

चूडामल के बाद उसके भटीजे बदनसिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला तथा दीग, कुम्बेर, वेद व भरतपुर में चार दुर्ग बनवाए। अहमदशाह अब्दाली ने बदनसिंह को राजा की उपाधि दी, जिसमें महेन्द्र शब्द भी जोड़ दिया गया।

बदनसिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 ई. में सूरजमल की मृत्यु के उपरान्त जाट राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। आगे 1805 ई. में जाट राजा रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।

केरल

18वीं शताब्दी के आरंभ में केरल मुख्यतः 4 राज्यों में विभक्त था - कालीकट, कोचीन, चिराक्कल एवं त्रावणकोर। इनमें से त्रावणकोर राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। 1729 ई. में यहां का राजा मार्टड वर्मा हुए। मार्टड वर्मा ने आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण करवाया, नहरें बनवाई, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया तथा डचों को पराजित किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यहां के राजा राम वर्मा हुए। इनके समय में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेन्द्रम संस्कृत एवं मलयालम साहित्य का प्रमुख केन्द्र था। राजा राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान्, संगीतज्ञ, अभिनेता आदि थे। उन्हें संस्कृत, मलयालम तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था।

अवध

अवध अंग्रेजों तथा मराठों के राज्यों के मध्य में था। अतः इसे बफर राज्य (Buffer State) के रूप में जाना जाता था। अवध ने ब्रिटिश साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। इसे ब्रिटिश साम्राज्य हेतु कामधेनु भी कहा जाता था।

□ सआदत खां/बुरहान-उल-मुल्क (1722-1739 ई.)

अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां था, उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 1723 ई. में सआदत खां ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। 1739 ई. में उसे नादिरशाह के विरुद्ध दिल्ली बुलाया गया। वह वीरता से लड़ा, परन्तु बंदी बना लिया गया। उसने नादिरशाह को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया तथा उसे 20 करोड़ रुपए मिलने की आशा दिलाई। जब नादिरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलवाया, तो सआदत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली।

□ सफदरजंग (1739-1754 ई.)

सआदत खां का उत्तराधिकारी उसका भतीजा व दामाद सफदरजंग हुआ। मुगल सम्राट मुहम्मदशाह ने उसे अवध का नवाब नियुक्त किया तथा 1748 ई. में मुगल सम्राट अहमदशाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अहमदशाह ने उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया। सफदरजंग ने प्रशासन में हिन्दुओं और मुस्लमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई तथा सबसे बड़े पद पर एक हिन्दू महाराजा नवाब राय को नियुक्त किया।

□ शुजाउद्दौला (1754-1775 ई.)

सफदरजंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजाउद्दौला हुआ। इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध (1757 ई.), पानीपत का तृतीय युद्ध (1761 ई.) तथा बक्सर का युद्ध (1764 ई.) हुए। शुजाउद्दौला ने प्लासी के युद्ध से स्वयं को तटस्थ रखा, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदशाह अब्दाली का साथ दिया, जबकि बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, किन्तु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के उपरान्त 16 अगस्त, 1765 ई. में अंग्रेज अधिकारी क्लाईव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, जिसके अनुसार शुजाउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद के जिले लेकर शाहआलम द्वितीय को दे दिए गए।

1773 ई. में शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की। इस संधि के द्वारा कंपनी ने 50 लाख रुपए में कड़ा व इलाहाबाद के जिले शुजाउद्दौला को बेच दिए। साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने 40 लाख रुपए के बदले शुजाउद्दौला से रुहेला के विरुद्ध सहयोग करने का वादा किया। इस संधि से प्रेरित होकर शुजाउद्दौला ने 1774 ई. में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित कर मार डाला तथा रुहेलखण्ड पर अधिकार स्थापित कर लिया।

□ आसफउद्दौला (1775-1797 ई.)

इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित की तथा 1784 ई. लखनऊ में मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इसमें स्तम्भों का प्रयोग नहीं किया गया है। 1775 ई. में आसफउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ फैजाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इसी संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों की सम्पत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। किन्तु 1781 ई. में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि की परवाह न करते हुए जान मिडल्टन को बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया। आगे इसी कारण इंग्लैण्ड में बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया, किन्तु असफल रहा।

आसफउद्दौला के उत्तराधिकारी क्रमशः वजीर अली, सआदत अली खां, हैदर अली खां, मुहम्मद अली, अमजद अली तथा वाजिद अली शाह हुए।

□ वाजिद अली शाह (1847-1856 ई.)

यह अवध का अंतिम नवाब था। 1856 ई. में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबन्द कर कलकत्ता में रखा गया। 1857 ई. के विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी की विलय नीति एक प्रमुख कारण माना जाता है।

बंगाल

भारत के प्रांतों में बंगाल सबसे उपजाऊ और समृद्ध था। बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिदकुली खां था।

□ मुर्शिदकुली खां (1717-1727 ई.)

औरंगजेब ने 1700 ई. में मुर्शिदकुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था, किन्तु औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 ई. में उसने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शिदकुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानान्तरित कर दी। 1719 ई. में उसे उड़ीसा का भी प्रान्त प्राप्त हो गया। उसने बंगाल में भू-सुधार किए। इसके अन्तर्गत इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, किसानों को तकावी ऋण दिए और बिचौलियों का उन्मूलन किया।

□ शुजाउद्दीन (1727-1739 ई.)

यह मुर्शिदकुली खां का दामाद था। 1733 ई. में बिहार पर भी इसका अधिकार हो गया, वहां उसने अलीवर्दी खां को सूबेदार नियुक्त किया।

□ सरफराज खां (1739-1740 ई.)

इसके समय में 1740 ई. में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर मार डाला तथा स्वयं बंगाल का नवाब बन गया।

□ अलीवर्दी खां (1740-1756 ई.)

अलीवर्दी खां नाममात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। उसने मुगल बादशाह को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां को सबसे ज्यादा मराठों ने परेशान किया। 1751 ई. में मराठा सरदार रघुजी ने अलीवर्दी खां को पराजित कर एक संधि हेतु विवश किया। इस संधि के तहत् अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा प्रान्त तथा 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली।

अलीवर्दी खां के अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे, किन्तु इसने अंग्रेजों को अपने गोदामों को दुर्गम्भीत करने की अनुमति नहीं दी। इसने “यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए, तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट-काट कर मार डालेंगी।”

□ सिराजुद्दौला (1756-1757 ई.)

अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि तीन पुत्रियां थीं। उसने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब बनाया। नवाब बनने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे - पूर्णियां का नवाब शौकतजंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज। शौकतजंग अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र था, जिसका पिता पूर्णियां का गवर्नर था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पूर्णियां का नवाब बना। घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी तथा ढाका के गवर्नर की विधवा थी। अलीवर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरान्त जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तब शौकतजंग, घसीटी बेगम तथा अंग्रेज उसके विरुद्ध हो गए। किन्तु सिराजुद्दौला ने अक्टूबर, 1756 ई. में मनीहारी के युद्ध में शौकतजंग को पराजित कर मार डाला।

1756 ई. में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपने-अपने गोदामों को दुर्गम्भीत करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किले बंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किन्तु अंग्रेज नहीं माने। इससे क्रुद्ध होकर सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान किया तथा जून, 1756 ई. को कलकत्ता पर आक्रमण कर फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। नवाब कलकत्ता को माणिकचंद के हाथों सौंप स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया।

♦ ब्लैक होल की घटना (20 जून, 1756 ई.)

इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी जे. जेड. हालवेल ने किया है। इसमें हालवेल ने बताया की नवाब ने 20 जून, 1756 ई. की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी तथा 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिन्दा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्खैरिन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। अतः यह घटना मिथ्या प्रतीत होती है।

♦ प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि

कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचते ही क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने माणिकचंद को घूस देकर जनवरी, 1757 ई. में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। फरवरी, 1757 ई. में बंगाल के नवाब को क्लाइव से अलीनगर की संधि (कलकत्ता का नया नाम) करना पड़ी, जिसके तहत् अंग्रेजों को अपने स्थलों को दुर्गम्भीत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त हो गई।

♦ प्लासी का युद्ध (23 जून, 1757 ई.)

अंग्रेजों ने मार्च 1757 ई. को क्लाइव व वाटसन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। इससे नवाब कुद्द हुआ तथा इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इस षट्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, एक धनी व्यापारी अमीरचंद्र, बैंकर जगत सेठ तथा दीवान राय दुर्लभ शामिल थे। इनमें आपस में निश्चय हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए और वह इसके लिए कंपनी को लाभान्वित करेगा।

अंततः 23 जून, 1757 ई. को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर ने उसका कत्ल करवा दिया तथा स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। मीर जाफर अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी और क्लाइव को 2,34,000 पाऊंड की निजी भेंट दी। यह भी सुनिश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी होगी।

प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का प्रस्थान बिन्दु था, किन्तु अंग्रेजों को निर्णायक विजय बक्सर के युद्ध में प्राप्त हुई।

□ मीर जाफर (1757-1760 ई.)

प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यद्यपि मीर जाफर क्लाइव की कठपुतली ही था, परन्तु वह कंपनी की लगातार बढ़ती हुई पैसे की मांग को पूरा न कर सका। 1760 ई. तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया। अंग्रेजों ने नवाब बदलने का निश्चय किया और 1760 ई. में मीर कासिम से समझौता किया, जिसमें उसे नवाब बनाने के बदले बर्दमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। इस तरह एक रक्तहीन क्रांति के द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ।

□ मीर कासिम (1760-1763 ई.)

मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। वह महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों और बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित की एवं यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन किया। धीरे-धीरे अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य मतभेद बढ़ने लगे। अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह कठपुतली बना रहेगा, किन्तु मीर जाफर अपनी योग्यता से शासन करना चाहता था।

मीर कासिम एवं ब्रिटिश के बीच मतभेद का तात्कालिक कारण दस्तक का दुरुपयोग था। दस्तक का उपयोग कंपनी अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। दूसरी तरफ वे दस्तकों को भारतीय व्यापारियों को भी बेच दिया करते थे, जिससे नवाब को राजस्व हानि होने लगी। अतः नवाब ने कठोर कार्यवाही की तथा सभी आंतरिक कर हटा लिए। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजों के समान हो गए, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। इस घटना की परिणति बक्सर के युद्ध में हुई।

♦ बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर, 1764 ई.)

मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट बनाया, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय शामिल थे। अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। 22 अक्टूबर, 1764 ई. में हेक्टर मुनरो ने बक्सर के मैदान में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली भाग गया, जहां 1777 ई. में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्लासी का युद्ध तो षट्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की विजय थी। बक्सर युद्ध में विजय के पश्चात् ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई।

♦ इलाहाबाद की संधि (1765 ई.)

इलाहाबाद की प्रथम संधि (12 अगस्त, 1765 ई.) मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय तथा क्लाइव के मध्य हुई। इसके तहत मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी। बदले में कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। साथ ही अंग्रेजों ने शाहआलम द्वितीय को निजामत के खर्च हेतु 53 लाख रुपए सालाना एवं व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। अब व्यवहार में मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशन प्राप्त करने वाला बनकर रह गया।

इलाहाबाद की दूसरी संधि (16 अगस्त, 1765 ई.) अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुई। इसके तहत कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर अवध का राज्य नवाब को वापस मिल गया। बदले में अंग्रेजों को हर्जने के रूप में 50 लाख रुपए मिले। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है, तो ब्रिटिश अवध की सहायता करेंगे।

□ बंगाल में द्वैथ शासन (1765-1772 ई.)

बक्सर के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया, किन्तु शीघ्र ही उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। नए नवाब से फरवरी, 1765 ई. में हुई संधि के द्वारा नवाब की सेना समाप्त कर बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कलकत्ता कौसिल ने अपने हाथों में ले ली। इस संधि के अनुसार बंगाल में एक नायब सूबेदार मो. रजा खाँ की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की गई। साथ ही बंगाल की सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध तथा वित्तीय व्यवस्था पर भी कम्पनी का नियंत्रण हो गया। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया।

नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। क्लाइव ने अगस्त, 1765 ई. में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इन प्रावधानों में शाहआलम को 26 लाख रुपए प्राप्त होने थे, अर्थात् - इन दोनों राजियों (26 लाख + 53 लाख) को देने के बाद समस्त भू-राजस्व पर कम्पनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने द्वैथ शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे, जबकि आन्तरिक शान्ति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए, अर्थात् - क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया, इसी को द्वैथ शासन कहते हैं। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खाँ, बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया।

द्वैथ शासन व्यवस्था के तहत बंगाल का शोषण होता रहा। बंगाल की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि इतिहासकार के. एम. पन्निकर ने इस काल (1765-1772 ई.) को डाकुओं का राज्य कहा है। उसी प्रकार ब्रिटिश इतिहासकार पर पर्सीवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी और लूट का काल माना है। अन्तः वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ई. में द्वैथ शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

मैसूर

1565 ई. में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। इसके उपरान्त वहाँ अरविन्दु वंश की स्थापना हुई। 1612 ई. में अरविन्दु वंश के शासक वैंकट द्वितीय के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, परन्तु वास्तविक शक्ति नन्दराज (सेनापति) एवं देवराज (वित्त मंत्री) के हाथों में थी। बाद में नन्दराज ही मैसूर का सर्वेसर्वा हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नन्दराज की सेना में भर्ती हुआ। 1761 ई. में हैदर अली ने राजमाता की सहायता से नन्दराज की शक्ति का अन्त कर मैसूर राज्य का वास्तविक स्वामी बन गया।

□ हैदर अली (1761-82 ई.)

हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरांगपट्टनम् में स्थानान्तरित की। उसने अंग्रेजों एवं मराठों की शक्ति का सामना करने हेतु फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था, जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान हुए पोर्टोनोवा के युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 ई. में उसकी मृत्यु हो गई।

□ टीपू सुल्तान (1782-99 ई.)

हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। टीपू ने अफगानिस्तान, ईरान, कुस्तुंतुनिया, मॉरीशस एवं फ्रांस आदि देशों में दूत भेजे तथा विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। टीपू ने फ्रांस के शासक नेपोलियन के साथ विदेशी संबंध स्थापित किए तथा श्रीरांगपट्टनम् में फ्रांसीसी झण्डा लहराया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। वह जैकोवियन क्लब का सदस्य बना तथा नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया। टीपू ने अपने राज्य में आधुनिक कैलेण्डर लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक तथा नापतौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। टीपू धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, उसने शृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण हेतु धन दिया था। 1799 ई. में चुरुथ आंग्ल-मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई।

□ प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69 ई.)

हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल-मैसूर युद्ध का कारण माना जाता है। इस युद्ध में मराठे व निजाम अंग्रेजों की तरफ थे, किन्तु आगे हैदर अली ने मराठों को धन का तथा निजाम को क्षेत्र का प्रलोभन देकर अंग्रेजों से अलग कर दिया। फिर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित करते हुए मद्रास व मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। अंततः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि (1769 ई.) कर ली, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के क्षेत्र तथा राजनीतिक कैदी वापस कर दिए। साथ ही दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया कि यदि किसी पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है, तो दोनों एक-दूसरे की मदद करेंगे। इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने संधि की शर्त निश्चित की थी। इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजेयता को भी समाप्त कर दिया।

□ द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84 ई.)

इस युद्ध के कई कारण थे। प्रथम, 1771 ई. में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, परन्तु अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, अतः संधि टूट गई। द्वितीय, हैदर अली ने भी फ्रांसीसियों के साथ मेल-मिलाप की नीति अपनाई। तृतीय, इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो जाने से अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। इससे अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर कब्जा कर लिया। माहे हैदर अली के संरक्षण में था तथा यहाँ से हैदर अली को आवश्यक गोला-बारूद की आपूर्ति होती थी। अतः हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, किन्तु शीघ्र ही अंग्रेजों ने मराठों से 1782 ई. में सालवाई की संधि कर ली, जिससे मराठे हैदर अली से अलग हो गए। उसी प्रकार अंग्रेजों ने निजाम को भी गुंटूर का क्षेत्र देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया।

हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया, परन्तु 1781 ई. में पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट से वह पराजित हुआ। इस युद्ध में लगी चोटों के कारण 1782 ई. को हैदर की मृत्यु हो गई। इसके उपरान्त युद्ध का नेतृत्व हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाला। 1783 ई. में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया। किन्तु इसी वर्ष पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया, जिससे फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि करना उचित समझा और 1784 ई. में मैंगलोर संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विजित प्रांत एवं राजनीतिक कैदी वापस कर दिए।

मंगलोर की संधि लॉर्ड मैकार्टनी एवं टीपू के बीच हुई थी। तत्कालीन गर्वनर वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि की शर्तों को नापसंद करते हुए कहा कि “यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है! मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा।”

□ तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92 ई.)

इस युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि 1789 ई. में त्रावणकोर के राजा ने डचों से क्रेगानूर व जैकोटा के दुर्ग खरीद लिए, जबकि ये दुर्ग टीपू खरीदना चाहता था। टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था, अतः अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस ने भी टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कार्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने श्रीरंगपट्टम् को घेर लिया। अंततः विवश होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टम् की संधि (1792 ई.) कर ली, जिसके अनुसार बारामहल, डिण्डीगुल व मालाबार अंग्रेजों को, तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग मराठों को तथा पेनार व कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को मिला। टीपू के 2 पुत्र क्षतिपूर्ति प्राप्त होने तक कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। कार्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी की कि “हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया।”

कार्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, परन्तु उसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कारण जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर सर जॉन लॉरेन्स ने भी अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी।

□ चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799 ई.)

1799 ई. में लॉर्ड वेल्जली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, किन्तु टीपू ने उसे अस्वीकार कर दिया। वेल्जली ने टीपू सुल्तान पर दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है तथा 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम् को घेर लिया तथा टीपू युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इस तरह 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम् पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर के कुछ प्रदेश निजाम को देकर शेष प्रदेशों को अपने साम्राज्य में शामिल कर 1800 ई. में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। मैसूर के छोटे से क्षेत्र को वाडीयार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई।

चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेल्जली ने कहा कि “अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है।”

मराठा

□ मराठों के उद्भव के कारण

- 1) महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति
- 2) औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति।
- 3) भक्ति आंदोलन
- 4) दक्षिण की तत्कालीन स्थिति
- 5) शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व।

- यहां की उबड़-खाबड़ जर्मान तथा जलवायु ने मराठों को दृढ़ परिश्रमी और लड़ाकू बनाया। (राइज ऑफ द मराठा पॉवर-महादेव गोविंद रानाडे)।
- (दास बोध - गुरु रामदास)।
- (अहमदनगर राज्य का बिखराव)।

□ शिवाजी (1627-1680 ई.)

- | | |
|------|--|
| जन्म | - 1627 ई. को शिवनेर के किले में। |
| पिता | - शाहजी भोंसले (बीजापुर के शासक के यहां कार्यरत थे)। |
| गुरु | - समर्थ गुरु रामदास। |

- | | |
|---------|--------------------------|
| माता | - जीजाबाई। |
| संरक्षक | - दादाजी कोंडदेव। |
| विवाह | - 1640 ई. में साईबाई से। |

शिवाजी के प्रारंभिक अभियान बीजापुर के आदिलशाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुए। 1643 ई. में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। तत्पश्चात् 1646 ई. में तोरण तथा 1654 ई. में पुरंदर का किला भी जीत लिया। शिवाजी की इन साहसिक विजयों से बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो गया तथा उसने शिवाजी के विरुद्ध अफजल खां के नेतृत्व में सेना भेजी।

♦ अफजल खां से संघर्ष (1659 ई.)

अफजल खां ने कूटनीतिपूर्वक शिवाजी को मारने की योजना बनाई तथा शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की कूटनीति को समझते हुए संधि के अनुरूप प्रतापगढ़ के जंगलों में उससे मिलने गए। जहां अफजल खां सशस्त्र आया था तथा गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया, किन्तु इसके विपरीत शिवाजी ने अपने बगनखे के बार से अफजल खां को मार डाला। इस हमले में शिवाजी को भारी धन-संपत्ति तथा अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ हो गई।

- ♦ शाइस्ता खां से संघर्ष (1663 ई.)

अफजल खां की हत्या से उत्साहित होकर शिवाजी ने मुगलों पर जोरदार आक्रमण किए तथा उनके कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जिससे तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खां ने प्रारंभ में कई मराठा प्रदेशों को रोंद डाला। 1663 ई. में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। शिवाजी ने अपने सैनिकों को भेष बदलकर पूना भेजा तथा मौका देखकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया तथा वह डर कर भाग खड़ा हुआ।

- ♦ सूरत की प्रथम लूट (1664 ई.)

शाइस्ता खां को पराजित कर उत्साहित होकर शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर वहां से 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके उपरान्त औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी से युद्ध करने भेजा।

- ♦ जयसिंह से संघर्ष तथा पुरदर की संधि (1665 ई.)

जयसिंह ने वीरता व चालाकी से मराठों के कई किले जीत लिए। अन्ततः विवश होकर शिवाजी ने पुरन्दर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए तथा मुगलों की ओर से युद्ध करने का वचन दिया। साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र शंभाजी को मुगल दरबार में भेजा, जहां उन्हें 5 हजार का मनसब दिया गया।

1666 ई. में शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता न मिलने के कारण औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां राजा जयसिंह के पुत्र रामसिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली। दरबार में शिवाजी को 5 हजार के मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया, जिससे शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लिया तथा मिठाई व फल की टोकरी में बैठकर भाग निकले।

- ♦ सूरत की द्वितीय लूट (1670 ई.)

शिवाजी ने 1670 ई. में सूरत को पुनः लूटा।

- ♦ शिवाजी का राज्याभिषेक (1674 ई.)

शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ई. में रायगढ़ (राजधानी) में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगाभट्ट से करवाया तथा छत्रपति व हैन्दव धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण की। इस प्रकार शिवाजी ने 1674 ई. में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की।

- ♦ कर्नाटक अभियान (1676-78 ई.)

यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। 1678 ई. में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया। जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। 1680 ई. में अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी के मृत्यु हो गई। शिवाजी की 7 पत्नियां थीं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुतलीबाई सती हो गई थी।

□ शिवाजी का प्रशासन

- ♦ अष्ट प्रधान परिषद

शिवाजी की सहायता व परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्ट प्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, किन्तु ये मंत्री शिवाजी के प्रसादपर्यन्त होते थे तथा इनकी स्थिति सचिव से अधिक नहीं होती थी।

1) पेशवा (प्रधानमंत्री) - यह सम्पूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण करता था।

2) अमात्य (मजुमदार) - वित्त मंत्री।

3) सचिव (सुरनविस या चिटनिस) - पत्रचार विभाग का प्रमुख।

4) मंत्री (वाक्यानविस) - यह दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था तथा गुप्तचर व सूचना विभाग का प्रमुख।

5) सेनापति (सर-ए-नौबत) - सेना का नेतृत्वकर्ता।

6) सुमंत (दबीर) - विदेश मंत्री।

7) पंडित राव - धार्मिक बातों में छत्रपति का परामर्शदाता।

8) न्यायाधीश - न्याय विभाग का प्रमुख।

- ♦ भू-राजस्व व्यवस्था

शिवाजी ने 1679 ई. में अन्नाजी दत्तो द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाया तथा भूमि माप की पद्धति अपनाई। शिवाजी ने रस्सी के बदले काठी (मानक छड़ी) से भूमि की माप करवाई। भू-राजस्व की राशि प्रारंभ में 33 प्रतिशत, किन्तु बाद में बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई थी।

- ♦ चौथ व सरदेशमुखी

शिवाजी का साम्राज्य स्वराज व मुघतर्द में विभाजित था। स्वराज ऐसा क्षेत्र था, जो प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में होता था, जबकि मुघतर्द उस क्षेत्र को कहते थे, जहां से शिवाजी चौथ व सरदेशमुखी वसूल करते थे।

➤ चौथ

यह पड़ोसी राज्यों से उनके क्षेत्र पर आक्रमण व लूटपाट न करने के बदले वसूल किया जाता था, जो राज्य की आय का 1/4 भाग होता था।

➤ सरदेशमुखी

शिवाजी महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10 प्रतिशत सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करते थे। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकारी मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्टैनी सरदेशमुख थे।

- ♦ सैन्य प्रशासन

शिवाजी की सेना में पैदल सेना, अश्वारोही सेना, तोपखाना व नौ-सेना शामिल थी। अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे - बरगीर एवं सिलेदार। बरगीर को राज्य की ओर से घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त होते थे, जबकि सिलेदार इनका प्रबंध स्वयं करते थे।

- ♦ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा है। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक भी कहा जाता है। मराठा विलेखों में मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था।

□ शिवाजी के उत्तराधिकारी

- ♦ शंभाजी (1680-89 ई.)

1680 ई. में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात् शिवाजी की दो पत्नियों से उत्पन्न दो पुत्रों शंभाजी एवं राजाराम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया। हालांकि शिवाजी की मृत्यु के समय शंभाजी पन्हाला के किले में कैद थे, जिसका फायदा उठाते हुए राजाराम ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। किन्तु शीघ्र ही शंभाजी को मुक्त कर दिया गया तथा उन्होंने राजाराम को गद्दी से उतारकर स्वयं सिंहासन प्राप्त कर लिया। फरवरी, 1689 ई. में संगमेश्वर में धावा बोल मुगल सेनापति मुकरम खां ने शंभाजी और कविकलश को बंदी बना लिया तथा दोनों की हत्या कर दी।

- ♦ राजाराम (1689-1700 ई.)

शंभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र शाहू केवल 7 वर्ष का था, अतः राजाराम को मराठा शासक नियुक्त किया गया। 1691 ई. में मुगल सेनापति जुल्फीकार खां ने जींजी का घेरा डाला, 8 वर्षों तक राजाराम जींजी के किले में कैद रहा। 1698 ई. में राजाराम जींजी से सतारा भागने में सफल रहा तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाई। 1700 ई. में सतारा में ही उनकी मृत्यु हो गई।

- ♦ शिवाजी द्वितीय (1700-1707 ई.)

राजाराम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना तथा राजाराम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई.) के समय मराठों का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। मराठों में आपसी संघर्ष को बढ़ावा देने हेतु 1707 ई. में जुल्फीकार खां के कहने पर बहादुरशाह प्रथम ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया।

- ♦ शाहूजी (1707-1749 ई.)

शाहूजी शंभाजी के पुत्र थे, उसकी माँ का नाम येसूबाई था। 1707 ई. में शाहूजी व ताराबाई की सेना में खेड़ा का युद्ध में ताराबाई ने शाहूजी के विरुद्ध धन्नाजी जादव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। धन्नाजी जादव शाहूजी के पक्ष में चला गया, जिससे ताराबाई की पराजय हो गई तथा वह दक्षिणी महाराष्ट्र भाग गई। शाहूजी ने 1708 ई. में सतारा में अपना राज्याभिषेक किया तथा सतारा को अपनी राजधानी बनाई। इसी वर्ष शाहूजी ने एक नया पद सेनाकर्ते (सेना को संगठित करने वाला) का गठन किया तथा इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया।

इस प्रकार मराठा दो भागों में बंट गए – उत्तर में शाहूजी के अधीन सतारा राज्य तथा दक्षिण में शिवाजी द्वितीय के अधीन कोल्हापुर राज्य। दोनों मराठों राज्यों के मध्य तब संघर्ष समाप्त हुआ, जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र शंभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। 1731 ई. में शंभाजी द्वितीय ने शाहूजी के साथ वारना की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शंभाजी ने कोल्हापुर से तथा शाहूजी ने सतारा से शासन करना स्वीकार कर लिया।

- **राजाराम द्वितीय (1749-1750 ई.)**

1749 ई. में शाहूजी की मृत्यु हो गई। शाहूजी के दत्तक पुत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। 1750 ई. में पेशवा बालाजी बाजीराव से राजाराम द्वितीय ने संगोला की संधि कर ली, जिसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। छत्रपति नाममात्र का प्रधान रह गया तथा सतारा के किले में बंदी की तरह जीवन व्यतीत करने लगा।

□ पेशवा का इतिहास

- **बालाजी विश्वनाथ (1713-20 ई.)**

बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1708 ई. में शाहूजी ने इन्हें सेनाकर्ते का पद प्रदान किया। 1713 ई. में इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता 1719 ई. में मुगल बादशाह की ओर से (सैयद बंधुओं द्वारा) मराठों से की गई संधि थी। इस संधि के अनुसार से मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दे दी गई। इसके बदले में शाहूजी ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता तथा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मेगनाकार्टा कहा है।

- **बाजीराव प्रथम (1720-40 ई.)**

बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इसे लड़ाकू पेशवा तथा शिवाजी के पश्चात् गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है। बाजीराव प्रथम ने हिन्दू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया। मुगल साम्राज्य के संबंध में बाजीराव प्रथम ने कहा कि “सङ्गे हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी।”

➤ निजाम से संघर्ष (1728 ई.)

बाजीराव ने 1728 ई. में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुलमुल्क को पराजित किया तथा उससे मुंगी शिवगांव की संधि की। इस संधि के अनुसार निजाम ने शाहूजी को चौथ तथा सरदेशमुखी देना, शंभाजी द्वितीय की सहायता न करना आदि का वचन दिया। इस संधि के उपरान्त शंभाजी द्वितीय को निजाम की सहायता मिलना बंद हो गई, जिससे उसने 1731 ई. में वारना की संधि से शाहूजी की अधीनता स्वीकार कर ली।

➤ मालवा विजय (1728 ई.)

बाजीराव प्रथम ने 1728 ई. में मालवा पर आक्रमण कर यहां के मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर को अमझेरा के युद्ध में पराजित किया। इसके उपरान्त भी मालवा में मराठों के आक्रमण होते रहे। अन्ततः 1735 ई. तक मालवा पर मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई।

➤ बुन्देलखण्ड विजय (1728 ई.)

बुन्देलखण्ड इलाहाबाद की सूबेदारी में था। जब इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मुहम्मद खां बंगस ने बुन्देलखण्ड के नरेश छत्रसाल को अपने अधीन लाने का प्रयास किया, तब छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। 1728 ई. में मराठों ने बुन्देलखण्ड के सभी विजित प्रदेश मुगलों से छीन लिए। छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया। दरबार में एक मुस्लिम नृत्यकी मस्तानी को पेश किया गया। साथ ही कालपी, सागर, झांसी तथा हृदय नगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में दी गई।

➤ गुजरात विजय (1731-38 ई.)

गुजरात से भी मराठे चौथ व सरदेशमुखी वसूल करते थे। शाहूजी ने यहां त्रम्बकराव को नियुक्त किया था। त्रम्बकराव स्वयं गुजरात व मालवा के राजस्व पर अपना अधिकार चाहता था। अतः 1731 ई. में बाजीराव प्रथम ने त्रम्बकराव के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अन्ततः 1738 ई. में गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया गया।

➤ दिल्ली विजय (1737 ई.)

1737 ई. में बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचा, वह वहां केवल 3 दिन ठहरा। मुगल बादशाह मोहम्मदशाह द्वारा मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख वार्षिक धनराशि का आश्वासन दिए जाने पर बाजीराव प्रथम वहां से हट गया। मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के

विरुद्ध भेजा। दोनों पक्षों के बीच 1737 ई. में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई तथा 1738 ई. में हुई दुर्ई सराय की संधि के अनुसार निजाम ने मालवा पर मराठों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया।

➤ बसीन एवं सालसेट विजय (1739 ई.)

1739 ई. में मराठों ने पुर्तगालियों से बसीन एवं सालसेट छीन लिया।

➤ मराठा परिसंधीय व्यवस्था

बाजीराव प्रथम के शासनकाल में रानोजी सिंधिया ने प्रारंभ में उज्जैन फिर ग्वालियर में, मल्हारराव होल्कर ने इन्दौर में, पिलाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा में एवं रघुजी भोसले ने नागपुर में क्षेत्रीय शक्ति अर्जित कर ली।

♦ बालाजी बाजीराव (1740-61 ई.)

बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरान्त उनका पुत्र बालाजी बाजीराव (नाना साहब) पेशवा हुए। इनके काल में मराठा राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ।

➤ संगोला की संधि (1750 ई.)

1750 ई. में बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति राजाराम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई, जिसके अनुसार छत्रपति नाममात्र का राजा रह गया, जबकि वास्तविक शक्ति पेशवा में निहित हो गई।

➤ पूर्वी अभियान (1751 ई.)

1751 ई. में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कर अलीवर्दी खां को पराजित किया। अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र तथा बंगाल व बिहार से चौथ (12 लाख वार्षिक) प्राप्त करने का अधिकार दे दिया।

➤ निजाम से युद्ध (1757-60 ई.)

1745 ई. में निजामुलमुल्क की मृत्यु के पश्चात् हैदराबाद में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में मराठा आक्रमण से बचने हेतु 1752 ई. में भलकी की संधि द्वारा बरार का आधा क्षेत्र मराठों को दे दिया गया। किन्तु शीघ्र ही हैदराबाद में मुजफ्फरजंग का शासन स्थापित होते ही उसने मराठों को 1757 ई. में सिन्दखेड़ के युद्ध में तथा 1760 ई. में उदगीर के युद्ध में चुनौती दी। इन दोनों युद्धों में निजाम की पराजय हुई, अतः विवश होकर निजाम को एक बड़ा क्षेत्र (अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर एवं बीजापुर) मराठों को देना पड़ा।

➤ दिल्ली अभियान (1758 ई.)

अहमदशाह अब्दाली ने 1757 ई. में पंजाब सहित सम्पूर्ण दिल्ली पर अधिकार कर आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट, इमादुलमुल्क को बजीर, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को मीर बख्शी व अपना मुख्य एजेंट तथा तैमूरशाह को पंजाब का गवर्नर बनाकर वापस चला गया। 1752 ई. में हुई संधि के अनुसार मुगल साम्राज्य की रक्षा हेतु, 1758 ई. में मराठा सेनापति रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचे। रघुनाथ राव ने दिल्ली तथा पंजाब पर आक्रमण कर वहां से क्रमशः नजीबुद्दौला व अब्दाली के पुत्र तैमूरशाह को बाहर निकाल दिया। इसके बाद रघुनाथ राव ने पंजाब का गवर्नर अदीना बेग खां तथा उसके बाद में साबाजी सिंधिया को बनाकर दक्कन वापस आ गया। इस प्रकार मराठों का दबदबा कटक से अटक तक हो गया।

➤ पानीपत का तृतीय युद्ध (14 जनवरी, 1761 ई.)

1759 ई. में अहमदशाह अब्दाली ने मराठों को दण्डित करने हेतु पुनः भारत पर आक्रमण किया। जनवरी, 1760 ई. में रास्ते में बरारी घाट के युद्ध में साबाजी सिंधिया व दत्ताजी सिंधिया मारे गए। आगे बढ़कर अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव और विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली भेजी।

पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमदशाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, दुंडी खां आदि ने अहमदशाह अब्दाली का साथ दिया, जबकि मराठों की लूटमार की आदतों से चिढ़कर सूरजमल जाट, सिक्खों और राजपूतों ने मराठों का साथ छोड़ दिया। मराठों के तोफखाने का नेतृत्व इब्राहिम गार्दी खां ने संभाला, किन्तु मराठों की भारी-भरकम तोपें अब्दाली की शुतुरनाल तोपें के मुकाबले बेकार साबित हुई। इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया जैसे महान मराठा सरदार तथा 28,000 मराठा सिपाही मारे गए। मल्हारराव होल्कर युद्ध से भाग गया। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदशाह अब्दाली की विजय हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराम पंडित के शब्दों में “पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ”।

- ♦ माधवराव (1761-72 ई.)

पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो जाने के शोक में शीघ्र ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके उपरान्त मराठों का नेतृत्व पेशवा माधवराव ने संभाला। माधवराव अंतिम महान पेशवा थे, जो मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। इन्हीं के काल में 1772 ई. में मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय को इलाहाबाद से दिल्ली लाया गया तथा मुगल बादशाह ने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। किन्तु 1772 ई. में आकस्मात क्षय रोग से माधवराव की मृत्यु हो गई।

- ♦ नारायणराव (1772-73 ई.)

माधवराव की मृत्यु के बाद उनका छोटे भाई नारायणराव पेशवा बना, किन्तु 1773 ई. में उसके चाचा रघुनाथराव (राघोवा) ने पेशवा की हत्या कर दी।

- ♦ माधव नारायणराव (1774-95 ई.)

नाना फडनवीस की सलाह पर नारायणराव की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायणराव (माधवराव द्वितीय) को पेशवा बनाया गया। इससे रघुनाथराव, जो स्वयं पेशवा बनना चाहता था, ने नाराज होकर मुम्बई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी। उसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने आंग्ल-मराठा संघर्ष की भूमिका तैयार कर दी।

□ आंग्ल-मराठा युद्ध

- ♦ प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82 ई.)

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध रघुनाथराव की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। माधवराव नारायणराव के पेशवा बनने के बाद रघुनाथराव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। बॉम्बे कौन्सिल ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से अनुमति लिए बगैर रघुनाथराव से 1775 ई. में सूरत की संधि कर ली। इसी के साथ प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया।

➤ सूरत की संधि (1775 ई.)

इस संधि में तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथराव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। इसके बदले में अंग्रेजों को सालसेट और बसीन प्राप्त होगा।

➤ पुरंदर की संधि (1776 ई.)

कलकत्ता कौन्सिल ने बम्बई सरकार की सूरत संधि को मानने से इनकार कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुनः मराठों से पुरंदर की संधि की, जिसके अनुसार सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया, अंग्रेज रघुनाथराव को कोई सहायता नहीं देंगे एवं बदले में सालसेट अंग्रेजों को प्राप्त होगा। परन्तु यह संधि लागू नहीं हो पाई, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सूरत की संधि को वैध माना। अतः बम्बई कौन्सिल ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। 1779 ई. में मराठों ने अंग्रेजों को तलगांव के युद्ध में पराजित किया तथा बड़गांव की संधि की।

➤ बड़गांव की संधि (1779 ई.)

इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंबई कौन्सिल द्वारा जीती गई समस्त भूमि लौटानी पड़ी, सालसेट भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया।

वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया तथा पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। इसी समय ब्रिटिश सेना द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84 ई.) में भी उलझी हुई थी। अतः सैन्य दबाव को कम करने हेतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों से संधि करना उचित समझा। अंततः महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेजों तथा पेशवा के मध्य सालबाई की संधि हो गई।

➤ सालबाई की संधि (1782 ई.)

इस संधि के अनुसार माधवराव नारायणराव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया, सालसेट द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ एवं अंग्रेजों ने रघुनाथराव का पक्ष छोड़ दिया।

- ♦ द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1802-05 ई.)

सालबाई की संधि 20 वर्षीय युद्ध विराम थी। शीघ्र ही द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। 1800 ई. तक सभी महत्वपूर्ण मराठा सरदार मर चुके थे। 1794 ई. में महादजी सिंधिया, 1795 ई. में माधव नारायणराव, 1799 ई. में तुकोजी होल्कर तथा 1800 ई. में नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई थी। 1795 ई. में माधव नारायणराव की मृत्यु के उपरान्त बाजीराव द्वितीय पेशवा (अंतिम पेशवा) बना। आपसी विवाद के चलते पेशवा बाजीराव द्वितीय व दौलतराव सिंधिया ने जसवंतराव होल्कर के छोटे भाई विट्ठुजी की हत्या कर दी, जिससे कुद्द होकर जसवंतराव होल्कर ने पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली तथा बसीन की संधि कर ली।

➤ बसीन की संधि (1802 ई.)

इस संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा हेतु पूना में ब्रिटिश रेजिमेंट रख दिया गया, जिसका खर्च बाजीराव द्वितीय को वहन करना था। यह एक सहायक संधि थी। इस संधि के उपरान्त बाजीराव द्वितीय को अपनी गलती का एहसास हुआ। भोंसले एवं सिंधिया ने भी बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया, जबकि होल्कर अंग्रेजों से अलग से संघर्ष कर रहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज्ली ने उत्तरी कमान लॉर्ड लेक तथा दक्षिणी कमान आर्थर वेलेस्टी को सौंपी। अंततः सभी मराठा शक्तियां पराजित हुई तथा विवश होकर उन्हें अंग्रेजों से अलग-अलग संधियां करनी पड़ी।

अंग्रेजों ने भोंसले के साथ देवगांव की संधि (1803 ई.), सिंधिया के साथ सुर्जी अर्जन गांव की संधि (1803 ई.) तथा होल्कर के साथ राजपुर घाट की संधि (1805 ई.) की। इस तरह द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध ने मराठा संघ को कमजोर कर दिया।

- ♦ तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-18 ई.)

1816 ई. में रघुजी भोंसले की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी अल्पवयस्क पुत्र परशुजी बना। परशुजी का संरक्षक उसकी माता बुकाबाई व अप्पा साहब को बनाया गया। अप्पा साहब स्वयं सम्पूर्ण शक्ति अर्जित करना चाहते थे। अतः उसने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने हेतु 1816 ई. में नागपुर की संधि कर ली, जो सहायक संधि थी।

गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के बहाने बाजीराव द्वितीय पर मराठा संघ को समाप्त करने का दबाव डाला। बाजीराव द्वितीय ने इनकार करते हुए संघर्ष प्रारंभ कर दिया, किन्तु वह पराजित हुआ। अंग्रेजों ने 1817 ई. में बाजीराव द्वितीय से पूना की संधि की, जिसके अनुसार मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठुर (कानपुर) भेज दिया गया।

अंग्रेजों ने सिंधिया पर भी सैन्य कार्यवाही कर उसे संधि हेतु विवश किया। 1817 ई. में अंग्रेजों व सिंधिया के मध्य ग्वालियर की संधि हुई, जो सहायक संधि थी। उसी प्रकार होल्कर को भी पराजित कर उसे संधि हेतु विवश किया गया। 1818 ई. में अंग्रेजों व होल्कर के मध्य मंदसौर की संधि हुई, जो सहायक संधि थी।

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध के पश्चात् सतारा का हिस्सा निकालकर शिवाजी के वंशज प्रतापसिंह को दे दिया गया, जबकि शेष भाग को मिलाकर 1818 ई. में मुम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई।

सिक्ख

सिक्ख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली। वस्तुतः सिक्खों का इतिहास सिक्ख के गुरुओं से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिक्ख गुरु हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं –

गुरु नानक (1469-1539 ई.)

जन्म – तलवंडी (ननकाना-पाकिस्तान) | मृत्यु – करतारपुर (डेराबाबा-पंजाब) | जाति – खतरी।

सिक्खों के प्रथम गुरु गुरुनानक थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्होंने के शिष्य सिक्ख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे।

गुरु अंगद (1539-1552 ई.)

इनका मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमूखी लिपि का आविष्कार किया तथा गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया।

गुरु अमरदास (1552-1574 ई.)

ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोइन्दवाल में स्थापित की तथा यहां एक बाबड़ी का निर्माण करवाया। माना जाता है कि इस बाबड़ी का पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। मुगल बादशाह अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइन्दवाल गया तथा अमरदास की बेटी बीबीभानी के नाम कुछ जर्मीन दी।

गुरु रामदास (1574-1581 ई.)

ये भी अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जर्मीन दी, जहां इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया।

गुरु अर्जुनदेव (1581-1606 ई.)

इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने 1589 ई. में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया तथा 1604 ई. में आदिग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुनदेव ने तरनतारन तथा करतारपुर नामक शहर भी बसाए। गुरु अर्जुनदेव ने सिक्खों पर एक अनिवार्य आध्यात्मिक कर (मसनद) लगाया, जो आय का 1/10 भाग होता था। 1606 ई. में खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्युदण्ड दे दिया।

गुरु हरगोविन्द (1606-1645 ई.)

इन्होंने अकालतख्त का निर्माण करवाया तथा सिक्खों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर उन्हें लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था।

गुरु हरराय (1645-1661 ई.)

इनके समय में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ।

गुरु हरकिशन (1661-1664 ई.)

गुरु तेगबहादुर (1664-1675 ई.)

1675 ई. में औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इस्लाम स्वीकार ने को कहा, लेकिन तेगबहादुर के अस्वीकार करने पर उनकी हत्या कर दी गई।

गुरु गोविन्द सिंह (1675-1708 ई.)

ये सिक्खों के 10वें व अन्तिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ई. में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविन्द सिंह ने कृष्ण अवतार तथा विचित्रनाटक (आत्मकथा) नामक ग्रंथ लिखे। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविन्द सिंह ने बहादुरशाह का साथ दिया था। 1708 ई. में नान्देड़ (महाराष्ट्र) नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविन्द सिंह की मृत्यु के पश्चात् गुरु गद्दी समाप्त कर दी गई।

बन्दाबहादुर (1708-1716 ई.)

ये सिक्खों के पहले राजनीतिक नेता हुए, जिन्होंने प्रथम सिक्ख राज्य की स्थापना की। इसने गुरुनानक व गुरु गोविन्दसिंह के नाम के सिक्के चलाए और सिक्ख राज्य के नाम की मुहर बनवाई। बहादुरशाह प्रथम ने 1711 ई. में बन्दाबहादुर को लौहगढ़ के किले में पराजित किया, किन्तु इनका पूरी तरह दमन नहीं किया जा सका। बन्दाबहादुर ने 1712 ई. में लौहगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया। 1715 ई. में फरूखसियर ने सिक्खों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए बन्दाबहादुर के विरुद्ध अभियान किया और लौहगढ़ के किले पर उसे पराजित कर दिया गया। फरूखसियर ने बन्दाबहादुर को दिल्ली में मृत्युदण्ड दे दिया, परिणामस्वरूप सिक्ख नेतृत्वविहन हो गए।

□ रणजीत सिंह (1792-1839 ई.)

बन्दाबहादुर की मृत्यु के बाद सिक्ख 12 मिस्लों में विभाजित हो गए। इनमें से एक सुकरचकिया मिस्ल थी, जिसका प्रमुख रणजीत सिंह हुए। सुकरचकिया मिस्ल का राज्य रावी व चिनाब नदी के मध्य था। 1798-99 ई. में अफगान शासक जमानशाह ने सिक्खों पर आक्रमण किया। रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले जमानशाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ई. में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1802 ई. में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भी भंगी मिस्ल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गई थी।


रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों (फिरोजपुर व लुधियाना, जिन्हें स्थानीय लोग मालवा कहते हैं) को भी जीतना चाहा। सतलज नदी के पूर्वी प्रदेशों के राजाओं ने रणजीत सिंह से भयभीत होकर अंग्रेजों से संरक्षण मांगा। अंग्रेजों को भी उत्तर-पश्चिम से रूसी आक्रमण का भय था, अतः अंग्रेजों ने इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देखा। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिन्टो ने रणजीत सिंह से वार्ता हेतु चाल्स मेटकॉफ को भेजा, साथ ही रणजीत सिंह पर दबाव बनाने हेतु पीछे-पीछे ऑक्टर लोनी को सेना के साथ भी भेजा गया। इससे भयभीत होकर 1809 ई. में रणजीत सिंह ने मेटकॉफ के साथ अमृतसर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। अतः रणजीत सिंह का पूरब की ओर प्रसार रुक गया। रणजीत सिंह ने पश्चिम की ओर सिक्ख राज्य का प्रसार किया तथा 1809 ई. में कांगड़ा जीत लिया।

1800 ई. में शाहशुजा अफगान राज्य का शासक बना, परन्तु 1809 ई. में दोस्त मोहम्मद ने उसे काबुल से विस्थापित कर दिया। शाहशुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी तथा महाराजा को उसने कोहीनूर हीरा भी भेंट किया। रणजीत सिंह वास्तव में उसके नाम का प्रयोग कर मुल्तान, कश्मीर और सिंध नदी के पूर्वी तट के प्रदेश आदि पर विजय करना चाहता था। रणजीत सिंह ने 1818 ई., 1819 ई. तथा 1834 ई. में क्रमशः मुल्तान, कश्मीर तथा पेशावर पर अधिकार कर लिया।

शाहशुजा को रणजीत सिंह से जब कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिला, तो वह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा काबुल के सिंहासन से दोस्त मोहम्मद को हटा देने का निश्चय किया। इस योजना में रणजीत सिंह को भी शामिल होने को कहा। अतः लॉर्ड ऑक्लैण्ड, रणजीत सिंह और शाहशुजा के मध्य 1838 ई. में त्रिपक्षीय संधि हुई। इसी बीच 1839 ई. में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमाण्ट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है।

- ◆ रणजीत सिंह का प्रशासन

रणजीत सिंह निरंकुश होते हुए भी खालसा के नाम पर शासन करते थे। उनकी सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविन्द सिंह के नाम के सिक्के चलाए, किन्तु उन्होंने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया। फकीर अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री तथा दीवान दीनानाथ उनका वित्त मंत्री था।



□ रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी

1839 ई. में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात् सिक्ख दरबार घटयंत्रों व हत्याओं का केन्द्र बन गया था। इसके बाद अगले 6 वर्षों में 4 राजा (क्रमशः खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह व दिलीप सिंह) और 4 वजीर (क्रमशः ध्यान सिंह, हीरा सिंह, जवाहर सिंह व लाल सिंह) बदले गए। सितम्बर 1843 ई. में दिलीप सिंह राजा हुए, उनकी माता रानी जिन्दन संरक्षिका बनी तथा 1845 ई. में लाल सिंह वजीर व तेजा सिंह सेनापति बने।

□ प्रथम आंग्ल सिक्ख युद्ध (1845-1846 ई.)

दिलीप सिंह अल्पवयस्क था और उसकी माता रानी जिन्दन उसकी संरक्षक थी। प्रथम आंग्ल सिक्ख युद्ध महारानी जिन्दन की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश के साम्राज्यवाद का परिणाम था। 1844 ई. में एलनबरो के स्थान पर नया गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया। अंग्रेजों ने सिक्खों के विषय में उत्तेजक बयान दिए। ब्रिटिश ने घोषणा की कि सतलज के पार सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में हैं तथा महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात् यह सभी जप्त हो जाएंगी। फलतः सिक्ख सेना कुद्ध हो गई। इसी समय यह अफवाह भी फैल गई ब्रिटिश पंजाब पर हमला करने वाले हैं। इस तरह 1845 ई. में आंग्ल सिक्ख युद्ध शुरू हो गया।

प्रथम आंग्ल सिक्ख युद्ध में आरंध में चार स्थानों (मुदगी, फिरोजशाह, बुद्दोवाल व अलीवाल) पर लड़ाई हुई, जो कि निर्णायक नहीं रही। पांचवी और अंतिम लड़ाई सोबराओ की लड़ाई (फरवरी, 1846 ई.) निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध में सिक्खों की हार हो गई, जिसका प्रमुख कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह का विश्वासघात था। मार्च, 1846 ई. में अंग्रेजों ने सिक्खों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया।

- ◆ लाहौर की संधि

इस संधि के अनुसार -

- 1) लाहौर में हेनरी लॉरेन्स के नेतृत्व में एक वर्ष के लिए ब्रिटिश रेजीडेण्ट नियुक्त कर दिया गया।
- 2) सिक्खों ने व्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में छोड़ दिया।
- 3) अंग्रेजों ने सिक्खों पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना लगाया, जिसमें से सिक्खों द्वारा 50 लाख रुपए कोष में से तथा शेष रकम के बदले व्यास व सिंध नदी के बीच के पहाड़ी क्षेत्र (कश्मीर व हजारा सहित) अंग्रेजों को सौंप दिए गए।
- 4) अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया।
- 5) सिक्ख सैनिकों की संख्या 12,000 अश्वारोही और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई।
- 6) दिलीप सिंह को महाराजा, रानी जिन्दन को उसकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार कर लिया गया।

इसके कुछ समय पश्चात् ही दिसम्बर, 1846 ई. में भैरोवाल की एक पूरक संधि की गई, जिसके अनुसार रानी जिन्दन की संरक्षिता को समाप्त कर उसे पेंशन देकर शेखपुरा निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश रेजीडेन्ट की अध्यक्षता में एक परिषद को शासन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया। लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत हुआ, जिसका खर्च दिलीप सिंह को देना था।

□ द्वितीय आंग्ल-सिक्ख युद्ध (1848-1849 ई.)

प्रथम युद्ध की पराजय के बाद सिक्ख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। दूसरी ओर नया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी था। वह नए प्रदेश को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहता था। रानी जिन्दन, सिक्ख सरदारों के साथ हुए दुर्व्यवहार तथा मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिक्खों ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कुल 3 युद्ध लड़े गए, जो क्रमशः थे - रामनगर का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध तथा गुजरात का युद्ध हुआ। गुजरात के युद्ध को बेटल ऑफ गन भी कहा जाता है। इन युद्धों में सिक्ख पूरी तरह पराजित हुए तथा 1849 ई. में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैण्ड भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा भी ब्रिटिश महारानी को भेज दिया गया।

ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था

ब्रिटिश आर्थिक नीति के अन्तर्गत मुख्यतः ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था, कृषि का व्यवसायीकरण, वि-औद्योगीकरण, रेलवे का विकास तथा धन का निष्कासन आदि का अध्ययन किया जाता है।

भू-राजस्व व्यवस्था

बक्सर के युद्ध के पश्चात् 1765 ई. में हुई इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में भू-राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यहां क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन पद्धति लागू की गई। इस पद्धति के अन्तर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से भू-राजस्व वसूल करने का अधिकार क्रमशः मुहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय एवं राय दुर्लभ को दिया गया, किन्तु इनके द्वारा अधिकाधिक भू-राजस्व की वसूली करने के क्रम में कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन मिला।

1772 ई. में वॉरेन हेस्टिंग्ज ने द्वैध शासन पद्धति समाप्त कर उसकी जगह पंचशाला बंदोबस्त लागू किया। वॉरेन हेस्टिंग्ज ने कर संग्रहण के अधिकार ऊँची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया। नीलामी में जर्मींदारों को हतोत्साहित किया गया तथा बड़े-बड़े ठेकेदारों को भू-राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अधिकतर ठेकेदार सट्टेबाज थे, उन्हें न तो भूमि की कोई जानकारी थी और न ही उनने कृषकों के हित के लिए कुछ सोचा। इन ठेकेदारों ने कृषकों से अधिकतम कर प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे परेशान होकर कई कृषकों ने खेती करना ही छोड़ दिया। चूंकि नीलामी ऊँची कीमतों पर की गई थी, अतः ठेकेदारों को भी अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था, जिससे ठेकेदारों ने अगली नीलामी में भाग लेने में कम रुचि दिखाई। 1776 ई. में पंचशाला बंदोबस्त की समाप्ति कर एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई, किन्तु यह प्रणाली भी असफल रही। हालात ऐसे हो गए थे कि 1789 ई. में लॉर्ड कार्नवालिस को कहना पड़ा था कि ‘कंपनी के अधीन साम्राज्य का तीसरा भाग केवल उजाड़ रहता था तथा वहां जंगली पशु ही बसते थे।’

इन परिस्थितियों में कंपनी के अधिकारियों ने भू-राजस्व व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक विचार करना प्रारंभ किया, जिससे कुछ परिणाम सामने आए। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू-राजस्व व्यवस्था अपनाई – स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था।

□ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था

स्थायी बंदोबस्त (इस्तमरारी) व्यवस्था लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था 1790 ई. में 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, परन्तु 1793 ई. से इसे स्थायी कर दिया गया। इसमें जर्मींदारों को भू-स्वामी माना गया तथा उन्हें लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा शेष 1/11 भाग जर्मींदारों को प्राप्त होता था। इस व्यवस्था से कुल प्राप्त होने वाले राजस्व हेतु 1790-91 ई. में संग्रह किए गए भू-राजस्व 2 करोड़ 68 लाख रुपए को आधार बनाया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 19 प्रतिशत था।

इस व्यवस्था में 1794 ई. में सूर्यास्त कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार निश्चित तिथि की शाम तक जर्मींदार द्वारा भू-राजस्व अदा नहीं करने पर उसकी जर्मींदारी निलाम कर दी जाती थी।

□ रैयतवाड़ी व्यवस्था

यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ई. में मद्रास के बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। आगे इस व्यवस्था को 1820 ई. में मद्रास में टॉमस मुनरो द्वारा तथा 1825 ई. में मुम्बई में एलफिंस्टन द्वारा (भूमि सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण के पश्चात्) लागू किया गया। कुल मिलाकर यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल तथा असम में लागू की गई, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 51 प्रतिशत था।

इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। लगान का निर्धारण स्थायी न होकर 20-30 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। किसानों को उपज का 1/2 राजस्व के रूप में देना पड़ता था। लगान न अदायगी पर भूमि जप्त की जा सकती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों का सर्वाधिक शोषण हुआ तथा वे लगान अदायगी के लिए महाजनों के चंगुल (ऋणग्रस्तता) में फंसते गए।

□ महालवाड़ी व्यवस्था

यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1822 ई. में पंजाब में हॉल्ट मैकेन्जी ने लागू की। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत व पंजाब प्रांत में लागू की गई, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30 प्रतिशत था। इस व्यवस्था में भू-राजस्व कृषकों या जर्मींदारों से वसूल न कर महाल, अर्थात् - गांव से वसूल किया जाता था। कृषक का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था, बल्कि भूमि का स्वामी समस्त महाल या ग्राम था।

कृषि का व्यवसायीकरण

कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य है – परम्परागत फसलों के बदले नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। यद्यपि व्यवसायीकरण कृषि अर्थव्यवस्था के पूजीवादी रूपान्तरण को प्रोत्साहन देता है, किन्तु ब्रिटिश शासन के तहत् लाए गए व्यवसायीकरण ने भारत में भुखमरी व दर्दीकरण को ही प्रोत्साहित किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हीं फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, जो स्वयं उनकी आवश्यकता के अनुकूल थी, जैसे – नील, अफीम, चाय, कॉफी, जूट, गना आदि। 1773 ई. में बॉरेन हेस्टिंग्स ने अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार में लिया। अफीम का निर्यात मुख्यतः चीन को किया जाता था। कपास उत्पादन हेतु ब्रिटिश पूजी का निवेश नहीं किया गया था।

वि-औद्योगीकरण

वि-औद्योगीकरण का विचार सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने दिया था। भारत में वि-औद्योगीकरण की प्रक्रिया को सबसे अधिक बल 1813 ई. के चार्टर एक्ट से मिला, जिसमें मुक्त व्यापार की नीति को अपनाते हुए भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था। वि-औद्योगीकरण के दुष्परिणामस्वरूप भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौना कहा है।

भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का एक प्रमुख कारण ददनी प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को पेशगी (अग्रिम धन) देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि वे निश्चित तिथि, निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। ऐसा न करने पर जुलाहों का शोषण किया जाता था, जिससे तंग आकर जुलाहों ने अपने हाथ के अंगूठे तक कटवा लिए तथा अपना पेशा छोड़ दिया।

रेलवे का विकास

भारत में रेलवे का विकास 1853 ई. में डलहौजी के काल से प्रारंभ हुआ। पहली रेलवे लाईन 1853 ई. में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा मुम्बई से थाने के बीच, जबकि दूसरी रेलवे लाईन 1854 ई. में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। भारत में रेलवे के विकास का प्रमुख उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा भारत से कच्चे माल को इंग्लैण्ड व इंग्लैण्ड के उद्योगों में निर्मित माल को भारत पहुंचाना था।

प्रारंभ में रेलवे के विकास हेतु सरकार ने गारंटी देकर निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया। इस गारंटी में कहा गया था कि यदि निवेशक को 5 प्रतिशत से कम लाभ प्राप्त होता है, तो उसकी पूर्ति सरकार करेगी और यदि निवेशक को 5 प्रतिशत से अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो सरकार अतिरिक्त लाभ में से आधे की भागीदार बनेगी। भारत में ब्रिटिश पूजी सबसे अधिक रेलवे में तथा इसके पश्चात् चाय, कॉफी, रबर, नील आदि के बगानों के विकास में लगी थी, जबकि अंग्रेजों ने सूती मिलों एवं इस्पात के कारखानों में पूजी निवेश नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश उद्योगों के साथ भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा में शामिल हों।

1853-1869 ई. के दौरान निजी उद्यमों के द्वारा रेलवे लाईन का निर्माण किया गया, जबकि 1869 ई. में रेलवे लाईन बिछाने का कार्य भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1921 ई. में रेलवे पर एकवर्थ कमीशन का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1925 ई. में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। रेलवे के आर्थिक प्रभावों के संबंध में सहचर ने लिखा था कि ‘लौह पथ (रेलवे) के विस्तार का अर्थ लौह बंधन (हथकड़ी) से है।’

धन का निष्कासन

धन निष्कासन से आशय उन समस्त भुगतानों से है, जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के दिए गए। धन निष्कासन का सिद्धान्त सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1867 ई. में अपने लेख ‘इंग्लैण्ड डेव्ट टू इंडिया’ में दिया था। आगे दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तकों ‘द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया’, ‘द वॉन्ट्स एण्ड मीन्स ऑफ इंडिया’, ‘ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया’ आदि में की है। रमेशचन्द्र दत्त ने अपनी पुस्तक ‘इकोनामी हिस्ट्री ऑफ इंडिया’, महादेव गोविन्द रानाडे ने अपनी पुस्तक ‘ऐस्से ऑन इंडियन इकोनामी’ तथा जी. वी. जोशी, पी. सी. राय, ब्रिटिश लेखक डिग्वी ने भी धन निष्कासन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, जबकि सर सैयद अहमद खां ने धन निष्कासन के सिद्धान्त को अस्वीकर किया है।

□ धन निष्कासन के स्रोत

- 1) प्लासी के युद्ध (1757 ई.) के पश्चात् बंगाल की लूट से प्राप्त रकम।
- 2) भारत में अंग्रेजों द्वारा व्यापार, उद्योग, बागान में निवेश की गई पूँजी से प्राप्त आय।
- 3) कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाने वाला लाभांश।
- 4) भारत सरकार के गृह शुल्क (होमचार्ज), जिसमें शामिल था – भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे निर्माण हेतु लगाई गई पूँजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक एवं अन्य सामग्री की लागत, भारत में लड़े गए युद्धों पर व्यय, इंग्लैण्ड में भारत सचिव के ऑफिस का व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले वेतन-भत्ते व पेंशन।

ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया

ब्रिटिश शोषण के विरोधस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को 3 भागों में बांटा जा सकता है – 1857 का विद्रोह (सैनिक विद्रोह), जनजातीय विद्रोह तथा किसान विद्रोह।

1857 का विद्रोह

□ कारण

1857 ई. का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। यद्यपि इसका तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की घटना थी, किन्तु इस विद्रोह के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे –

- दीर्घकालिक कारण
- राजनीतिक कारण

- 1) व्यपगत सिद्धान्त – लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू इस सिद्धान्त के द्वारा देशी राजाओं को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अतः देशी राजाओं में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था।
 - 2) पेंशनों एवं उपाधियों का अन्त – लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब (धोंधू पंत) की पेंशन बंद कर दी तथा कर्नाटक, तन्जौर एवं सूरत के राजाओं की उपाधियों का अन्त कर दिया। उसी प्रकार डलहौजी ने मुगल बादशाह को भी लाल किले से हटने, बादशाह की उपाधि छोड़ने तथा अपना उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार छोड़ने को कहा। डलहौजी की उपर्युक्त नीतियों के विरुद्ध शासकों के साथ-साथ जनता में भी आक्रोश था।
 - 3) अवध का विलय – अवध के अंतिम नवाब वाजिद अलीशाह का पुत्र बिरजिस कादिर वैध उत्तराधिकारी था। व्यपगत सिद्धान्त के अनुसार अवध का विलय नहीं किया जा सकता था। अतः डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 ई. में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इससे आक्रोशित होकर अवध के ताल्लुकदार विद्रोह हेतु अवसर की तलाश में थे।
 - 4) ईनाम कमीशन – 1857 ई. में डलहौजी ने जर्मांदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए ईनाम कमीशन बैठाया तथा जांच के बाद 20,000 जागीरें जब्त कर ली गईं। डलहौजी के इस कार्य के विरुद्ध भी जर्मांदारों में असंतोष था।
 - 5) प्रशासनिक विभेद – ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत नए फौजदारी एवं दीवानी कानून लागू किए गए, न्यायालयों में फारसी के बदले अंग्रेजी को अपनाया गया तथा भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भेदभाव किया गया, परिणामस्वरूप जनता एवं ब्रिटिश सेवाओं में नियुक्त भारतीयों में असंतोष था।
- आर्थिक कारण
 - 1) ब्रिटिश भू-राजस्व नीति – ब्रिटिश भू-राजस्व नीति के अन्तर्गत कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन दिया गया। कृषक ऋणग्रस्तता, खुखमरी, गरीबी एवं दासता के शिकार हुए। साथ ही भू-राजस्व नीति का लाभ परम्परागत जर्मांदारों को भी प्राप्त नहीं हुआ था। अतः कृषि से जुड़े विभिन्न वर्गों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था।

2) **ब्रिटिश औद्योगिक नीति** - ब्रिटिश औद्योगिक नीति के अन्तर्गत भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। अतः इन उद्योगों से जुड़े दस्तकारों, बुनकरों, शिल्पियों आदि वर्गों में भी असंतोष था। उसी प्रकार भेदमूलक आयात एवं निर्यात नीति के कारण भारतीय व्यापारियों में भी अंग्रेजी शासन के विरोध आक्रोश था।

❖ सामाजिक कारण

1) **सती प्रथा का अंत** - 1829 ई. में हिन्दू समाज में प्रचलित सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। भारत की रूढ़िवादी जनता में इसके प्रति आक्रोश था।

2) **हिन्दू पुनर्विवाह अधिनियम (1856 ई.)** - इसके द्वारा विधवा विवाह को वैध बना दिया गया था। अंग्रेजों के इस कार्य के विरुद्ध भी परम्परागत् जनता में असंतोष था।

3) **नस्ल के आधार पर भेदभाव** - ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों को अयोग्य, अक्षम एवं निम्न दर्जे का माना जाता था। इस प्रकार के नस्लीय भेदभाव ने भी जनता में असंतोष को जन्म दिया।

❖ धार्मिक कारण

1) **ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण** - 1813 ई. में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था, जिसे ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन प्राप्त था, इस कारण जनता में असंतोष था।

2) **धार्मिक अयोग्यता अधिनियम (1850 ई.)** - इसके द्वारा यह कानून बना दिया गया कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति से वंचित नहीं होगा। इस प्रकार के कानूनों से अंग्रेजों ने धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया विरोधस्वरूप जनता में आक्रोश था।

3) **भारतीय धर्म की आलोचना** - अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में प्रचलित प्रथाओं व परम्पराओं की हंसी उड़ाई जाती थी तथा भारतीय धर्म की आलोचना की जाती थी। इस कारण भी धार्मिक वर्ग में असंतोष था।

❖ सैनिक कारण

1) **भेदभावपूर्ण व्यवहार** - भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन तथा पदोन्नति में भेदभाव किया जाता था। सेना में सूबेदार से ऊपर के पदों में भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। सेना में भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 6:1 था, जबकि सेना के कुल खर्चों का आधे से अधिक भाग यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था।

2) **धार्मिक मान्यताओं की मनाही** - हिन्दूओं को तिलक लगाने, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने तथा सिक्खों को पगड़ी पहनने से मना किया जाता था।

3) **डाकघर अधिनियम (1854 ई.)** - इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया।

4) **सामान्य सेना भर्ती अधिनियम (1856 ई.)** - इसके अन्तर्गत सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि सरकार को जहां भी आवश्यकता होगी, वे वहां कार्य करेंगे। अतः अब वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे।

❖ तत्कालिक कारण

दिसम्बर, 1856 ई. में सरकार ने पुरानी बन्दूक ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इन्फील्ड रायफल का प्रयोग करना शुरू किया। इस रायफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुँह से काटना पड़ता था। जनवरी, 1857 ई. में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी है। कालांतर में हुई जांच में भी यह सिद्ध हो गया। अतः सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनका धर्म भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है।

□ विद्रोह का प्रसार व पतन

1) **बहरामपुर** - 26 फरवरी, 1857 ई. को बहरामपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, किन्तु उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इस सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया।

2) **बैरकपुर** - 29 मार्च, 1857 ई. को 34वीं रेजीमेंट बैरकपुर के मंगल पाण्डे ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा एडजुरेण्ट लेफिटनेट बाग एवं मेजर सार्जेण्ट ह्यूरसन की हत्या कर दी, किन्तु शीघ्र ही इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया तथा 8 अप्रैल को मंगल पाण्डे को फांसी पर लटका दिया गया।

- 3) मेरठ - 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ के सिपाहियों ने भी चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 9 मई, 1857 ई. को उनमें से 85 को बर्खास्त कर 10 वर्ष की सजा सुनाई गई।
- 4) दिल्ली - मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे, उन्होंने 12 मई, 1857 ई. को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस दौरान दिल्ली शस्त्रागार का प्रमुख लेफ्टिनेन्ट विलोबी ने विरोध किया, परन्तु पराजित हो गया। विद्रोहियों ने बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट तथा बख्त खां को सैन्य कमाण्डर घोषित किया, किन्तु 20 सितम्बर, 1857 ई. को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया, हालांकि इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। बहादुरशाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 ई. में उसकी मृत्यु हो गई।
- 4) अवध (लखनऊ) - यहां 4 जून, 1857 ई. को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। वाजिद अलीशाह की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। इनके प्रमुख सहयोगी मौलवी अहमदुल्ला थे, किन्तु मार्च, 1858 ई. में कैम्पवेल ने यहां के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। लखनऊ में हुए विद्रोह को कुचलने के क्रम में कमिशनर लॉरेन्स की मृत्यु हो गई थी।
- 5) कानपुर - यहां 5 जून, 1857 ई. को अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। उनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे थे, किन्तु दिसम्बर, 1857 ई. तक हेवलाक व कैम्पवेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके पश्चात् तात्या टोपे (मूल नाम रामचन्द्र पाण्डुरंग) ने झांसी की रानी के साथ ग्वालियर में अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, किन्तु पराजित हुए। फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार पद्धति अपनाई, किन्तु अप्रैल, 1859 ई. में सिंधिया के सामन्त मानसिंह ने धोखे से उन्हें अंग्रेजों को सँपै दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई।
- 6) झांसी एवं ग्वालियर - यहां गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी, इसलिए उसने 5 जून, 1857 ई. को विद्रोह कर दिया। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च, 1858 ई. को ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। रानी शत्रु सेना के मध्य से निकलकर कालपी पहुंची, फिर कालपी से भागकर रानी ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में सिंधिया की सेना भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अन्ततः 18 जून, 1858 ई. में ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह झांसी एवं ग्वालियर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था तथा उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था।

विद्रोह के अन्य प्रमुख केन्द्र -

बरेली	- खान बहादुर खान।	इलाहाबाद	- लियाकत अली।
फैजाबाद	- मौलवी अहमद उल्ला।	मथुरा	- देवी सिंह।
आगरा/जगदीशपुर	- कुंवर सिंह।	संबलपुर	- सुरेन्द्र भाई।
मंदसौर	- फिरोजशाह।	असम	- मनिराम दत्ता।
आउवा (जोधपुर)	- ठा. कुशल सिंह।		

विद्रोह के असफलता के कारण

- निश्चित उद्देश्य का अभाव - 1857 ई. के विद्रोह में यह कहना कठिन है कि सभी विद्रोही राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह किया था, जिन्हें अपने लक्ष्य का पता नहीं था। उसी प्रकार नानासाहब पेंशन एवं हजरत महल व झांसी की रानी अपने द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारियों के पक्ष में लड़ रहे थे।
- संगठन का अभाव - इस विद्रोह में शामिल सैनिकों के पास मजबूत केन्द्रीय संगठन का भी अभाव था। सैनिकों ने कमल तथा रोटी के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया। विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गया था। पहले विद्रोह की तिथि 31 मई, 1857 ई. निश्चित की गई थी, किन्तु विद्रोह 10 मई को ही हो गया।
- योग्य नेतृत्व का अभाव - विद्रोहियों में वीरता एवं बहादुरी की भावना थी, किन्तु उनके पास योग्य नेतृत्व का अभाव था। बहादुरशाह जफर ने नेतृत्व संभाल साहस तो प्रदर्शित किया, किन्तु योग्यता नहीं।
- जनसमर्थन का अभाव - 1857 ई. के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों, कृषकों एवं जनजातियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। मध्यम शिक्षित वर्ग ने तटस्थता की नीति अपनाई।

- 5) **विद्रोह का सीमित स्वरूप** - 1857 का विद्रोह भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रहा। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, जयपुर छोड़ सम्पूर्ण राजस्थान एवं दक्षिण भारत में इस विद्रोह का विस्तार नहीं हो सका।
- 6) **देशी नरेशों एवं सामन्तों की गद्दारी** - पंजाब के सिक्ख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सालारजंग, भोपाल की बेगम और नेपाल के मंत्री जंगबहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेजों के साथ थी।
- 7) **दिल्ली का स्ट्रेटेजिक महत्व न समझना** - दिल्ली शक्ति की रीढ़ और भारत पर शासन का केन्द्र थी। अंग्रेज इसे समझते थे। फलतः अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली में अपनी टूप भेजकर दिल्ली को घेरा व उस पर अधिकार किया।
- 8) **सैन्य दृष्टिकोण** - भारतीय सैनिकों के पास जहां काफी कम बंदूकें थीं और प्रायः वे तलवारों व भालों से लड़े, वहीं अंग्रेजी सेना आधुनिकतम हथियारों से लैस थी। उसी प्रकार रेलवे एवं विद्युत तार व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश सेनापति न केवल विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत रहे, बल्कि त्वरित गति से विद्रोह को कुचलने में भी सफल रहे।
- 9) **आधारभूत सामरिकी का प्रयोग नहीं करना** - विद्रोहियों ने ब्रिटिश लाइन के Vital केन्द्रों - मिलिट्री केन्द्रों, पुलों तथा संचार साधनों को नष्ट करने जैसी आधारभूत सामरिक कार्यवाहियों का संचालन नहीं किया।
- 10) **कमाण्ड की एकता का अभाव** - विद्रोहियों के पास निश्चित केन्द्रीकृत कमाण्ड की एकता का अभाव था।
- 11) **अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व** - 1857 ई. के विद्रोह के समय परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थीं। क्रीमिया तथा चीन की लड़ाइयों का अंत हो चुका था। साथ ही अंग्रेजी सरकार को नील, आऊट्रम, लारेन्स, हेवलाक, हूरोज, निकोलसन, कैम्पवेल जैसे सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिन्हें कई युद्धों का अनुभव था।

□ विद्रोह का स्वरूप

1857 ई. के विद्रोह के स्वरूप निर्धारण आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या रही है। इसका कारण है कि इसके अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री का अभाव। वस्तुतः बहुत से विद्रोहियों ने पकड़े जाने के भय से कागजातों को पहले ही नष्ट कर दिया। जो थोड़ी-बहुत सामग्री प्राप्त हुई, उसमें भी पर्याप्त संगति नहीं है। विभिन्न विद्वानों के विचार -

- 1) लौरेन्स, सीले, होम्ज व सर सैयद अहमद खां - सैनिक विद्रोह।
सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे।
- 2) आऊट्रम व टेलर - हिन्दू-मुस्लिम घट्यंत्र।
- 3) टी. आर. होम्ज - बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध।
- 4) एल. ई. आर. रीज - धर्मान्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध।
- 5) बेन्जामिक डिजरेली - राष्ट्रीय विद्रोह।
- 5) अशोक मेहता (पुस्तक - The Great Rebellion) - राष्ट्रीय विद्रोह।
- 7) शशिभूषण चौधरी (पुस्तक - Civil Rebellion in Indian Mutinies, 1857-59) - कृषक विद्रोह।
- 8) वी. डी. सावरकर (पुस्तक - Indian War of Independence) - सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई।
- 9) एस. एन. सेन (पुस्तक - Eighteen Fifty Seven) - न तो राष्ट्रीय, न ही सैनिक।
एस. एन. सेन 1857 के विद्रोह के स्वरूप पर सरकार द्वारा नियुक्त इतिहासकार थे।
- 10) आर. सी. मजूमदार (पुस्तक - Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857) - तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। न प्रथम, न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
- 11) पी. सी. राय (पुस्तक - Rebellion 1857) - मार्क्सवादी दृष्टिकोण।

□ महत्व

1857 ई. के विद्रोह ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक है। 1857 ई. के विद्रोह से भारतीयों में राष्ट्रीय बीजारोपण हुआ। इस विद्रोह ने उन्हें एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाया और राष्ट्रीय जीवन में यह उनकी प्रेरणा का स्रोत बना।

परिणाम

इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया तथा विक्टोरिया की घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवम्बर, 1858 ई. को इलाहाबाद में पढ़ा, के अनुसार –

- 1) भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राऊन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा।
- 2) इस घोषणा के द्वारा अब सरकार भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी हो गई।
- 3) सरकार ने डलहौजी की हड्डपने की नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार दे दिया।
- 4) भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई।
- 5) घोषणा-पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
- 6) भारत का प्रशासन चलाने हेतु लंदन में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद् बनाई गई, जिसमें 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा एवं 7 की कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा होनी थी।
- 7) इस विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी। अतः सेना के संबंध में भी कई प्रावधान किए गए, जैसे – प्रथम, बंगाल प्रेजिडेन्सी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2, तथा मद्रास व बम्बई प्रेजिडेन्सियों में 2:5 निश्चित कर दिया गया। द्वितीय, सेना और तोपखाने में ऊँचे पद केवल यूरोपीयों के लिए ही आरक्षित कर दिए गए। तृतीय, विद्रोह के पहले सेना में बंगाल एवं अवध के सैनिक सर्वाधिक होते थे, परन्तु विद्रोह के पश्चात् उनकी संख्या घटा दी गई और उनकी जगह पंजाब एवं गोरखा सैनिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई।

जनजातीय विद्रोह

विद्रोह	समय	स्थान	नेतृत्व
संथाल विद्रोह	1855-56	बिहार	सिद्धू और कानू
मुण्डा विद्रोह	1895-1900	छोटा नागपुर	बिरसा मुण्डा
कोल विद्रोह	1829-39	छोटा नागपुर	बुद्धो भगत
रमोसी विद्रोह	1822-25	महाराष्ट्र	चित्तर सिंह
भील विद्रोह	1825	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/राजस्थान	सेवरम

नागरिक विद्रोह

विद्रोह	समय	स्थान	नेतृत्व
संन्यासी विद्रोह	1770	बंगाल	संन्यासियों द्वारा
पागलपंथी विद्रोह	1813-1831	बंगाल	टीपू मीर
वहाबी आंदोलन	1830-60	पटना	सैयद अहमद
कूका आंदोलन	1840-72	पंजाब	रामसिंह
दीवान बेलाथम्पी का विद्रोह	1805	त्रावणकोर	दीवान बेलाथम्पी

किसान विद्रोह

विद्रोह	समय	स्थान	नेतृत्व
फराजी विद्रोह	1837-38	बंगाल	दादूमिंया
नील विद्रोह	1859-1860	बंगाल	दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास
पाबना विद्रोह	1873-76	बंगाल	ईशानचंद्र राय
मोपला विद्रोह	1875	केरल	-

20वीं सदी के कृषक आंदोलन

चंपारण आंदोलन	1917	बिहार	महात्मा गांधी
खेड़ा आंदोलन	1918	गुजरात	महात्मा गांधी
मोपला आंदोलन	1921	केरल	अली मुसलियार
एका आंदोलन	1921-22	अवध	मदारी पासी
बिजौलिया आंदोलन	1921-22	मेवाड़ (राजस्थान)	विजयसिंह पथिक
बारदोली आंदोलन	1928	गुजरात	सरदार बल्लभभाई पटेल
तेभागा आंदोलन	1946-47	बंगाल	-

सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन

19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष महत्व है। इस आन्दोलन ने भारतीयों को आत्मचिंतन करने हेतु प्रेरित किया। इस आन्दोलन को प्रेरणा पाश्चात्य शिक्षा एवं उदारवादी विचारधारा से प्राप्त हुई। विश्ववादी नजरिया, तर्क-बुद्धिवाद, मानववाद, अतीत की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या आदि इस आन्दोलन की प्रमुख विशेषताएँ थीं। इस आन्दोलन ने बुद्धिजीवियों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को तो प्रभावित किया, किन्तु निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं। सामाजिक-धार्मिक आन्दोलन से जुड़े समर्थकों तथा संस्थाओं के कार्यों को निम्नानुसार देखा जा सकता है –

□ राजा राममोहन राय

राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगम्बर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता एवं भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहु-भाषाविद् थे, उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लेटिन, जर्मन, हिन्दी, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था।

राजा राममोहन राय का पहला ग्रंथ 1809 ई. में फारसी भाषा में तोहफत-उल-मुहदीन (एकेश्वरवादियों को उपहार) प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उन्होंने 1814-15 ई. में आत्मीय सभा गठित की तथा 1816 ई. में वेदांत सोसायटी की स्थापना की। उन्होंने 1817 ई. में डच घड़ी साज डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना की। उसी प्रकार 1825 ई. में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की।

राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त, 1828 ई. को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने जातिप्रथा, बाल-विवाह, सतीप्रथा, मूर्तिपूजा, पुरोहितवाद आदि का विरोध किया तथा जाति समानता, लिंग समानता, पाश्चात्य शिक्षा, एकेश्वरवाद उपनिषदों में प्रतिपादित विश्व आत्मा आदि का समर्थन किया। राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ई. में बंगाल में सतीप्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1830 ई. में यह प्रतिबंध बम्बई एवं मद्रास प्रेसीडेंसी में भी लागू हो गया।

राजा राममोहन राय ने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी, फारसी में मिरात-उल-अखबार, अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन भी निकाली तथा ईसाई धर्म पर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी तथा मुगल दरबार की ओर से इंग्लैण्ड भेजा। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे, जो समुद्री मार्ग से इंग्लैण्ड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। 1833 ई. में ब्रिस्टल (इंग्लैण्ड) में उनकी मृत्यु हुई।

□ देवेंद्रनाथ टैगोर

राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। 1839 ई. में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी तथा तत्व बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1856 ई. में देवेंद्रनाथ टैगोर पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशवचंद्र सेन के हाथ में आ गया।

□ केशवचंद्र सेन

केशवचंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया, किन्तु केशवचंद्र का रुख अधिक परिवर्तनवादी था। वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से अलग ले जाना चाहते थे। 1865 ई. में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से केशवचंद्र सेन को अपदस्थ कर दिया। अब केशवचंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन कर लिया, जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया, यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। 1872 ई. में केशवचंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रह्म विवाह एक्ट (नेटिव मेरिज एक्ट) पारित हुआ, जिसमें विवाह हेतु बालिका एवं बालक की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निश्चित की गई। 1878 ई. में भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन तब हुआ, जब केशवचंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूचबिहार के राजा के साथ कर दिया, इसके विरोध स्वरूप शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली।

□ प्रार्थना समाज

प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ई. में बम्बई में केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से डॉ. आत्माराम पाण्डुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे (महाराष्ट्र के सुकरात) को जाता है। इनका एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया।

रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए पुणे में दक्षकन एजूकेशनल सोसायटी तथा विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। महाराष्ट्र की एक प्रतिभाशाली महिला पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

□ रामकृष्ण मिशन

रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ई. में कलकत्ता (वेलूर मठ) में स्वामी विवेकानन्द ने की थी। स्वामी विवेकानन्द के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस तथा रामकृष्ण परमहंस की पत्नि का नाम शारदामणि था। विवेकानन्द 1893 ई. में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि हमें भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है। वे समस्त संसार के लिए एक ऐसी संस्कृति की परिकल्पना करते थे, जिसमें पश्चिम के भौतिकवाद तथा पूर्व के आध्यात्मवाद का ऐसा सम्मिश्रण हो, जो समस्त संसार को प्रसन्नता दे सके। विवेकानन्द ने 1900 ई. में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्वधर्म सम्मेलन में भी भाग लिया।

विवेकानन्द ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों हैं व उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतिकों के रूप में की जा सकती है। इसी कारण विवेकानन्द को 19वीं शताब्दी के नवहिन्दू जागरण का संस्थापक कहा जाता है।

□ आर्य समाज

आर्य समाज की स्थापना 1875 ई. में बम्बई में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की थी। 1877 ई. में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। आर्य समाज आन्दोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उनके बचपन का नाम मूलशंकर तथा गुरु का नाम विरिजानन्द था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वे मूर्तिपूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबलि, श्राद्ध, तंत्र-मंत्र तथा द्वृठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे, जबकि वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद् को भी स्वीकार करते थे। उन्होंने छूआछूत तथा जाति व्यवस्था का विरोध किया परन्तु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आन्दोलन चलाया, जिसके द्वारा ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया। दयानन्द सरस्वती के सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं।

स्वामी दयानन्द ने वेद भास्य, वेद भास्य भूमिका तथा पाखण्ड-खण्डिनी-पताका जैसी पुस्तकें लिखीं तथा गौरक्षा समिति बनाई। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना। उन्होंने स्वशासन का समर्थन किया तथा कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। आचार्य दयानन्द सरस्वती की मृत्यु 1883 ई. में अजमेर में हो गई। 1907 ई. में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल-पुथल की जांच करने आए वेलेन्टाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था।

शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी या हिन्दी भाषा को अपनाए जाने के प्रश्न पर मतभेद हो गया। लाला हंसराज (अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक) ने 1886 ई. में लाहौर में दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज (DAV) की, जबकि स्वामी श्रद्धानन्द व मुंशीराम ने 1902 ई. में हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की।

□ थियोसोफिकल सोसायटी

थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना 1875 ई. में मैडम एच. पी. ब्लॉवेट-स्की व अमेरिकी कर्नल ऑलकार्ट ने न्यूयार्क में की थी। 1882 ई. में उन्होंने अपनी सोसायटी का मुख्य कार्यालय मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया। आयरिश महिला ऐनी बेसेन्ट ने 1888-89 ई. में सोसायटी की सदस्या बनी। ऐनी बेसेन्ट नवम्बर, 1893 ई. में भारत आ गई और उन्होंने पूरे भारत में इसका प्रचार-प्रसार किया।

ऐनी बेसेन्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बनारस में 1898 ई. में सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना था। इसी कॉलेज को 1916 ई. में मदनमोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता ऐनी बेसेन्ट ही थी।

□ यंग बंगल आन्दोलन

इसके प्रवर्तक एक एंग्लो इंडियन युवक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। उन्होंने कलकत्ता में डिवेटिंग क्लब की स्थापना की। डेरोजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। वे फ्रांस की क्रांति से अतिशय प्रभावित थे और अपने समय में सबसे ज्यादा अतिवादी विचार रखते थे।

□ पारसी सुधार आन्दोलन

1851 ई. में बम्बई में रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, एस. एस. बंगाली द्वारा किया गया।

□ अलीगढ़ आन्दोलन

सर सैयद अहमद खां ने 1875 ई. में अलीगढ़ मुस्लिम एंगलो ओरिएन्टल स्कूल आरंभ किया, जहां पाश्चात्य विषय, विज्ञान और मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यही केंद्र आगे चलकर 1920 ई. में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब-उल-अखलाक द्वारा किया। वे पर्दा प्रथा के विरोधी थे तथा कुरान की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत की। नवाब अब्दुल लतीफ ने 1863 ई. में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। 1888 ई. में एंगलो-मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन तथा पेट्रियोटिक एसोसिएशन (बनारस के राजा शिवप्रसाद की सहायता से) की स्थापना की।

□ बहाबी आन्दोलन

मुस्लिमों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया बहाबी आन्दोलन में हुई। इस आन्दोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका उद्देश्य मुहम्मद साहब के द्वारा प्रतिपादित इस्लाम को पुनर्जीवित करना था।

□ देवबंद आन्दोलन

मोहम्मद कासिम ननौत्ती और अब्दुल रशीद गंगोही इस आन्दोलन के संस्थापक थे। यह आन्दोलन अंग्रेजी व्यवस्था तथा अलीगढ़ आन्दोलन का विरोधी था तथा परम्परागत इस्लाम में विश्वास रखता था।

□ अहमदिया आन्दोलन

इसकी स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस आन्दोलन ने शुद्धि आन्दोलन तथा ईसाइयत के विस्तार पर रोक लगाई थी।

आन्दोलन का नाम	वर्ष	स्थान	संस्थापक
द सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी (भारत सेवक संघ)	1905	बम्बई	गोपाल कृष्ण गोखले
सोशल सर्विस लीग	1911	बम्बई	एन. एम. जोशी
देव समाज	1887	लाहौर	शिवनारायण अग्निहोत्री
राधा स्वामी सत्संग	1861	आगरा	शिवदयाल साहब
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेन्स	1887		एम. जी. रानाडे
पूना सेवा सदन	1909	पूना	रमाबाई रानाडे

- सतीप्रथा - राजा राममोहन राय के प्रयासों के परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंग के समय 1829 ई. में नियम-17 द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सतीप्रथा को बंद कर दिया गया। आगे 1830 ई. में यह प्रतिबंध बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। राधाकान्त देव ने 1830 ई. में धर्म सभा की स्थापना करके सतीप्रथा का समर्थन किया। इस प्रकार राधाकान्त देव ने सामाजिक व धार्मिक सुधारों का विरोध तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया।
- ठगी प्रथा - 1830 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंग के समय कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों का दमन कर दिया गया।
- शिशु वध - शिशु वध प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी, वे कन्याओं को जन्म लेते ही मार डालते थे। 1795 ई. में गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय नियम-21 तथा 1802 ई. में वेलेजली के समय नियम-6 के द्वारा शिशु वध को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- नर बलि प्रथा - 1845 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय एक अधिकारी कैम्पबेल की सहायता से खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- दास प्रथा - मध्य काल में फिरोजशाह तुगलक तथा अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आधुनिक काल में 1789 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। आगे 1843 ई. में गवर्नर जनरल एलनबरो के समय नियम-5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- विधवा पुनर्विवाह - ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय पारित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम-15 द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक बना दिया गया। विधवाओं के कल्याण हेतु विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ई. में बम्बई में विधवा पुनर्विवाह सभा (विडो रीमैरिज एसोसिएशन) की स्थापना की। उसी प्रकार डी. के. कर्वे ने

1899 ई. में पूना में विधवा आश्रम तथा 1906 ई. में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महाराष्ट्र में एक अन्य समाज सुधारक गोपालहरि देशमुख थे, जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता था।

- **सिविल मैरिज एक्ट/नेटिव मैरिज एक्ट (1872 ई.)** - इस अधिनियम द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी विवाह को भी गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।
- **सम्पत्ति आयु अधिनियम (1892 ई.)** - यह अधिनियम बम्बई के पारसी बहरामजी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था।
- **शारदा अधिनियम (1929 ई.)** - यह अधिनियम अजमेर के शिक्षाविद् डॉ. हरविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 एवं 18 वर्ष कर दी गई।

जातीय आन्दोलन

□ ज्योतिबा फूले

जातीय आन्दोलन का सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन ज्योतिबा फूले ने चलाया। इन्होंने 1873 ई. में सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। इस आन्दोलन का लक्ष्य ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जातियों की रक्षा करना था। इन्होंने मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका निकाली।

□ डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर एक अस्पृश्य जाति महार से संबंधित थे। इन्होंने 1920 ई. में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन (अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ) की स्थापना की। 1924 ई. में अम्बेडकर ने मुम्बई में बहिष्कृत हितकारणी सभा की स्थापना की तथा बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने 1942 ई. में अनुसूचित जाति परिसंघ की भी स्थापना की। अन्ततः अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म का त्यागकर बौद्ध धर्म अपना लिया था।

□ महात्मा गांधी

गांधीजी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाया। उन्होंने 1932 ई. में अखिल भारतीय हरिजन संघ (हरिजन सेवक संघ) की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधीजी ने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली। गांधीजी ने 1932 ई. में ही अस्पृश्यता विरोधी लीग तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की भी स्थापना की।

□ जस्टिस आन्दोलन

1915-16 ई. में मद्रास में सी. एन. मुदलियार, टी. एम. नायर और त्यागराज चेट्टी ने जस्टिस आन्दोलन की शुरुआत की थी।

□ आत्मसम्मान आन्दोलन

1920 के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आन्दोलन की शुरुआत की थी। इस आन्दोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरन प्रवेश करने तथा मनुस्मृति को जलाने का कार्य किया जाता था। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है।

आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास

प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के विकास में दिलचस्पी नहीं दी, किन्तु आगे 1781 ई. में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसमें फारसी, अरबी एवं मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी और यहां के स्नातकों को दुभाषिए के रूप में नियुक्त किया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही 1784 ई. में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की तथा अभिज्ञान शाकुंतलम् व गीत गोविन्द का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इसी समय 1784 ई. में चाल्स विल्किंस द्वारा भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। चाल्स विल्किंस ने हितोपदेश का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है, जिसका अनुवाद 1776 ई. में संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेन्युलॉज के नाम से हुआ था।

1792 ई. में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। चाल्स ग्रांट प्रथम अंग्रेज थे, जिन्होंने शिक्षा के प्रसार हेतु अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त माध्यम बताया। अतः चाल्स ग्राण्ट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 1800 ई. में लॉर्ड वेलेजली ने असैनिक अधिकारियों (ICS) की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किन्तु 1802 ई. में इसे बंद कर इसकी जगह 1806 ई. में इंग्लैण्ड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 1813 ई. के चार्टर अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक लाख रुपए दिए गए। 1817 ई. में डेविड हेयर और एलेकजेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की।

भारत में शिक्षा के विकास हेतु 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्यों प्रिंसेप, विल्सन आदि ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन कर देशी भाषा में, जबकि मुनरो, एलफिस्टन व मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की। मैकाले का मानना था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार द्वारा एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहिए, जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, परन्तु विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने 1835 ई. में मैकाले शिक्षा पद्धति (अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली) को स्वीकार कर लिया। यहाँ से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुसार भारत में यूरोप के साहित्य का प्रसार अंग्रेजी भाषा में करना था। योजना यह थी कि अंग्रेजी शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन-छनकर ही शिक्षा का असर जन-सामान्य तक पहुंचे। इस सिद्धान्त को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धान्त (The Theory of Downward Infiltration) कहा गया। 1835 ई. में ही विलियम बैंटिक द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई।

1847 ई. में जेम्स टॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जो भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। 1854 ई. में बुड डिस्पैच लाया गया, जो विश्वविद्यालय स्तर तक ही संबंधित था। बुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया। इसकी सिफारिश पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 1857 ई. में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मुम्बई व मद्रास में की गई।

1882 ई. में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हेतु हंटर कमीशन गठित किया गया। 1902 ई. में कर्जन ने टॉमस रैले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया, जिसकी सिफारिश पर 1904 ई. में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 1917 ई. में सैडलर आयोग, 1929 ई. में हार्टोंग समिति, 1937 ई. में वर्धा योजना (गांधीजी के सिद्धान्तों पर आधारित), 1944 ई. में सार्जेट योजना तथा 1948 ई. में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 ई. में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की गई।

अकाल आयोग

स्ट्रेची आयोग (1880 ई.)

1877 ई. के अकाल के बाद लॉर्ड लिटन द्वारा 1880 ई. में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया, जो भारत का प्रथम अकाल आयोग था। इस आयोग के अनुशासा पर 1883 ई. में अकाल संहिता तैयार की गई।

मैकडॉनेल आयोग (1900 ई.)

1900 ई. में लॉर्ड कर्जन ने सर एन्टोनी मैकडॉनेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने दुर्भिक्ष आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की।

दिल्ली दरबार

प्रथम दिल्ली दरबार (1877 ई.)

इसका आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया तथा उसे केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई।

द्वितीय दिल्ली दरबार (1903 ई.)

इसका आयोजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसमें एडवर्ड सप्तम भारत आए थे।

तृतीय दिल्ली दरबार (1911 ई.)

इसका आयोजन लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था, जिसमें जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इसी दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी।

भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास

भारत में प्रेस की स्थापना पुतर्गालियों ने की थी। 1557 ई. में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। भारत का प्रथम समाचार 1780 ई. में पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्टण्ड था, जिसका प्रकाशन 1826 ई. में कानपुर से जुगल किशोर ने किया था। सर्वप्रथम समाचार एजेंसी रायटर थी, जिसकी स्थापना 1860 ई. में की गई।

दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित उपन्यास नीलदर्पण नील कृषकों की दुर्दशा (नील आंदोलन - 1860 ई.) का वर्णन करता है। हरिशचंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन (1860) का अपने समाचार पत्र हिंदु पैट्रियॉट द्वारा जमकर समर्थन किया। बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनन्दमठ में संन्यासी विद्रोह का वर्णन किया। राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु मैथली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई। क्रिस्टोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता राजकुमार कहा जाता है। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे।

सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मार्ड इक्सपेरिमेंट विथ टुथ मूलरूप से गुजराती में लिखी थी। द इंडियन ओपीनियन पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था (उर्दू में नहीं)। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी।

आमार सोनार बंगला नामक गीत रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी आंदोलन में सामूहिकता की भावना लाने के लिए लिखा गया था। कालांतर में यही गीत बांगलादेश का राष्ट्रगान बना। जन-गण-पन... के रचयिता भी रवींद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। इस प्रकार रवींद्रनाथ टैगोर विश्व के ऐसे व्यक्ति है, जिनके लिखे गीत दो देशों के राष्ट्रगान बने। वंदे मातरम्... गीत की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की है, जो कि भारत का राष्ट्रगीत है। सारे जहां से अच्छा... गीत इकबाल ने लिखा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा... गीत (झंडागीत) श्यामलाल पार्बद ने लिखा है। ऐ मेरे बतन के लोगों... गीत कवि प्रदीप ने लिखा है। सरफरोशी की तमना... गीत रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है।

पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें 1882 ई. में केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों के अनुचित व्यवहार के विरोध में लेख लिखने के कारण सजा दी गई थी। आगे 1897 ई. में तिलक को अपने पत्र केसरी में रेंड एवं एयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराने के कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। 1908 ई. में तिलक को पुनः केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई तथा माण्डले जेल में रखा गया। माण्डले प्रवास के दौरान ही तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। लंदन टाइम्स के संवाददाता तथा इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेन्टाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तिलक के अलावा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को 1883 ई. में अपने पत्र बंगाली में इलबर्ट बिल विवाद के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जे. एफ. मारिश की आलोचना करने पर 2 माह की सजा दी गई थी।

सर्वप्रथम 1799 ई. में सभी समाचार पत्रों पर लॉर्ड वेलेजली ने सेंसरशिप लागू की थी। आगे लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में प्री-सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था, किन्तु 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने भारतीय पत्रकारिता पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, किन्तु समाचार पत्रों पर लगे नियमों को रद्द करने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉक को प्राप्त हुआ। 1836 ई. में चॉल्स मेटकॉफ ने सभी समाचार पत्रों को ब्रिटिश प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किन्तु 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए इसी वर्ष लाइसेंसिंग अधिनियम लागू कर भारतीय पत्रकारिता पर पुनः कई प्रतिबंध लगा दिए गए। आगे 1867 ई. के अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-124 में नई धारा-124(ए) जोड़ दी गई, जिसके तहत राजद्रोहियों को आजीवन निर्वासन अथवा जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता था।

भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा देशी भाषा समाचार अधिनियम (The Vernacular Press Act - 1878) लाया गया, जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को स्थानिय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को जप्त करने का अधिकार दिया गया। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था और उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम (Gagging Act) कहा गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 'सोमप्रकाश' पर लागू हुआ। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना प्रकाशन बंगाली से अंग्रेजी में आरंभ कर दिया था। 1882 ई. में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को रद्द कर दिया गया।

इसी प्रकार भारतीय पत्रकारिता को नियंत्रित करने हेतु 1908 ई. एवं 1910 ई. में भी अधिनियम पारित किए गए। आगे 1921 ई. में समाचार पत्रों संबंधी सभी प्रकार के कानूनों की समीक्षा हेतु सर तेजबहादुर सपू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी का गठन किया गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर 1908 ई. तथा 1910 ई. के प्रेस अधिनियम रद्द कर दिए गए। किन्तु 1931 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रारंभ होते ही भारतीय समाचार पत्रों पर पुनः प्रतिबंध लगाने हेतु 1910 ई. के अधिनियम को लागू कर दिया गया। आगे 1947 ई. एवं 1951 ई. में समाचार पत्र अधिनियम पारित किए गए, जिनकी धाराएं वर्तमान में लागू हैं।

आधुनिक भारत में समाचार पत्र

समाचार पत्र	संपादक	समाचार पत्र	संपादक
बंगल गजट	जेम्स ऑगस्टस हिक्की	केसरी (मराठी)	बालगंगाधर तिलक
संवाद कौमुदी (बंगाली)	राजा राममोहन राय	मराठा (अंग्रेजी)	
मिरात-उल-अखबार (फारसी)		आर्कटिक होम ऑफ द वेज	
परसेप्टस ऑफ जीसस		गीता रहस्य	
गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट		न्यू इंडिया	विपिनचंद्र पाल
रोस्ट गोप्तार	दादाभाई नरोजी	बंदे मातरम्	
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया		बंदे मातरम्	अरविन्द घोष
वायस ऑफ इंडिया		भवानी मंदिर	
हिंदू पैट्रियट	क्रिस्टोदास पाल, हरिचन्द्र मुखर्जी व ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड द लाइफ डिवाइन	
सोम प्रकाश	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	बंदे मातरम्	मैडम भीकाजी कामा
अमृत बाजार पत्रिका	शिशिर कुमार घोष व मोतीलाल घोष	भवानी मंदिर	वारींद्र कुमार घोष
दि हिंदू	वीर राधवाचारी	युगांतर	वारींद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त
बॉम्बे क्रॉनिकल	फिरोज शाह मेहता	संध्या	ब्रह्मोबान्धव उपाध्याय
कॉमनवील	एनी बेसेंट	फिलॉसफी ऑफ बम	भगवती चरण बोहरा
न्यू इंडिया		तलवार	वीरेंद्रकुमार चट्टोउपाध्यय

समाचार पत्र	संपादक
सोशलिस्ट	एस. ए. डांगे
इंडिपेंडेंट	मोतीलाल नेहरू
द नेशनल हेरॉल्ड	जवाहरलाल नेहरू
डिस्कवरी ऑफ इंडिया	
बंगाली	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
ए नेशन इन द मेकिंग	
अल हिलाल	अबुल कलाम आजाद
इंडिया विन्स फ्रिडम	
पंजाब केसरी	लाल लाजपत राय
पंजाबी	
अनहैप्पी इंडिया	
यंग इंडिया (अंग्रेजी)	महात्मा गांधी
हरिजन (अंग्रेजी, हिन्दी व गुजराती)	
नवजीवन (हिन्दी व गुजराती)	
हिंद स्वराज (गुजराती)	
माय एक्सप्रेसिमेंट विथ ट्रूथ (गुजराती)	
इंडियन ओपीनियन (अंग्रेजी)	
उदन्ड मार्टन्ड (हिन्दी)	जुगल किशोर
इंडियन सोशियोलोजिस्ट	श्यामजी कृष्ण वर्मा
बंदी जीवन	सर्चोदानाथ सान्याल
इंडियन स्ट्रगल (आत्मकथा)	सुभाषचंद्र बोस
निबंधमाला	विष्णुशास्त्री चिपलुंकर
डॉन	सतीशचंद्र मुखर्जी
दीनबंधु	एन. एम लोखंडे
दीनमित्र	मुकुंदराव पाटिल
तहजीब-उल-अखलाक	सर सैय्यद अहमद खां
इंडियन मुसलमान	डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया	आर. सी. दत्त
संजीवनी	कृष्णकुमार मित्र
कुदी आरसु	पेरियार नायकर
गोरा, घारे बाझेर	रविंद्रनाथ टैगोर
लेटर्स फ्राम रूस	
साधना	
इंडियन मिरर	देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष व केशवचन्द्र सेन
सुलभ समाचार	केशवचन्द्र सेन

समाचार पत्र	संपादक
गुलामगिरी	ज्योतिबा फूले
कॉमरेड	मुहम्मद अली
हमदर्द	
पञ्चून	खान अब्दुल गफ्फार खान
व्हाय सोशलिज्म	जय प्रकाश नारायण
नील दर्पण	दीनबंधु मित्र
ट्रिब्यून	लाला हरकिशनलाल
इंडिया ट्रुडे	आर. पी. दत्त
फ्री हिंदुस्तान	तारकनाथ दास
इंडिया अनरेस्ट	वेलेनटाइन शिरोल
सत्यार्थ प्रकाश	दयानन्द सरस्वती
इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस	बी. डी. सावरकर
इंडिया डिवाइडेड	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रताप	गणेश शंकर विद्यार्थी
द लीडर	मदनमोहन मालवीय
हिन्दुस्तान	
हिन्दुस्तान	प्रताप नारायण मिश्र
बहिष्कृत भारत	बी. आर. अम्बेडकर
सुधारक	गोपाल कृष्ण गोखले
सर्च लाइट	सच्चिदानन्द सिन्हा
द ब्रोकेन विंग	सरोजनी नायडू
देवी चौधरानी, दुर्गेश नन्दनी	बंकिमचंद्र चटर्जी
आनन्द मठ	
शतरंज के खिलाड़ी	प्रेमचंद
चंद्रकांता	देवकी नन्दन खत्री
वैंगार्ड	एम. एन. राय
इंडिपेंडेण्ट इंडिया	
भारत दुर्दशा	भारतेंदु हरिश्चंद्र
अंधेर नगरी चौपट राजा	
भारत भारती	मैथलीशरण गुप्त
प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट	कर्जन
दि अन्योल्ड स्टोरी	ब्रजमोहन कौर
मलयाला मनोरमा	के. एम. मैथ्यू
गदर (उर्दू, पंजाबी, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती व पश्तो)	लाला हरदयाल

बंगाल के गवर्नर

□ क्लाइव (1757-1760 ई. और 1765-1767 ई.)

प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। इसके बाद की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं -

- 1) **दीवानी की प्राप्ति** - बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय से 1765 ई. में इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।
- 2) **द्वैथ शासन** - क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 ई. में बंगाल में द्वैथ शासन लागू किया जो 1772 ई. तक रहा। वौरेन हेस्टिंग्स ने आते ही इसे समाप्त कर दिया।
- 3) **श्वेत विद्रोह** - क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया तथा 1766 ई. में यह भत्ता उन सैनिकों को मिलता था, जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मुंगेर तथा इलाहाबाद स्थित यूरोपीय सैनिकों ने इसका विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया। किन्तु क्लाइव ने इस विद्रोह को दबा दिया।

क्लाइव ने इंग्लैण्ड में जाकर आत्महत्या कर दी। आगे बंगाल में गवर्नर क्रमशः हॉलवेल (ब्लैकहोल की घटना), वेन्सिटार्ट (बक्सर का युद्ध), वेरेलस्ट (द्वैथ शासन), कार्टियर (बंगाल में अकाल) तथा वौरेन हेस्टिंग्स (बंगाल का अंतिम गवर्नर) हुए।

बंगाल के गवर्नर जनरल

□ वौरेन हेस्टिंग्स (1772-1785 ई.)

रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत वौरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इनके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं -

- 1) प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782 ई.)
- 2) द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-1784 ई.)
- 3) रेग्यूलेटिंग एक्ट (1773 ई.) - इसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसके चार सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया।
- 4) पिट्स इंडिया एक्ट (1784 ई.) - इस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई।
- 5) भूमि सुधार - वौरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ई. में फंचर्वर्षीय एवं 1777 ई. में एक वर्षीय भू-राजस्व बंदोबस्त प्रारंभ किया।
- 6) न्यायिक सुधार - 1772 ई. में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित कर दिया गया। उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत में अपील हो सकती थी। रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। वौरेन हेस्टिंग्स ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक देने का प्रयत्न किया। 1776 ई. में संस्कृत में पुस्तक (Code of Gentoo Laws) छपी। 1791 ई. में विलियम जॉस तथा कोलब्रुक (Digest of Hindu Law) भी छपी।
- 7) एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल (1784 ई.) - विलियम जॉस ने इसकी स्थापना की। विलिंक्स ने भगवदगीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
- 8) महाभियोग - वौरेन हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था, जिस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था।

□ कार्नवालिस (1786-1793 ई.)

- 1) सिविल सेवा - कार्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था।
- 2) पुलिस सेवा - भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कार्नवालिस को माना जाता है।
- 3) स्थायी बंदोबस्त - कार्नवालिस ने 1793 ई. में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके द्वारा जर्मांदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया।
- 4) कार्नवालिस संहिता (1793 ई.) - कार्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण सिंद्धांत पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया।

5) **न्यायिक सुधार** - कार्नवलिस ने दीवानी अदालतों की क्रमिक व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में सर्वप्रथम मुंसिफ की अदालत, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत, फिर जिला न्यायालय थे। जिला न्यायालय के ऊपर चार प्रांतीय न्यायालय थे, जहां जिला न्यायालय से अपील हो सकती थी। ये अदालतें कलकत्ता, मुर्शीदाबाद, ढाका तथा पटना में स्थित थी। सर्वोच्च स्तर पर सदर दीवानी अदालत स्थित थी। फौजदारी व्यवस्था में जिला स्तर पर फौजदारी न्यायालय था, जिसके ऊपर भ्रमणशील न्यायालय (Circuit Court) थे। सर्वोच्च स्तर पर सदर निजामत अदालत थी।

6) **समाधि** - कार्नवलिस एकमात्र गवर्नर जनरल है, जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है।

सर जॉन शोर (1793-98 ई.)

1) इन्होंने अहसतक्षेप नीति का पालन किया।

लॉर्ड वेलजली (1798-1805 ई.)

1) **सहायक संधि प्रणाली** - भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलजली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे, परन्तु उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य क्रमशः -

हैदराबाद (1798 ई.) | मैसूर (1799 ई.) | तंजोर (1799 ई.) | अवध (1801 ई.) |

पेशवा (1802 ई.) | भोंसले (1803 ई.) | सिंधिया (1804 ई.) |

2) **फोर्ट विलियम कॉलेज** - वेलजली ने नागरिक सेवा (ICS) में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण के लिए 1800 ई. में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।

लॉर्ड मिंटो (1807-1813 ई.)

1) इसके समय रणजीत सिंह के साथ 1809 ई. में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई।

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823 ई.)

1) **आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814-1816 ई.)** - इस युद्ध की समाप्ति संगोली की संधि से हुई।

2) **पिंडारियों का दमन** - पिंडारी वस्तुतः लुटेरों का एक दल था, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम दोनों शामिल थे। इन्हें मराठों का समर्थन भी प्राप्त था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया।

3) **मराठा संघ का अंत** - हेस्टिंग्स ने मराठों को तृतीय युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भंग कर दिया।

लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-1828 ई.)

1) इसके समय प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824-1826 ई.) लड़ा गया।

भारत के गवर्नर जनरल

विलियम बैंटिंक

1) **सती प्रथा का अंत** - 1829 ई. के चार्टर एक्ट के निमय 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।

2) **ठगी प्रथा का अंत** - बैंटिंक ने ठगी प्रथा समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की। 1830 ई. तक ठगी प्रथा का अंत हो गया।

3) **सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत** - 1833 ई. के चार्टर एक्ट की धार 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। अब यह मान लिया गया कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्म-स्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा।

4) **1833 ई. का चार्टर एक्ट** - इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक बने।

5) **मैकाले शिक्षा पद्धति** - इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।

6) **कलकत्ता मेडिकल कॉलेज** - 1835 ई. में बैंटिंक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की।

7) **भारतीय रियासतों के प्रति नीति** - बैंटिंक ने अव्यवस्था के आरोप लगाकर, 1831 ई. में मैसूर, 1834 ई. में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया।

8) बैंटिंक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की।

चार्ल्स मेटकॉफ (1835-36 ई.)

1) इन्होंने समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंध हटा लिया। अतः इन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है।

लॉर्ड आकलैण्ड (1836-1842 ई.)

1) प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध (1838-42 ई.)- आकलैण्ड के समय प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। इसी ने कलकत्ता से दिल्ली का ग्रांटट्रक रोड (जीटी रोड) की मरम्मत करवाई।

लॉर्ड एलनबरो (1842-1844 ई.)

1) सिंध का विलय - एलनबरो के समय में 1843 ई. में सिंध का विलय हुआ।

2) एलनबरो ने 1843 ई. के अधिनियम द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया।

लॉर्ड हार्डिंग (1844-1848 ई.)

1) प्रथम आंग्ल-सिक्ख युद्ध - इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल-सिक्ख युद्ध लड़ा गया, जिसका समापन लाहौर संधि से हुआ।

लॉर्ड डलहौजी (1848-1856 ई.)

1) पंजाब का विलय - डलहौजी ने 1852 ई. में पंजाब पर अधिकार कर लिया।

2) द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध - डलहौजी ने 1852 ई. में लोअर बर्मा तथा पीगू का विलय कर लिया।

3) सिक्किम - डलहौजी ने 1850 ई. में सिक्किम राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिनमें दार्जिलिंग आदि थे, भारत में मिला लिए।

4) व्यपगत का सिद्धांत तथा राज्य हड्डपने की नीति - डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा, वह उसकी हड्डप नीति थी। इस नीति के द्वारा डलहौजी ने भारतीय शासकों को ब्रिटिश की अनुमति के बिना दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया था। व्यपगत सिद्धांत के आधार पर विलय का क्रम :-

सतारा → जैतपुर → संभलपुर → बघाट →
उदयपुर → झांसी → नागपुर → आदि।

5) कुशासन के आधार पर विलय - अवध का विलय (1856 ई.) कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था

6) शिक्षा संबंधी सुधार - 1854 ई. में चार्ल्स बुड का डिस्पैच, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, इन्हीं के समय पारित हुआ।

7) रेलवे लाइन - डलहौजी के काल में भारत में 1853 ई. में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई।

8) विद्युत तार (Electric Telegraph) - डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई।

9) डाक सुधार - इन्हीं के समय 1854 ई. में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1854 ई. में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीन प्रेसीडेंसियों के लिए एक-एक महानिदेशकों की नियुक्ति हुई।

भारत के वायसराय

1857 ई. के विद्रोह के बाद 1858 ई. का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय में ही 1857 ई. का विद्रोह हुआ। इसके बाद उसे ही प्रथम वायसराय बनाया गया।

लॉर्ड कैनिंग (1856-1862 ई.)

1) 1857 ई. का विद्रोह कैनिंग के काल में हुआ था।

2) 1857 ई. में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर हुई।

3) 1858 ई. में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया।

4) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ई. कैनिंग के काल में ही पास हुआ।

जॉन लॉरेंस (1864-1868 ई.)

1) जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप नीति का पालन किया।

2) 1865 ई. में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सुविधा शुरू हुई।

लॉर्ड मेयो (1869-1872 ई.)

1) 1871 ई. में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ।

2) 1872 ई. में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई।

3) 1872 ई. में मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की।

4) वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत।

लॉर्ड नाथ ब्रुक (1872-1876 ई.)

लॉर्ड लिटन (1876-1880 ई.)

1) लॉर्ड लिटन एक प्रख्यात कवि, उपन्यासकार व निबंध लेखक थे। साहित्य जगत में ये 'ओवन मैरिडिथ' के नाम से प्रसिद्ध थे।

2) 1876-1878 ई. का अकाल - इनके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। 1878 ई. में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई।

3) राज उपाधि अधिनियम 1876 ई. (Royal Title Act) - अंग्रेजी संसद ने 1876 में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिन्द की उपाधि दी गई।

4) प्रथम दिल्ली दरबार - 1877 ई. को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिन्द की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया।

5) भारतीय समाचार पत्र अधिनियम (वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 ई.) - इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

6) भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 ई. - इस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शास्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना दण्डनीय अपराध मान लिया गया।

7) सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई।

8) 1878-1880 ई. के बीच द्वितीय अफगान युद्ध हुआ।

लॉर्ड रिपन (1880-1884 ई.)

1) लॉर्ड रिपन भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे। इन्होंने एक बार कहा था कि "मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं।" फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्घारक की संज्ञा दी थी।

2) प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में रिपन के काल में ही हुई।

3) रिपन काल को स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है।

4) 1881 ई. का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ।

5) 1882 ई. में हण्टर कमीशन का गठन किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था।

6) वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ई. में समाप्त कर दिया गया।

7) इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ई. में रिपन के समय ही हुआ था। इल्बर्ट बिल के अनुसार अब भारतीय न्यायाधीश यूरोपीयों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता था, लेकिन यूरोपवासियों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।

डफरिन (1884-1888 ई.)

1) डफरिन के समय ही तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।

2) इन्हीं के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।

लॉर्ड लेंसडाउन (1888-1894 ई.)

1) लॉर्ड लेंसडाउन ने 1891 ई. में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया।

लॉर्ड एलगिन द्वितीय (1894-1899 ई.)

लॉर्ड कर्जन (1899-1905 ई.)

- 1) 1899 ई. - 1900 ई. के बीच अकाल पड़ा, जिसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया।
- 2) 1901 ई. में सर कालिन स्काट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया।
- 3) 1902 ई. में सर एण्ड्र्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया गया।
- 4) 1902 ई. में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और 1904 ई. में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया।
- 5) सहकारिता का जनक कर्जन को माना जाता है। 1904 ई. में एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था।
- 6) कर्जन ने एक महानिरिक्षक के अधीन साम्राज्यीय कृषि विभाग स्थापित किया, जिससे भारतीय कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके।
- 7) कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था, उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 ई. में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की।
- 8) कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था : 1905 ई. में बंगाल विभाजन।

लॉर्ड मिंटो द्वितीय (1905-1910 ई.)

- 1) 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना।
- 2) 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन।
- 3) बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 ई. को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा।
- 4) मदन लाल धींगरा द्वारा लंदन में 1 जुलाई 1909 ई. को कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या।

लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय (1910-1916 ई.)

- 1) 1911 ई. में दिल्ली दरबार का आयोजन। जार्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई।
- 2) 1912 ई. में दिल्ली राजधानी बनी।
- 3) 1914 ई. - 1918 ई. तक प्रथम विश्व युद्ध।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921 ई.)

- 1) बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमति एनी बेसेंट द्वारा होमरूल लीग का गठन।
- 2) 1919 ई. का रोलेट एक्ट पारित हुआ।
- 3) 13 अप्रैल 1919 ई. को जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ।
- 4) 1919 ई. के संवैधानिक सुधार अधिनियम को 1 जुलाई 1921 को लागू किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की हुई।
- 5) खिलाफत एवं असहयोग आन्दोलन की शुरुआत।

लॉर्ड रीडिंग (1921-1926 ई.)

- 1) केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत 1921 ई. में।
- 2) 1920 ई. में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकन्द में मानवेंद्र नाथ राय (एम. एन. राय) ने की।
- 3) 1923 ई. से प्रशासनिक सेवाओं (सिविल सर्विसेज) में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था की गई।
- 4) 9 अगस्त 1925 ई. को प्रसिद्ध काकोरी घट्यंत्र केस हुआ। इसी वर्ष सी. आर. दास की मृत्यु हुई।

□ लॉर्ड इरविन (1926-1931 ई.)

- 1) इनके समय 1928 ई. में साइमन कमीशन भारत आया।
- 2) 1928 ई. में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन तथा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट को 'नेहरू रिपोर्ट' कहा गया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की।
- 3) 8 अप्रैल, 1929 ई. को भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेम्बली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेका।
- 4) 1929 ई. के प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ।
- 5) 4 फरवरी, 1930 ई. को साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में सविनय अवज्ञा अंदोलन शुरू करने का निर्णय।
- 6) 12 मार्च, 1930 ई. को गांधीजी द्वारा अपनी प्रसिद्ध डांड़ी यात्रा (नौसारी जिला) प्रारंभ की गई तथा 6 अप्रैल, 1930 को डांड़ी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया।
- 7) साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1930 ई. में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, परन्तु कांग्रेस द्वारा बहिष्कार का निर्णय।
- 8) 5 मार्च, 1931 ई. को गांधी-इरविन समझौते के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा अंदोलन स्थगित कर कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया।

□ लॉर्ड वेलिंगटन (1931 ई. - 1936 ई.)

- 1) ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, 1932 ई. को अपने साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) की घोषणा की। इस अवार्ड में हरिजनों या दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया।
- 2) तृतीय गोलमेज सम्मेलन का दिसम्बर 1932 ई. में आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।
- 3) 1932 ई. में देहरादून में इंडियन मिलेट्री एकेडमी की स्थापना की गई।
- 4) 1934 ई. में सविनय अवज्ञा अंदोलन समाप्त कर दिया गया।
- 5) 2 अगस्त 1934 ई. को ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में गवर्नरमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया।

□ लॉर्ड लिनलिथगो (1936-1943 ई.)

- 1) 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936-1937 ई. में हुआ। इसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि दो अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने अपने समर्थक गुटों द्वारा सरकार बनाई।
- 2) बिना कांग्रेस की अनुमति से भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल करने के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिण्डल ने अक्टूबर, 1939 ई. में त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसम्बर, 1939 ई. को मुस्लीम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।
- 3) 1937 ई. में पहली बार एक ग्राम फैजपुर (बंगाल) में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ।
- 4) 1939 ई. में सुभाषचंद्र बोस द्वारा 'फारवर्ड ब्लॉक' का गठन किया गया।
- 5) 17 अक्टूबर, 1940 ई. को गांधीजी ने पबनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और 17 दिसम्बर, 1940 को इसे स्थगित कर दिया।
- 6) मई, 1940 ई. में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
- 7) 1942 ई. में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधीजी ने क्रिप्स प्रस्तावों को "किसी दिवालिया हो रही बैंक की उत्तर दिनांकित चेक" (Post-dated Cheque) की संज्ञा दी।
- 8) 14 जुलाई, 1942 ई. को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया।
- 9) मुस्लिम लीग ने 1944 ई. के अपने करांची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया, जबकि 1940 ई. में पृथक राज्य की मांग की।
- 10) 1943 ई. में सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का गठन किया गया।

□ लॉर्ड वेवेल (1944-1947 ई.)

- 1) 25 जून, 1945 ई. को वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन बुलाया गया, परन्तु जिन्ना की हठधर्मिता के कारण वह असफल रहा।
- 2) 1945 ई. में लेबर सरकार सत्ता में आई, जिनके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे।
- 3) नवम्बर, 1945 ई. में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया।

- 4) 18 फरवरी, 1946 ई. को बम्बई में नौ-सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया।
- 5) 19 फरवरी, 1946 ई. को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई तथा 24 मार्च, 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा।
- 6) मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार की गई तथा 16 अगस्त, 1946 ई. को 'सीधी कार्यवाही दिवस' (Direct Action Day) का आयोजन किया गया।
- 7) जुलाई, 1946 ई. में संविधान सभा का गठन तथा 9 दिसम्बर, 1946 ई. को संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
- 8) 2 सितंबर, 1946 ई. को नेहरू के नेतृत्व में अंतर्रिम सरकार का गठन हुआ।
- 9) 20 फरवरी, 1947 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 20 जून, 1948 ई. तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर विस्काउण्ट माउन्टबेटन की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की घोषणा की।

लॉर्ड माउन्टबेटन (1947-1948 ई.)

- 1) 3 जून, 1947 ई. को माउन्टबेटन प्लान की घोषणा की गई, जिसमें भारत विभाजन की योजना थी।
- 2) 1947 ई. में दो सीमा निर्धारण आयोग गठित किए गए। पहला बंगाल विभाजन के लिए और दूसरा पंजाब विभाजन के लिए। सर सायरिल रेडक्विलफ दोनों आयोगों के अध्यक्ष थे।
- 3) 7 अगस्त, 1947 ई. को जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान किया, जहां पाकिस्तान की संविधान सभा ने उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना।
- 4) 14 अगस्त, 1947 ई. को पाकिस्तान और 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतंत्र हुआ।
- 5) स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउन्टबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया।

सी. राजगोपालाचारी

- 1) भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल।
- 2) 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू हुआ।
- 3) गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन

- लैण्ड होल्डर्स सोसायटी या जमींदारी एसोसिएशन (1838 ई.)

स्थान	- कलकत्ता	संस्थापक	- द्वारकानाथ टैगौर
-------	-----------	----------	--------------------
- बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी (1843 ई.)

स्थान	- कलकत्ता	संस्थापक	- जार्ज थामसन
-------	-----------	----------	---------------
- ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (1851 ई.)

स्थान	- कलकत्ता	संस्थापक	- राधाकांत देव
-------	-----------	----------	----------------
- इंडियन लीग (1875 ई.)

स्थान	- कलकत्ता	संस्थापक	- शिशिर कुमार घोष
-------	-----------	----------	-------------------
- इंडियन एसोसिएशन (1876 ई.)

स्थान	- कलकत्ता	संस्थापक	- सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा आनन्द मोहन बोस
- इस संगठन ने भारत में मुख्यतः सिविल सर्विसेस आन्दोलन चलाया। इसकी प्रमुख मांग लंदन के साथ-साथ भारत में भी आईसीएस परीक्षा आयोजित करवाने तथा इस परीक्षा हेतु न्यूनतम आयु में बढ़ोत्तरी करने की थी। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस था। 1853 ई. में सिविल सेवा हेतु लंदन में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होने लगा। 1863 ई. में प्रथम भारतीय सत्येन्द्रनाथ टैगौर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1869 ई. में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सहित 4 भारतीयों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की, किन्तु 1874 ई. में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जब असम के कलेक्टर थे, तब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 1877 ई. में लॉर्ड लिटन के समय इस परीक्षा हेतु उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इंडियन एसोसिएशन इसका तीव्र विरोध किया। आगे 1923 ई. से यह परीक्षा लंदन के साथ-साथ भारत में भी आयोजित की जाने लगी। इंडियन एसोसिएशन के द्वितीय कॉन्फ्रेन्स का आयोजन कलकत्ता में दिसम्बर, 1885 ई. में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने की थी। इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1886 ई.) में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया।			
- बॉम्बे एसोसिएशन (1852 ई.)

स्थान	- बम्बई	संस्थापक	- दादाभाई नौरोजी
-------	---------	----------	------------------
- बॉम्बे एसोसिएशन (1852 ई.)

स्थान	- बम्बई	संस्थापक	- दादाभाई नौरोजी
-------	---------	----------	------------------
- बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन (1885 ई.)

स्थान	- बम्बई	संस्थापक	- फिरोजशाह मेहता, बद्रुद्दीन तैय्यबजी तथा के. टी. तैलंग
-------	---------	----------	---
- पूना सार्वजनिक सभा (1870 ई.)

स्थान	- पूना	संस्थापक	- महादेव गोविंद रानाडे
-------	--------	----------	------------------------
- मद्रास नेटिव एसोसिएशन (1852 ई.)

स्थान	- मद्रास	संस्थापक	- गजुलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी
-------	----------	----------	----------------------------
- मद्रास महाजन सभा (1884 ई.)

स्थान	- मद्रास	संस्थापक	- वीर राधावाचारी, सुब्रह्मण्यम अच्यर तथा आनन्द चारलू
-------	----------	----------	--
- ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866 ई.)

स्थान	- लंदन	संस्थापक	- दादाभाई नौरोजी
-------	--------	----------	------------------

राष्ट्रवाद का उद्भव तथा स्वतंत्रता आन्दोलन का विकास

□ भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव में सहायक तत्व

- | | |
|--|--|
| 1) ब्रिटिश प्रशासन की विदेशी एवं क्रूर प्रकृति। | 2) भारत का राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। |
| 3) पाश्चात्य चिंतन तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। | 4) तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। |
| 5) आधुनिक समाचार पत्रों का विकास। | 6) मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। |
| 7) इतिहास के शोध का प्रभाव। | 8) समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। |
| 9) सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन। | 10) लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। |
| 11) इल्वर्ट बिल का विवाद (1884 ई)। | 12) राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। |

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

स्थापना - 28 दिसम्बर, 1885 ई.

अध्यक्ष - व्योमेशचंद्र बनर्जी।

स्थान - बम्बई।

वायसराय - लॉर्ड डफरिन।

संस्थापक - एलन आक्टेवियन ह्यूम।

सदस्य संख्या - 72।

1884 ई. में ब्रिटिश सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ए. ओ. ह्यूम ने 'इंडियन नेशनल यूनियन' नामक संगठन की स्थापना की। मई 1885 ई. में ह्यूम शिमला में वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिले और अपना उद्देश्य बताया कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सुरक्षा कपाट का कार्य करेगी। डफरिन ह्यूम की योजना से सहमत हो गए। आगे ह्यूम इंग्लैण्ड से वापस आकर 25 दिसम्बर, 1885 ई. में 'इंडियन नेशनल यूनियन' की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बुलाई। पूर्व में यह बैठक पूना में बुलाई जानी थी, किन्तु पूना में प्लेग फैलने के कारण यह बैठक बम्बई में आयोजित की गई। इसी बैठक में दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर 'इंडियन नेशनल यूनियन' का नाम बदलकर 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' कर दिया गया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था, जिसका अर्थ है - लोगों का समूह। इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ 28 दिसम्बर, 1885 ई. को इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हो सके, क्योंकि इस समय वे कलकत्ता में ही हो रहे इंडियन एसोसिएशन के द्वितीय सम्मेलन में थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 मांगों का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें एक भी सामाजिक मांग नहीं थी। प्रारंभिक 9 मांगों इस प्रकार थीं -

- 1) भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए।
 - 2) इंग्लैण्ड में कार्यरत इंडिया कॉन्सिल (भारत सचिव के ऑफिस) को समाप्त किया जाए।
 - 3) ब्रिटेन तथा भारत में एक ही साथ इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित की जाए।
 - 4) सैन्य व्यय में कटौती की जाए।
 - 5) केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यता का विस्तार किया जाए।
 - 6) बर्मा को भारत से अलग किया जाए।
 - 7) इंग्लैण्ड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए।
 - 8) प्रस्तावों को सभी प्रदेशों की राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, जिससे वे इसके क्रियान्वयन की मांग कर सके।
 - 9) कांग्रेस का अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए।
- कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य को लेकर दो प्रकार के मत दिखाई देते हैं -
- 1) सेफ्टी वॉल्व सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के जनक लाला लाजपत राय (शेर-ए-पंजाब व पंजाब केसरी) थे, जिन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में कहा कि "कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, ताकि कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण किया जाए, जो ब्रिटिश शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष को रोक सके, इसीलिए ए. ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का निर्माण ब्रिटिश हित में किया।" इस मत का समर्थन आर. पी. दत्त तथा गोवलकर ने भी किया है।

2) तड़ित चालक सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के जनक गोपालकृष्ण गोखले थे, जिन्होंने कहा कि “सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीयों ने ही ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक की भाँति किया। अगर कांग्रेस का संस्थापक एक अंग्रेज और वरिष्ठ पूर्व अधिकारी नहीं होता, तो कांग्रेस को अपने प्रारंभिक काल में ही ब्रिटिश शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाता।”

मान्य मत यह है कि कांग्रेस पूर्व में ही स्थापित हो चुकी कुछ क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप था। प्रारंभ में तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना का समर्थन किया था, किन्तु आगे जैसे-जैसे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने लगी तथा कांग्रेस अपनी मांगों को अधिक मजबूती से सरकार के सामने रखने लगी। वैसे-वैसे ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति आलोचनात्मक होता गया। 1888 ई. में लॉर्ड डफरिन ने कहा कि “मुझे कांग्रेस का भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है, वास्तव में कांग्रेस मुदठीभर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।” उसी प्रकार कर्जन ने भी कहा कि “कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है।”

□ उदारवादी आन्दोलन (1885-1905 ई.)

प्रारंभिक चरण में 1885-1892 ई. तक कांग्रेस का नेतृत्व ए.ओ. ह्यूम के हाथों में रहा। ह्यूम कांग्रेस की स्थापना से 1906 ई. तक सचिव के पद पर रहे। इस दौरान कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का बहुमत था। उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे – दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, व्योमेशचन्द्र बनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले, मदनमोहन मालवीय, महादेव गोविन्द रानाडे आदि। ये समस्त नेता शहरी क्षेत्रों के रहने वाले मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे तथा अपने-अपने पेशों (वकील, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार) में सफल व्यक्ति थे। राजनीति को इन्होंने केवल अल्पकालिक पेशे के रूप में ही अपनाया। ये उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करने के लिए 1889 ई. में विलियम डिंग्बी की अध्यक्षता में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया स्थापित की। इस कमेटी ने इंग्लैण्ड में कांग्रेस के प्रचार के लिए इंडिया नामक पत्र भी निकाला।

उदारवादी नेताओं ने आन्दोलन के संवैधानिक तरीके को अपनाया तथा क्रमिक सुधारों की बात की। वे केवल साम्राज्यिक ढांचे के अंदर सीमित स्व-शासन चाहते थे। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों को कार्यपद्धति के रूप में अपनाकर अपनी मांगों को ब्रिटिश तक पहुंचाया। इस दौरान कांग्रेस की प्रमुख मांग राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से ही संबंधित थीं, जैसा की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रस्तावित 9 मांगों से स्पष्ट होता है।

यद्यपि उदारवादी अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हुए, किन्तु उनकी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, जैसे – उदारवादियों के प्रयासों से ही 1892 ई. में इंडियन कौन्सिल एक्ट पारित किया गया, 1893 ई. में भारत और लंदन में एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किए जाने से संबंधित एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन की नियुक्ति की गई, उदारवादियों ने धन निष्कासन के सिद्धान्त को प्रचारित किया तथा राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया।

बंगाल विभाजन

वायसराय - लॉर्ड कर्जन।

स्वदेशी आन्दोलन का प्रारंभ - 07 अगस्त, 1905 ई.।

विभाजन रद्द - 1911 ई. (लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा)।

विभाजन का निर्णय - 19 जुलाई, 1905 ई.।

विभाजन प्रभावी - 16 अक्टूबर, 1905 ई.।

□ कारण

तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अविभाजित बंगाल, जिसमें बिहार व उड़ीसा भी शामिल थे, काफी विस्तृत था और अकेला लेफिटनेन्ट गवर्नर उसका प्रशासन भली-भाँति नहीं चला पाता था। इससे मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल के जिलों की प्रायः उपेक्षा होती थी, इसलिए प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया। किन्तु तत्कालीन गृहसचिव रिसले द्वारा कर्जन को लिखे पत्र से ज्ञात होता हैं कि बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल को विभाजित कर राष्ट्रवाद को कमजोर करना था।

कर्जन ने 19 जुलाई, 1905 ई. में बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक हिस्से में मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल व असम (मुख्यालय ढाका) को तथा दूसरे हिस्से में हिन्दू बहुल पश्चिमी बंगाल, बिहार व उड़ीसा (मुख्यालय कलकत्ता) को रखा गया। इस विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आन्दोलन की शुरुआत हुई।

□ स्वदेशी आन्दोलन

7 अगस्त, 1905 ई. में कलकत्ता के टाऊन हाल में ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध, स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्णकुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था।

ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर, 1905 ई. में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर लोगों ने एक-दूसरे के हाथों पर राखियां बांधकर एकता प्रदर्शित की। स्वदेशी आन्दोलन का नेतृत्व बंगाल में अरविंद घोष व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने, मुम्बई व पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब व उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने, दिल्ली में सैय्यद हैदर रजा ने तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में चित्तम्बरम् पिल्ले, सुब्रमण्यम् अव्यर, आनंद चार्लू ने संभाला। इस प्रकार स्वदेशी आन्दोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ था, परन्तु शीघ्र ही इसका प्रसार सम्पूर्ण भारत में हो गया।

स्वदेशी आन्दोलन के प्रचार-प्रसार हेतु कृष्णकुमार मित्र ने संजीवनी, पृथ्वीसचंद्र राय ने हितवादी तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र का प्रकाशन किया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिरों में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्म-शक्ति पर बल दिया तथा आमार सोनार बांगला का नारा दिया, जो 1971 ई. में बांगलादेश का राष्ट्रीय गान बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् तथा बंगाल एक हैं, के नारे भी गूंजे। अश्विनीकुमार दत्त ने वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति का गठन ग्रामीण विवादों को सुलझाने हेतु किया। अबनिन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, प्रफुल्लचंद्र राय व जगदीशचंद्र बोस ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री तथा सतीशचंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसायटी की स्थापना की।

बंगाल के मुख्य सचिव कालाइल ने कलेक्टरों के पास पत्र भेजा की वे कॉलेजों से कहें कि वे छात्रों को आंदोलन में भाग न लेने दें, नहीं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। इस पत्र को कालाइल सर्कुलर कहा जाता है। इसके विरोध स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। 1906 ई. में बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। उसी प्रकार 1906 ई. में गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना की।

स्वदेशी आन्दोलन में विद्यार्थियों तथा महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किन्तु इस आन्दोलन में मुसलमान कृषकों की महत्वपूर्ण सहभागिता नहीं रही। 1908 ई. तक आते-आते आन्दोलन कमज़ोर पड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनचक्र चलाकर महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया था। अरविंद घोष (नासिक घड़यंत्र केस 1909 के बाद) व विपिनचन्द्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। साथ ही 1907 ई. में हुए कांग्रेस विभाजन का आन्दोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार स्वदेशी आन्दोलन तत्कालीन रूप से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। किन्तु 1906 ई. में वायसराय लॉर्ड मिन्टों द्वितीय द्वारा गठित अरूणडेल कमेटी के सुझाव पर 1911 ई. में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।

दिसम्बर, 1911 ई. में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम् व महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया, कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। भारत की नई राजधानी दिल्ली 1912 ई. में गठित हुई। इस घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुर्णगठित किया गया। बिहार, उड़ीसा व असम को नया प्रांत बनाया गया। हालांकि असम को 1874 ई. में ही एक नया प्रांत बनाया जा चुका था। अब असम में सिलहट जिला को भी जोड़ दिया गया।

हालांकि स्वदेशी आंदोलन के मध्य अपनाए गए धार्मिक प्रतीकों व नारों ने साम्रदायिकता को जन्म दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में आंदोलन का प्रचार-प्रसार गणेश महोत्सव (1893 ई. से प्रारंभ) तथा शिवाजी महोत्सव (1895 ई. से प्रारंभ) के माध्यम से किया था। कृष्णकुमार मित्र द्वारा गठित एन्टी सर्कुलर सोसायटी ने इनका विरोध किया था, किन्तु स्वदेशी आन्दोलन ने राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन के दौरान ही स्वराज की मांग की गई थी, जो 1929 ई. तक कांग्रेस की प्रमुख मांग बनी रही। उसी प्रकार इस आंदोलन के मध्य नवीन कार्य पद्धति, जैसे - निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग, बहिष्कार, सामाजिक सुधार आदि को अपनाया गया, जिसने भविष्य के गांधीवादी आन्दोलन की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार सर्वप्रथम अरविंद घोष ने दिया था।

□ उग्रवादी चरण (1905-1918 ई.)

उग्रवादी नेताओं में प्रमुख नाम - बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिनचंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया तथा कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। लाल लाजपत राय ने कांग्रेस को तीन दिन का तमाशा कहकर आलोचना की। ये उग्रवादी नेता तीव्र सुधारों की बात करते थे तथा निष्क्रिय प्रतिरोध, आत्मसहायता एवं बहिष्कार के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। हालांकि उग्रवादी भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके, क्योंकि इनके तौर-तरीकों को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं हो सका। साथ ही इन्हें 1907 ई. के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा जनता में आत्म-बलिदान एवं देश प्रेम की भावना का विकास किया।

क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रथम चरण

□ महाराष्ट्र

क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केन्द्र महाराष्ट्र बना। पूना जिले के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। 1897 ई. में पूना में चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पूना प्लेग कमिशनर रैण्ड तथा उनके साथी लेपिटनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी। पूना में प्लेग रोकने के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर जोर-जबर्दस्ती करने के लिए इन दोनों की बड़ी बदनामी हुई थी। 1898 ई. में इनकी हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ई. में की गई रैण्ड एवं एयर्स्ट की हत्या भारत में धूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी।

बाल गंगाधर तिलक जिहें लोकमान्य तथा भारत के बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, ने 1893 ई. में गणपति उत्सव एवं 1895 ई. में शिवाजी महोत्सव मनाया। इस से महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का काफी विकास हुआ। तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा (सहयोगी आगरकर) तथा मराठी भाषा में केसरी (सहयोगी केलकर) का सम्पादन किया। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिहें 1882 ई. में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा इन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्व्यवहार करने पर अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण हुई थी। 1896-97 ई. में इन्होंने सम्पूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आन्दोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1897 ई. में अपने पत्र केसरी में रैण्ड एवं एयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। 24 जून, 1908 ई. में तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई तथा माण्डले जेल (बर्मा) में रखा गया। माण्डले प्रवास के दौरान ही उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। तिलक की सजा के विरोध में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 ई. में पहली राजनीतिक हड़ताल की। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवम् इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक ही एक मात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए।

मित्र मेला व अभिनव भारत (1904 ई.) - इसकी स्थापना 1904 ई. में नासिक में वी. डी. सावरकर ने की थी। 1904 ई. में ही मित्र मेला नामक संगठन एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। हालांकि 1906 ई. में वी.डी. सावरकर लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत ने पाण्डुंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था।

नासिक षड्यंत्र केस (1909 ई.) - 1909 ई. में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनन्त लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। 1911 ई. में जैक्सन हत्याकांड में अनन्त लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी दे दी गई। वी. डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। नासिक षट्यंत्र के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की रीढ़ टूट गई।

□ बंगाल

महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल पहुंचा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया। यहां वारीन्द्र कुमार घोष (अरविंद घोष के छोटे भाई) एवं भूपेन्द्रनाथ दत्त (विवेकानन्द के छोटे भाई) ने युगान्तर, वारीन्द्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या तथा अरबिंद घोष ने वंदे मातरम् के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया।

द्राका अनुशीलन समिति (1904 ई.) - इसकी स्थापना पी. मित्रा और पुलिन दास ने की थी। यह समिति आगे कलकत्ता की अनुशीलन समिति की इकाई के रूप में कार्य करती रही।

अनुशीलन समिति (1907 ई.) - इसकी स्थापना कलकत्ता में वारीन्द्र घोष एवं भूपेन्द्रनाथ दत्त ने की थी। अन्य सहयोगियों में प्रमथ मित्र एवं सतीशचंद्र बोस प्रमुख थे। इस संस्था का नाम अनुशीलन समिति नरेन भट्टाचार्य (एम. एन. राय) ने सुझाया था। इसका प्रमुख उद्देश्य - खून के बदले खून था।

किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास (1908 ई.) - 1908 ई. में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, किन्तु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से उस गाड़ी में सवार राष्ट्रीय आन्दोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नि और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परन्तु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1908 ई. में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे।

अलीपुर घट्यंत्र केस (1908 ई.) - अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र कानूनगो को रूस बम बनाने के लिए भेजा था। उनकी वापसी के उपरांत 1907 ई. में कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया था, परन्तु वारीन्द्र कुमार घोष की लापरवाही से पूरा समूह पकड़ा गया, जिसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। इन लोगों पर कलकत्ता के अलीपुर अदालत में केस चला। इस केस में सरकारी गवाह नरेन्द्र गोसाई की सत्येन्द्रनाथ बोस ने हत्या कर दी। वारीन्द्र कुमार घोष के गुट के लगभग सभी सदस्यों को आजीवन कालापानी की सजा मिली, किन्तु सी. आर. दास की बेहतर पैरवी से अरविंद घोष छोड़ दिए गए। अलीपुर घट्यंत्र केस के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों की कमर टूट गई। अरविंद घोष ने पांडिचेरी जाकर वहीं अरोविल में एक आश्रम की स्थापना कर ली तथा राजनीति से सन्यास ले लिया।

हावड़ा घट्यंत्र केस (1910 ई.) - 1910 ई. में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट शामसुल आलम की हत्या का अभियुक्त बनाया गया और उन पर हावड़ा घट्यंत्र केस चलाया गया, किन्तु वे किसी तरह फांसी से बच गए। आगे 1915 ई. में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन) बालासोर (उड़ीसा) में पुलिस के साथ हुई मुंठभेड़ में मारे गए।

□ पंजाब

1904 ई. में जतिनमोहन चटर्जी ने सहारनपुर में भारत माता सोसायटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें लाला हरदयाल, अजीत सिंह आदि सक्रिय सदस्य थे। 1907 ई. में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय पंजाब से निर्वाचित कर दिए गए तथा लाला हरदयाल विदेश चले गए। 1908 ई. में यहां का क्रांतिकारी गुट अमीरचंद्र के हाथों में आ गया। 1912 ई. में इस गुट के सदस्य बसंत विश्वास तथा मन्मथ विश्वास को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने हेतु भेजा गया था, परन्तु लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे। अभियुक्तों पर दिल्ली घट्यंत्र केस चलाया गया तथा अमीरचंद्र, अवध बिहारी, बसंत विश्वास व बालमुकुंद को फांसी दे दी गई। इस प्रकार पंजाब का क्रांतिकारी आन्दोलन भी कमज़ोर पड़ गया।

□ दिल्ली

रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का घट्यंत्र रचा तथा दिल्ली दरबार (1912 ई.) में जाते समय उन पर बम फेंका गया। अभियुक्तों पर दिल्ली घट्यंत्र केस चलाया गया तथा अमीरचंद्र, अवध बिहारी, बसंत विश्वास व बालमुकुंद को फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए, जहां उन्होंने 1942 ई. में इंडियन इण्डपेंडेंस लीग का गठन किया तथा आजाद हिन्द फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- : विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन : -

□ लंदन

भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति 1905 ई. में इंडिया होमरूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र इंडियन सोसियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हास्टल की स्थापना की। बाद में यही इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड़ा बन गया, जिनमें वी. डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदनलाल धींगरा प्रमुख थे। जब इंडिया होमरूल सोसायटी की क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस में बस गए, फिर इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व वी. डी. सावरकर ने संभाला। यहीं वी. डी. सावरकर ने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 ई. के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया।

कर्जन वायली की हत्या (1909 ई.) - लंदन में 1 जुलाई, 1909 ई. को मदन लाल धींगस ने इंडिया ऑफिस (लंदन स्थित भारत सचिव का ऑफिस) के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। धींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसके बाद वी. डी. सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक घट्यंत्र काण्ड के मामले में मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया। इस प्रकार लंदन में क्रांतिकारी आन्दोलन कमज़ोर पड़ गया।

□ अमेरिका

स्वदेश सेवक गृह - इसकी स्थापना कनाडा में जी. डी. कुमार ने की थी तथा गुरुमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला।

रामनाथ पुरी - इन्होंने 1907 ई. में कनाडा में भारतीय स्वतंत्रता के प्रचार-प्रसार हेतु सर्कुलर-ए-आजादी नामक पत्रिका निकाली।

यूनाइटेड इंडिया हाउस - इसकी स्थापना 1908 ई. में सिएटल (अमेरिका) में तारकनाथ दास और जी. डी. कुमार ने की थी। 1908 ई. में तारकनाथ दास ने बैंकुवर (कनाडा) में फ्री हिन्दुस्तान नामक पत्र भी निकाला।

हिन्द एसोसिएशन - इसकी स्थापना 1913 ई. में पोर्टलैण्ड (अमेरिका) में लाला हरदयाल, सोहनसिंह भाकना व हरिनाम सिंह तुंडिलाट ने की थी।

गदर आन्दोलन - 1 नवम्बर, 1913 ई. को अमेरिका के सेनफ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि अध्यक्ष सोहनसिंह भाकना थे। इसके अन्य प्रमुख नेता थे - रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेन्द्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम भीकाजी कामा।

गदर पार्टी ने युगान्तर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक (बाद में मासिक) पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। यह उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, पञ्चूनी भाषा में भी निकाला गया। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिक्खों में विद्रोह की भावना पैदा करना था और उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करना था। 1914 ई. में लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, तब इस दल का कार्यभार उनके साथी रामचंद्र ने संभाला। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया, जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और इस दल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।

□ जर्मनी

अगस्त, 1907 ई. में मैडम भीकाजी कामा ने स्टूटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा यहीं पर भारतीय तिरंगा (हरा, पीला व लाल) लहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है।

लाला हरदयाल गदर आन्दोलन पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका से जर्मनी चले आए। 1916 ई. में बर्लिन में लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की।

□ अफगानिस्तान

1915 ई. में राजा महेन्द्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला एवं उबेदुल्ला सिंधी के साथ काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेन्द्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी।

□ कामागाटामारू केस (1914 ई.)

कामागाटामारू एक जापानी जहाज था, जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने मार्च 1914 ई. में हांगकांग के एंजेंट से किराए पर लिया था। कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा था, जो भारत से सीधे कनाडा न आए हों। किन्तु 1913 ई. में कनाडा के उच्चतम् न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ऐसे 35 भारतीयों को देश के भीतर घुसने का आदेश दिया, जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर गुरुदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक जहाज किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर हांगकांग से बैंकुवर (कनाडा) के लिए रवाना हुए। 23 मई, 1914 ई. को जहाज बैंकुवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज उतरने की इजाजत नहीं दी। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी या तटीय कमेटी गठित की गई। किन्तु कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा से बाहर कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने जहाज को कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज में पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुईं, जिसमें 18 यात्री मारे गए और शेष 202 को जेल में डाल दिया गया।

□ मुस्लिम लीग (दिसम्बर, 1906 ई.)

1 अक्टूबर 1906 ई. को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिणटो से मिला तथा भारतीय मुसलमानों के लिए विशेष स्थिति की मांग की। मिणटो ने अश्वासन दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। ब्रिटिश की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्ला ने बंगाल विभाजन समर्थक आन्दोलन का नेतृत्व किया। इसी पृष्ठभूमि में दिसम्बर 1906 ई. को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्ला खान तथा इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। इसकी एक शाखा 1908 ई. में लंदन में सैव्यद अमीर अली ने स्थापित की थी।

मुस्लिम लीग के निम्नलिखित उद्देश्य थे – प्रथम – ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। द्वितीय – मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तृतीय – कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना।

मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसम्बर 1906 ई. में कलकत्ता में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन तथा स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया। द्वितीय अधिवेशन 1907 ई. में करॉची में तथा तृतीय अधिवेशन 1908 ई. में अमृतसर में हुआ। 1908 ई. के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो 1909 ई. के मार्ले मिणटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। पृथक निर्वाचन पद्धति का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी।

□ हिन्दू संगठनों की स्थापना

मुस्लिम साम्प्रदायिकता को देखते हुए हिन्दू साम्प्रदायिकता भी पनपनी आरंभ हो गई। 1909 में बी. एन. मुखर्जी तथा लालचंद ने प्रतिक्रियास्वरूप पंजाब हिन्दू महासभा की स्थापना की। 1915 ई. में हरिद्वार के कुंभ मेले में पं. मदनमोहन मालवीय द्वारा हिन्दू महासभा की स्थापना की गई। 1925 ई. में नागपुर में हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर. एस. एस.) की स्थापना की।

□ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन (1907 ई.)

1905 ई. में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपालकृष्ण गोखले ने की थी। इस अधिवेशन में स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1906 ई. में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद हेतु बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया था, किन्तु उदारवादियों ने दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष पद हेतु आमंत्रित किया। चूंकि दादाभाई नौरोजी एक वयोवृद्ध नेता थे, अतः यहां उग्रवादी मान गए। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1906 ई.) में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया तथा स्वराज, स्वेदशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के चार प्रस्ताव पारित किए गए। इस प्रकार कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग उठाई थी।

दादाभाई नौरोजी को लोग भारत के वयोवृद्ध नेता (ग्रेंड ओल्ड मैन) कहते थे। दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे, जो 1892 ई. में उदारवादी दल की ओर से फिंसवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास (1855–1869 ई.) के दौरान दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने हेतु लंदन इंडियन एसोसिएशन (1862 ई.) तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (1866 ई.) नामक संस्थाएं स्थापित की थीं।

1907 ई. में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होना था, किन्तु नागपुर में उग्रवादियों का पलड़ा भारी होने के कारण उदारवादियों ने इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन (1907 ई.) में अध्यक्ष पद हेतु उग्रवादियों ने पुनः लाला लाजपत का नाम प्रस्तावित किया, किन्तु यहां उदारवादियों ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया। यहां विवाद का दूसरा बिंदु यह था कि उग्रवादी स्वराज, स्वेदशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के चारों प्रस्तावों पर गारंटी चाहते थे, जबकि उदारवादी गारंटी देने को तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने इस पर विरोध किया, परिणामस्वरूप उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हो गया।

□ कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट/कांग्रेस-लीग योजना

1915 ई. में उदारवादी नेता गोपालकृष्ण गोखले तथा फिरोजशाह की मृत्यु हो गई। उदारवादी तथा उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेन्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

□ लखनऊ पैक्ट/कांग्रेस-लीग योजना

1906 ई. में प्रारंभ हुए अहरार आंदोलन के नेता मुहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, नजरुल हक, जफर अली खान, मौलान अबुल कलाम आजाद ने मुस्लिम लीग की नीतियों को कांग्रेस के निकट ला दिया। 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक ही स्थान लखनऊ में हुआ। इस बार मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो उस वक्त तक कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे। कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यहां कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में एक समझौता हो गया जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है।

इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वराज को अपना लक्ष्य माना तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह कांग्रेस की पहली सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी और अब इसी बात को औपचारिक सहमति दे दी। कांग्रेस व लीग के बीच समझौता करवाने में लोकमान्य तिलक का बहुत बड़ा हाथ था। मदनमोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया।

होमरूल आन्दोलन

‘होमरूल’ आयरलैण्ड का शब्द है। होमरूल आन्दोलन से मुख्यतः एनी बेसेन्ट एवं बाल गंगाधर तिलक का नाम जुड़ा है। यद्यपि भारत में होमरूल आन्दोलन सर्वप्रथम एनी बेसेन्ट ने प्रारंभ किया था, किन्तु होमरूल लीग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी।

होमरूल लीग का उद्देश्य

तिलक की होमरूल लीग

एनी बेसेन्ट की

अखिल भारतीय होमरूल लीग

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| - | ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्व-शासन प्राप्त किया जाए। | |
| - स्थापना : | 28 अप्रैल 1916। | स्थान : पूना। |
| - प्रथम अध्यक्ष : | जोसेफ बैपटिस्टा। | सचिव : एन. सी. केलकर। |
| - क्षेत्र : | कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर), मध्य प्रांत तथा बरार। | |
| - प्रचार का माध्यम : | मराठा और केसरी। | |
| - स्थापना : | सितंबर 1916। | स्थान : मद्रास। |
| - प्रथम अध्यक्ष : | एनी बेसेन्ट। | सचिव : जॉर्ज अरुण्डेल। |
| - अन्य सदस्य : | महात्मा गांधी एवं सी. आर. दास को छोड़कर तत्कालीन समय के प्रायः सभी महत्वपूर्ण नेता जैसे - मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेजबहादुर सप्तरी, मदनमोहन मालवीय, सुब्रमण्यम् अच्यर आदि। | |
| - क्षेत्र : | तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होमरूल लीग आन्दोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेन्ट पर था। | |
| - प्रचार का माध्यम : | न्यू इंडिया तथा कॉमनवील। | |

तिलक और एनी बेसेन्ट होमरूल लीगों को 1918 ई. में एक साथ मिला दिया गया। होमरूल आन्दोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत सचिव माण्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त, 1917 ई. को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसे माण्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई, परिणामस्वरूप एनी बेसेन्ट ने 20 अगस्त 1917 ई. को होमरूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। दूसरी ओर बेलेन्टाइन चिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा था, जिस कारण तिलक मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में इंग्लैण्ड चले गए। फलस्वरूप आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इस आन्दोलन ने पहली बार एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को जन्म दिया और गांधी के लिए भावी राष्ट्रीय आन्दोलन की आधारशिला तैयार की। इसने कांग्रेस को ऊर्जावान बनाया तथा राजनीतिक शून्यता के दौर में राष्ट्रीय आन्दोलन को गति प्रदान की। इस आन्दोलन के ही परिणामस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1919 ई. पारित हुआ।

जुलाई 1918 ई. में माण्टेग्यू - चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक व निराशापूर्ण कहा। तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी, किन्तु सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसका स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ (नेशनल लिबरल लीग) का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ (ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन) के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

गांधी युग

गांधीजी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधीजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तुरबा से हुआ था। 1891 ई. में उन्होंने इंग्लैण्ड से बैरिस्टरी (वकालत) पास की तथा पहले राजकोट में फिर मुम्बई में वकालत करने लगे, किन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। गांधीजी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इस पुस्तक से गांधीजी ने यह सीखा कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीजी 1893 ई. में पहली बार गुजराती व्यापारी दादा अब्दुला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने डरबन (दक्षिण अफ्रीका) गए। गांधीजी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे के प्रथम श्रेणी डब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें भारतीय होने के कारण प्रथम श्रेणी के डब्बे से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। इसी घटना ने गांधीजी की जीवन यात्रा को नई दिशा दी।

1894 ई. में गांधीजी ने सभी समुदायों को एकत्रित करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1910 ई. में जोहान्सबर्ग में गांधीजी ने जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए टॉलस्टाय फार्म की स्थापना की। 1904 ई. में डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की तथा इंडियन ओपीनियन नामक अखबार निकाला।

गांधीजी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 ई. में उस कानून के खिलाफ किया, जिसके तहत हर भारतीय को पंजीकरण प्रमाण-पत्र लेना जरूरी था। गांधीजी को 1908 ई. में जेल भेज दिया गया। इसी मध्य उन्होंने हिन्द स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पश्चिमी मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए जीवन के सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। आगे उन्होंने उस विवाह कानून के विरुद्ध भी खिलाफत की, जिसके अनुसार गैर ईसाई पद्धति का विवाह अवैध होता है। इस कानून के उल्लंघन के आरोप में कस्तुरबा गांधी को ट्रांसवाल में गिरफ्तार कर लिया गया।

गांधीजी 21 वर्षों के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास के उपरांत 9 जनवरी, 1915 ई. को भारत आए और यहां गोपालकृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। गांधीजी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18 ई.) में फसी हुई थी। गांधीजी ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि वह यह मानते थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को सहयोग के बदले में स्वराज दे देगी। उन्होंने भारतीयों से सेना में शामिल होने की अपील की। अतः उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेण्ट कहा जाने लगा। इस वजह से उन्हें केसर-ए-हिन्द की उपाधि दी गई। 1916 ई. में गांधीजी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधीजी के ही योगदान से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 ई. को एक हिन्दू कट्टर पंथी नाथूराम गोड़से ने गांधीजी को गोली मार दी। गांधीजी की मृत्यु पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है।

□ चम्पारण सत्याग्रह (1917 ई.)

गांधीजी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 ई. में बिहार के चम्पारण जिले में किया। उन्होंने वहां तीनकठिया पद्धति के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा। तीनकठिया पद्धति में उस क्षेत्र के प्रत्येक किसान से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए अलग कर दे। राजकुमार शुक्रल के आमंत्रण पर गांधीजी चम्पारण गए थे। गांधीजी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जे. बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि भी थे। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए आयोग गठित किया तथा गांधीजी को भी उसका सदस्य बनाया गया। गांधीजी आयोग को यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तीनकठिया प्रणाली समाप्त होना चाहिए। अंततः सरकार ने तीनकठिया पद्धति समाप्त कर दी तथा यूरोपीय मालिकों द्वारा किसानों की 25 प्रतिशत राशि वापस करने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार गांधीजी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। चम्पारण सत्याग्रह के दौरान ही रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को महात्मा की उपाधि दी। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह का विरोध किया था।

□ अहमदाबाद आन्दोलन (1918 ई.)

1918 ई. में गांधीजी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में आन्दोलन छेड़ा। यहां का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी हुई महंगाई के कारण मजदूर इसे जारी रखना चाहते थे। इस संघर्ष में मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुइया बेन गांधीजी की मुख्य सहयोगी रही, जबकि अम्बालाल साराभाई उनके दोस्त होते हुए भी उनके विरोधी थे। गांधीजी ने मजदूरों को हड्डताल पर जाने को कहा और घोषणा की कि मजदूरों को 35 प्रतिशत बोनस मिलना चाहिए। जब गांधीजी अनशन पर बैठ गए, तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए कहा। न्यायाधिकरण ने मालिकों को 35 प्रतिशत बोनस देने को कहा। गांधीजी ने भारत में प्रथम भूख हड्डताल अहमदाबाद आन्दोलन के दौरान ही की थी।

□ खेड़ा आन्दोलन (1918 ई.)

गांधीजी ने 1918 ई. में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में आन्दोलन छेड़ा। वस्तुतः खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार ने भू-राजस्व में कमी नहीं की। इस आन्दोलन में विद्ठलभाई पटेल तथा बल्लभभाई पटेल गांधीजी के सहयोगी थे। गांधीजी ने स्वयं पूरे मामले की जांच पड़ताल के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला कि किसानों की मांग जायज है और राजस्वसंहिता के तहत पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए। सरकार ने आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए, जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। अतः गांधीजी ने संघर्ष वापस ले लिया। इस प्रकार तीनों आन्दोलनों ने गांधीजी को अपने तरीकों को आजमाने का अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ गांधीजी को देश की जनता के नजदीक आने और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला।

□ रोलेट एक्ट (1919 ई.)

भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ई. में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। समिति की सिफारिश पर द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 ई. पारित किया गया। इसे ही रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इस विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई कि मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चितकाल के लिए जेल में रख सकता था। इस एक्ट का देशव्यापी विरोध हुआ। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। गांधीजी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। इस एक्ट के विरोध में उन्होंने फरवरी 1919 ई. में सत्याग्रह सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने 6 अप्रैल 1919 ई. को एक देशव्यापी हड़ताल का अह्वान किया।

□ जलियाँवाला हत्याकाण्ड (1919 ई.)

गांधीजी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। यह आक्रोश तब अधिक बढ़ गया, जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉ. सत्यपाल एवं डॉ. सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1919 ई. को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में कुद्द भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की हत्याएं कर दी। 13 अप्रैल 1919 ई. को जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 20 हजार व्यक्ति इकट्ठे हुए। जनरल डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग सभा को जनरल डायर ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के फलस्वरूप रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट एवं सर की उपाधि त्याग दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। जलियावाला बाग हत्याकाण्ड को माण्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा, जबकि गांधीजी के मित्र दीनबंधु सी. एफ. एण्ड्रूज ने इस हत्याकाण्ड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा।

ब्रिटिश सरकार ने जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की जांच हेतु हंटर कमेटी (1919 ई.) का गठन किया। इस कमेटी ने संपूर्ण मामले पर लीपापोती की। हालांकि जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया गया, किन्तु ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर एवं मान की तलवार कहा। मार्च 1940 ई. में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियावाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकाण्ड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियावाला हत्याकाण्ड की जांच हेतु कांग्रेस ने भी अपनी एक तहकीकात कमेटी (1919 ई.) बनाई, जिसके अध्यक्ष मदनमोहन मालवीय थे। इस कमेटी ने हत्याकाण्ड में मारे गए सदस्यों के परिवारों को हर्जाना तथा दोषियों पर सख्त कार्यवाही की अनुशंसा की।

□ खिलाफत आंदोलन (1920-1924 ई.)

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के मध्य हुई सेब्रे की संधि (1920 ई.) से तुर्की के खलीफा के समस्त अधिकार छिन गए। तुर्की के खलीफा को विश्व के मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमानों में भी ब्रिटेन के इस व्यवहार से असंतोष था। गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए यह उपयुक्त अवसर समझा। नवम्बर, 1919 ई. को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ तथा गांधीजी को इसका अध्यक्ष चुना गया। जून, 1920 ई. में इलाहाबाद में ही हिन्दू-मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने तथा 31 अगस्त, 1920 ई. का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। खिलाफत आन्दोलन में कांग्रेस की भागीदारी का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। बावजूद इसके खिलाफत आन्दोलन असहयोग आन्दोलन के साथ-साथ प्रारंभ हो गया, किन्तु असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के बाद खिलाफत आन्दोलन अप्रासंगिक बन गया। अन्ततः तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पासा के द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिए जाने से 1924 ई. में खिलाफत आन्दोलन भी समाप्त हो गया।

असहयोग आन्दोलन

□ प्रारंभ

गांधीजी ने कांग्रेस पर दबाव डाला कि जलियांवाला बाग की गलती, खिलाफत व स्वराज के मुद्दे पर असहयोग आन्दोलन छेड़ा जाए। मई, 1920 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आन्दोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 1 अगस्त, 1920 ई. को असहयोग आन्दोलन प्रारंभ किया गया। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त को ही प्रातः बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। तिलक के निधन पर शोक और आन्दोलन को शुरुआत दोनों एक साथ मिल गई।

□ कांग्रेस की स्वीकृति

सितम्बर, 1920 ई. में असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया, किन्तु देशबंधु चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विधानपरिषदों के बहिष्कार को लेकर असहयोग आन्दोलन का विरोध किया। इनके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदनमोहन मालवीय, विपिनचंद्र पाल, मोहम्मद अली जिना तथा एनी बेसेन्ट आदि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तथा कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। फिर भी अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। आगे दिसम्बर, 1920 ई. में बीरराघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन को पुनः स्वीकार कर लिया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पूर्व में इसका विरोध करने वाले सी. आर. दास ने रखा। यहां घोषित किया गया कि यदि आवश्यकता हुई, तो कांग्रेस के पुराने लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर स्वराज के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। गांधीजी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया।

□ असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम

सरकारी परिषदों, स्कूलों, न्यायालयों, उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जरूरत पड़ने पर सविनय अवज्ञा, जिसमें करन अदायगी भी शामिल आदि। इसके अतिरिक्त कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी स्वीकार किए गए, जैसे – स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन, छुआछूत व अस्पृश्यता का परित्याग, तिलक स्वराज फण्ड की स्थापना, चरखे के प्रयोग का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, मद्य बहिष्कार आदि।

□ कांग्रेस में संगठनात्मक परिवर्तन

असहयोग आन्दोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गांधीजी ने कांग्रेस के संगठन तथा लक्ष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब लक्ष्य था अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति (पहले संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति)। कांग्रेस के रोजमर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यसमिति गठित की गई। भाषायी आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, ताकि वह स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बनाए रख सके। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क चार आना सालाना कर दी गई, जिससे गरीब लोग भी सदस्य बन सके।

□ असहयोग आन्दोलन की प्रगति

सर्वप्रथम आन्दोलन प्रारंभ करने से पहले गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि केसर-ए-हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिनमें सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल, बल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली आदि सम्मिलित थे। इस दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं, जैसे – काशीविद्या पीठ (1920 ई.), जामिया मिलिया इस्लामिया/अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (1920 ई.) की स्थापना हुई। सुभाषचंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बनाए गए। आन्दोलन चलाने के लिए 1921 ई. में तिलक स्वराज फण्ड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए। आन्दोलन में सबसे अधिक सफलता विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को मिली। इस आन्दोलन में एक अन्य कार्यवाही, जो बहुत लोकप्रिय हुई वह थी, ताड़ी की दुकानों पर धरना, हालांकि यह मूल कार्यक्रम में नहीं था।

□ इस दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण आन्दोलन

- नागपुर झण्डा सत्याग्रह (1923 ई.)

1923 ई. के मध्य में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ नागपुर झण्डा सत्याग्रह किया गया।

- ♦ वारसाड आन्दोलन (1923 ई.)

1923 ई. में वारसाड (गुजरात) के प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपए 7 आने का कर लगाया गया। कहा गया कि यह कर इसलिए लगाया जा रहा था कि डॉकेटों की लहर दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था की जा सके। कर प्रभावित सभी गांवों ने नए कर की अदायगी न करने का निर्णय लिया। अन्ततः 1923 ई. में सरकार ने इस कर को रद्द कर दिया।

- ♦ वायकूम सत्याग्रह (1924-25 ई.)

यह मंदिर प्रवेश का पहला आन्दोलन था। 1924-25 ई. में केरल के त्रावणकोर राज्य में कांग्रेसी नेता टी. के. माधवन एवं केलप्पन द्वारा वायकूम सत्याग्रह आन्दोलन चलाया गया। यह आन्दोलन निम्न जाति इज्जावा एवं नायर द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के मंदिर की सड़क के उपयोग हेतु अपने अधिकारों को मनवाने का प्रयास था। अन्ततः 1925 ई. में सरकार ने इनके लिए एक पृथक सड़क का निर्माण करवा दिया।

- ♦ अकाली आन्दोलन (1922-27 ई.)

यह आन्दोलन सिक्ख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक भ्रष्ट आनुवांशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए हुआ था। अन्ततः 1925 ई. में में पारित विधेयक द्वारा सिक्ख समुदाय को अपने गुरुद्वारों के प्रबंध हेतु पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का चुनाव करने का अधिकार दे दिया गया। इस विधेयक के परिणामस्वरूप गुरुद्वारों के प्रबंधन हेतु 'शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति' की स्थापना हुई।

इसके अतिरिक्त असहयोग आन्दोलन के दौरान मिदनापुर में यूनीयन बोर्ड आन्दोलन, केरल में मोपला विद्रोह, असम में चायबागान आन्दोलन आदि भी हुए।

□ असहयोग आन्दोलन की समाप्ति

1921 ई. में भारत में लॉर्ड रीडिंग को नया वायसराय बनाया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश दमनचक्र बढ़ गया। गांधीजी को छोड़कर असहयोग आन्दोलन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। असहयोग आन्दोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। गांधीजी ने अलीबंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण नवम्बर, 1921 ई. में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। इससे क्रुद्ध होकर ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन की नीति का सहारा लिया। परिणामस्वरूप करीब 60,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। 1 फरवरी, 1922 ई. को गांधीजी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अन्दर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता, तो वे करों की न अदायगी सहित बारदोली से सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ देंगे, परन्तु इसी समय चौरा-चौरीकाण्ड हो गया, जिसके कारण गांधीजी को असहयोग आन्दोलन वापस लेना पड़ा।

- ♦ चौरी-चौरा काण्ड (5 फरवरी, 1922 ई.)

5 फरवरी, 1922 ई. को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने से क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद गांधीजी को भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आन्दोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। अतः गांधीजी ने 12 फरवरी, 1922 ई. को बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी-चौरा काण्ड के कारण असहयोग आन्दोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

इस प्रकार गांधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन को अचानक स्थगित कर देने से राष्ट्रवादियों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, सुभाषचंद्र बोस ने इस विषय पर गांधीजी की आलोचना की है। इन सब विरोधों के बावजूद जनता एवं नेतागण दोनों को गांधीजी में आस्था थी और वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। अतः गांधीजी के फैसले को थोड़ी-बहुत प्रतिक्रिया के बाद सभी ने स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला असहयोग आन्दोलन समाप्त हुआ।

10 मार्च, 1922 ई. को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई, परन्तु 5 फरवरी, 1924 ई. को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधीजी को 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही छोड़ दिया गया।

□ असहयोग आन्दोलन के बाद

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा। सी. आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए नई रणनीति की बकालत की। इन्होंने सुझाव दिया कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस को विधानपरिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए। इन्हें परिवर्तनवादी (प्रो-चेंजर्स) कहा गया। दूसरा गुट अपरिवर्तनवादियों (नो-चेंजर्स) का था, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, बल्लभभाई पटेल तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इन्होंने विधानपरिषद के बहिष्कार का समर्थन किया।

कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसम्बर, 1922 ई. को हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी. आर. दास कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के समक्ष विधानपरिषद में चुनाव लड़ने हेतु प्रस्ताव रखा। अपरिवर्तनवादियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया। परिणामस्वरूप सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और मार्च, 1923 ई. में स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की।

स्वराज पार्टी

स्थापना : मार्च 1923 ई.

स्थान : इलाहाबाद।

संस्थापक : सी. आर. दास व मोतीलाल नेहरू।

स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को ही अपना कार्यक्रम बनाया। फर्क केवल इतना था कि इस पार्टी ने साल के अंत में होने वाले चुनाव (1919 ई. के एक्ट अनुसार) में हिस्सा लेने का निर्णय भी किया। स्वराज पार्टी ने घोषणा की कि वह विधान परिषद में स्वराज की मांग उठाएगी और यदि यह मांग नहीं मानी गई, तो विधानपरिषद के कार्यवाही में बाधा डालकर विरोध प्रदर्शित करेंगे।

अपरिवर्तनवादी एवं स्वराजियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर, 1923 ई. में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में (कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष) दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने विधानमण्डलों के कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने व मतदान करने की इजाजत दी गई।

5 फरवरी, 1924 ई. को स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया गया। बदले हुए हालातों को देखते हुए नवम्बर, 1924 ई. को गांधीजी ने स्वराजियों और उनके विरोधियों के बीच की खाई को पाट दिया। सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरू तथा गांधीजी ने संयुक्त वक्तव्य दिया, जो गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार गांधीजी व उनके समर्थक खादी आन्दोलन चलाएंगे व स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न के रूप में विधानपरिषदों में अपना कार्य करते रहेंगे। गांधी-दास पैक्ट को दिसम्बर, 1924 ई. के कर्नाटक स्थित बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधीजी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन में ही पुनः कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का विभाजन हो गया।

नवम्बर, 1923 ई. में विधानपरिषद के चुनाव हुए, जिसमें स्वराज पार्टी को काफी सफलता मिली। केंद्रीय विधानपरिषद की 101 निर्वाचित सीटों में 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। स्वराज पार्टी केन्द्रीय विधानपरिषद में विट्ठलभाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने में सफल रही। मध्य प्रांत में इसे स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। संयुक्त प्रांत व असम में यह दूसरी बड़ी पार्टी बनी।

स्वराजियों ने धीरे-धीरे परिषद में असहयोग की नीति को छोड़कर सहयोग की नीति अपना ली। 1925 ई. में चितरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को काफी बड़ा धक्का लगा। परिणामस्वरूप 1926 ई. के चुनाव में स्वराज पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। इस तरह कांग्रेस की उदासीनता, दास की मृत्यु तथा चुनाव में असफलता के कारण स्वराज पार्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अन्ततः 1929 ई. में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किए जाने से 1930 ई. में स्वराजियों ने विधानमण्डल का दामन छोड़ दिया। इस प्रकार इस पार्टी का अन्त हो गया।

क्रांतिकारी आन्दोलन का द्वितीय चरण

असहयोग आन्दोलन के असफल होने और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में देश के क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया तथा उन्होंने क्रांतिकारी उपायों को पुनः अपनाया।

□ हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन

स्थापना : 1924 ई.

स्थान : कानपुर।

संस्थापक : सचिन सानियाल तथा योगेशचंद्र चटर्जी।

उद्देश्य : सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्र की स्थापना करना।

□ काकोरी काण्ड (9 अगस्त, 1925 ई.)

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने धन जमा करने के उद्देश्य से पहली बड़ी घटना काकोरी में की। 9 अगस्त, 1925 ई. को लखनऊ-सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को रोककर सफलतापूर्वक सरकारी खजाना लूट लिया। घटना की प्रतिक्रिया में 4 क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौड़ी व अशफाक उल्ला खां को मृत्युदण्ड दे दिया गया।

□ नौजवान सभा

स्थापना : 1926 ई.।

स्थान : पंजाब।

संस्थापक : भगतसिंह, यशपाल व छबीलदास।

□ हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन

स्थापना : सितंबर 1928 ई.।

स्थान : दिल्ली।

संस्थापक : चंद्रशेखर आजाद।

उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए काकोरी काण्ड एक बड़ा आघात था। इस काण्ड में अधिकांश नेता गिरफ्तार हो जाने तथा पुलिस की दमनात्मक कार्यवाही से क्रांतिकारी संगठन कमज़ोर हो गया था। काकोरी काण्ड से बचे हुए फरार व्यक्तियों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पुनः इस नए संगठन की स्थापना की।

□ साण्डर्स की हत्या (दिसम्बर, 1928 ई.)

अक्टूबर, 1928 ई. को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान घायल हो जाने से दिसम्बर, 1928 ई. में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का बदला लेने हेतु दिसम्बर, 1928 ई. में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में से एक पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या कर दी।

□ सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम काण्ड (अप्रैल, 1929 ई.)

अप्रैल, 1929 ई. को केंद्रीय विधानपरिषद में ‘ट्रेड डिस्प्यूट बिल’ तथा ‘पब्लिक सेफ्टी बिल’ पारित किया जा रहा था। इसी असेम्बली में भगत सिंह और बटूकेश्वर दत्त ने बम फेंककर वहाँ कुछ पर्चे बिखेरते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पर्चे पर लिखा हुआ था – “बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है।” भगत सिंह व बटूकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

□ लाहौर षड्यंत्र केस (1929-31 ई.)

भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। इस केस के दौरान सितम्बर, 1929 ई. में भूख हड़ताल में बैठे जतिनदास की अनशन के 64वें दिन मृत्यु हो गई। इसी बीच फरवरी, 1931 ई. में इलाहाबाद के अलफ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद की भी मृत्यु हो गई। लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी पाए जाने पर 23 मार्च, 1931 ई. को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा दी गई।

□ चटगांव आर्मी रेड (अप्रैल, 1930 ई.)

बंगाल में सूर्यसेन (मास्टर दा) ने चटगांव आर्मी रेड एवं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1930 ई. में सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हमला कर अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई। इसमें प्रीतिलता वाडेकर व कल्पना दत्त ने भी हिस्सा लिया था। इसके तत्काल बाद ही सूर्यसेन ने भारत की अस्थायी स्वतंत्र सरकार का गठन किया, जिसके बे स्वयं राष्ट्रपति बने।

चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वालों के विरुद्ध हुई कार्यवाही में प्रीतिलता वाडेकर ने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली, जबकि कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी, 1933 ई. में सूर्यसेन भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 1934 ई. में फांसी दे दी गई।

□ अन्य क्रांतिकारी घटनाएं

दिसम्बर, 1931 ई. में कोमिल्ला की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष एवं सुनीति चौधरी ने वहाँ के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी प्रकार फरवरी, 1932 ई. में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी थी।

यहाँ उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारी आन्दोलन के प्रथम चरण में क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे, मगर स्वतंत्रता के बाद समाज की संरचना का खाका उन्होंने नहीं खींचा, जबकि दूसरे चरण के क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने ब्रिटिशराज के बाद किसान और मजदूरों के राज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया था।

साईमन कमीशन

भारत शासन अधिनियम 1919 ई. के अनुसार प्रांतों में लागू की गई द्वैध शासन पद्धति की सफलता या असफलता की जांच हेतु 10 वर्ष बाद एक कमीशन गठित होना था, किन्तु 1929 ई. में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने नवम्बर, 1927 ई. (साईमन कमीशन) में ही इसकी घोषणा कर दी। सेन्ट साईमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन के सभी 7 सदस्य यूरोपीय थे, जिनमें एक प्रमुख सदस्य लेबर पार्टी के एटली भी थे। दिसम्बर, 1927 ई. में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साईमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।

कमीशन 3 फरवरी, 1928 ई. को बॉम्बे के तट पर उतरा। काले झंडे दिखाकर उसका बहिष्कार किया गया। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। जब साईमन कमीशन लखनऊ पहुंचा, तो उसका विरोध पंडित गोविन्द बल्लभ पंत एवं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। उसी प्रकार जब साईमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। **पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की दिसम्बर 1928 ई. में मृत्यु हो गई।**

साईमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 ई. में प्रकाशित हुई, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारीश की गई। कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का समय अभी नहीं आया है।

□ नेहरू रिपोर्ट

कांग्रेस ने जब साईमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया, तब भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय दलों को चुनौती दी कि अगर आप में योग्यता है तो आप सर्वसम्मति से एक संविधान प्रस्तुत करें। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फरवरी, 1928 ई. को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें संविधान निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। मई, 1928 ई. को डॉ. अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में इसकी दोबारा बैठक हुई, जहां पर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 9 व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की गई। पं. मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अली इमाम व शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग से तथा सुभाषचंद्र बोस कांग्रेस से सदस्य थे।

पं. मोतीलाल नेहरू ने दिसम्बर, 1928 ई. में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे -

- 1) उत्तरदायी सरकार।
- 2) भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स।
- 3) मौलिक अधिकार का प्रस्ताव।
- 4) वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मण्डल।
- 5) भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए।
- 6) अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित।
- 7) जिन स्थानों पर मुसलमान अल्पमत में थे, वहां उनके लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमण्डलों में स्थान आरक्षित होंगे, लेकिन जिन स्थानों में उनका बहुमत होगा, उन स्थानों पर आरक्षण नहीं होगा।

नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि अगर एक वर्ष के अन्दर डोमिनियन स्टेट्स नहीं दिया गया, तो इस सीमा के पश्चात् पूर्ण स्वराज की बात करने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र होगी। किन्तु मोहम्मद अली जिना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। मार्च, 1929 ई. में मोहम्मद अली जिना ने 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत कीं, जिनमें प्रमुख मांगें थीं - केंद्रीय परिषद् में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं, 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित हो, कोई भी ऐसा विधेयक पारित न किया जाए जिसका विरोध किसी सम्प्रदाय के 3/4 सदस्यों ने किया हो तथा सिंध को मुम्बई से अलग कर पृथक प्रांत बनाया जाए। कांग्रेस ने जिना के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट पर आम सहमति नहीं बन सकी।

□ ऑल इंडिया इंडिपेंडेन्स लीग (नवम्बर, 1928 ई.)

सुभाषचंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति आदि युवा राष्ट्रवादी भी नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे। ये लोग डोमिनियन स्टेट्स के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। इन्होंने नवम्बर, 1928 ई. में ऑल इंडिया इंडिपेंडेन्स की स्थापना की।

□ लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर, 1929 ई.)

दिसम्बर, 1929 ई. में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस अधिवेश में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया तथा संविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 31 दिसम्बर, 1929 ई. में मध्य रात्री में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में राती नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झण्डा फहराया। 26 जनवरी, 1930 ई. को सम्पूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यही कारण है कि भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू किया गया, क्योंकि इस दिन 1930 ई. को जो प्रतिज्ञा भारतवासियों ने ली थी, वह प्रतिज्ञा 26 जनवरी, 1950 ई. में पूर्ण हुई।

□ गांधीजी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगें (31 जनवरी, 1930 ई.)

गांधीजी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 सूत्रीय मांगें रखी, जो निम्नलिखित हैं -

- 1) सेना के व्यय में 50 प्रतिशत की कटौती।
- 2) सिविल सेवा के वेतनों में 50 प्रतिशत की कटौती।
- 3) भू-राजस्व में 50 प्रतिशत की कटौती।
- 4) राजनीतिक बंदियों की रिहाई
- 5) रुपए स्टर्लिंग के अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैस करना।
- 6) पूर्ण शराब बंदी।

7) कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए।

9) अपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार।

11) हथियार कानून में सुधार करके लाइसेंस की स्वीकृति को जननियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाए।

गांधीजी की इन मांगों पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रूप नहीं अपनाया। फलत: 14 फरवरी, 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने का निश्चय किया गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

दांडी मार्च (12 मार्च 1930-6 अप्रैल 1930 ई.)

महात्मा गांधी ने 12 मार्च, 1930 ई. को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च (नौसारी जिला, गुजरात) प्रारंभ किया। 6 अप्रैल, 1930 ई. को दांडी पहुंचकर गांधीजी ने हाथ में नमक लेकर नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ हो गया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नहीं रहना चाहते थे। सुभाषचंद्र बोस ने गांधीजी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी।

कार्यक्रम

सभी स्थानों पर नमक कानून भंग किया जाएगा। विद्यार्थियों को कॉलेज, सरकारी सेवकों को सेवाओं तथा वकीलों को न्यायालय का बहिष्कार करना था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। महिलाएं शराब दुकानों पर धरना देंगी।

आन्दोलन का विस्तार

- ब्रम्बई

यहां आन्दोलन का केंद्र बिन्दु धरासना था। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद (इस समय यरवदा जेल में) यहां सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला। धरासना आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन अमेरिकी पत्रकार ब्रेब मिलर ने किया है।

- दक्षिण भारत

यहां भी नमक आन्दोलन का तेजी से प्रसार हुआ। सी. राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम् तक की यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। मालाबार में के. कल्लपन एवं के. माधवन ने कालीकट से पयान्नुर तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ा।

- मध्य भारत, महाराष्ट्र व कर्नाटक

इन क्षेत्रों में जंगल नियमों के उल्लंघन हेतु आन्दोलन चलाया गया।

- लाल कुर्ती आन्दोलन

उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सीमांत गांधी एवं बादशाह खां के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के स्वयंसेवकों के साथ आन्दोलन में भाग लिया। ये स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहने होते थे। यह विशुद्ध अहिंसक आन्दोलन था। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली।

- पेशावर

पेशावर की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके नेता चंद्रसिंह गढ़वाली थे, जिस कारण बाद में उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र

पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इस आन्दोलन को जियालरंग आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। यहां नागा विद्रोह का नेतृत्व कर रही रानी गैडिनल्यू को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। इनके बारे में नेहरू ने लिखा - एक दिन आएगा, जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा।

आन्दोलन का सामाजिक आधार

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में व्यवसायिक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आन्दोलन में स्त्रियों की भागीदारी विलक्षण थी। स्त्रियों ने धरनों, जुलूसों व बहिष्कार कार्यक्रमों में शामिल होकर आन्दोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बना दिया। आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों की वानर सेना तथा बच्चियों की मंजरी सेना बनाई गई।

□ आन्दोलन का पतन

आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए वायसराय इरविन ने कठोर दमन का रास्ता अपनाया। गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसके उपरान्त आन्दोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने संभाला, किन्तु आन्दोलन समाप्तप्राय हो गया। इसी समय साईमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें से कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया।

□ प्रथम गोलमेल सम्मेलन (नवम्बर 1930- जनवरी 1931 ई.)

ब्रिटिश सम्प्राट जार्ज पंचम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेल सम्मेलन हुआ। इसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के. टी. पाल ने किया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। अतः यह सम्मेलन सफल नहीं रहा।

□ गांधी-इरविन पैक्ट/दिल्ली समझौता (5 मार्च, 1931 ई.)

इरविन ने 26 जनवरी, 1931 ई. को गांधीजी को जेल से रिहा कर समझौता करने का प्रयास किया। तेजबहादुर सपू एवं जयकर के प्रयासों से अंततः 5 मार्च, 1931 ई. को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी-इरविन पैक्ट (दिल्ली समझौता) के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने इरविन व गांधीजी को दो महात्मा कहा। गांधी-इरविन पैक्ट के प्रमुख प्रावधान थे -

- 1) सविनय अविज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया जाएगा।
- 2) प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हिंसा में भाग नहीं लेने वाले कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।
- 3) समुद्र के आसपास निवास करने वाले व्यक्तियों को नमक बनाने का आधिकार मिलेगा।
- 4) कांग्रेस दूसरे गोलमेल सम्मेलन में भाग लेगी।

□ कराची अधिवेशन (29 मार्च, 1931 ई.)

इसकी अध्यक्षता सरदार बल्लभभाई पटेल ने की। करांची कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी-इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। यहां युवाओं ने गांधीजी को काले झंडे दिखाए, क्योंकि गांधी-इरविन पैक्ट में भगतसिंह की सजा माफी पर कोई समझौता नहीं किया गया था। इसी समय गांधीजी ने कहा था कि “गांधी मर सकते हैं, किन्तु गांधीवाद नहीं।” इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेल सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधीजी को अधिकृत किया।

□ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितम्बर, 1931-दिसम्बर, 1931 ई.)

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितम्बर, 1931 ई. से लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रारंभ हुआ। कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि गांधीजी एस. एस. राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैण्ड पहुंचे। भारतीय महिला प्रतिनिधि के तौर पर सरोजनी नायडू ने सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही एनी बेसेंट भी थी। मोहम्मद इकबाल तथा जिन्ना ने मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया। मदनमोहन मालवीय ने राष्ट्रीयवादी दल का प्रतिनिधित्व किया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों के अतिरिक्त दलित वर्ग, भारतीय ईसाई, एग्लो इंडियन और यूरोपियन भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। गांधीजी ने अनुसूचित जातियों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। इतना तक कि गांधीजी सभी मांगें मानने के लिए तैयार थे। बशर्ते मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वराज मांग का समर्थन करे। लीग ने समर्थन देने से इनकार कर दिया और वार्ता टूट गई। 1 दिसम्बर, 1931 ई. को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। भारत लौटने के बाद गांधीजी ने पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ कर दिया।

□ द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन (जनवरी, 1932-अप्रैल, 1934 ई.)

4 जनवरी, 1932 ई. को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। लोगों में आन्दोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधीजी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन को 7 अप्रैल, 1934 ई. को स्थगित कर दिया।

□ साम्प्रदायिक पंचाट/कम्यूनल एवॉर्ड (16 अगस्त, 1932 ई.)

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त, 1932 ई. को साम्प्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत् दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। मुसलमान व सिक्ख पहले से अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस कानून के अनुसार दलित वर्ग को भी अल्प-संख्यक मानकर हिन्दूओं से अलग कर दिया गया। उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत को छोड़कर अन्य प्रांतों में स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए।

□ पूना समझौता (26 सितम्बर, 1932 ई.)

गांधीजी ने साम्प्रदायिक पंचाट के विरुद्ध यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जो गांधीजी का प्रथम आमरण अनशन था। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफी तेजी से गिरने लगा। दबाव में आकर अम्बेडकर गांधीजी से समझौता करने को तैयार हो गए। समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मण्डल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमण्डल में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमण्डल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत कर दी गई।

अब गांधीजी ने अपना पूरा समय हरिजनों के कल्याण में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटा लेने का निश्चय किया। सितम्बर, 1932 ई. में गांधीजी ने अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग तथा हरिजन सेवक संघ का गठन किया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। गांधीजी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन भी प्रारंभ किया।

□ तृतीय गोलमेज सम्मेलन (नवम्बर, 1932-दिसम्बर 1932 ई.)

तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी एवं साम्प्रदायिक थे। सम्मेलन की समाप्ति के बाद सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक समिति गठित की गई। श्वेत पत्र तथा समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम-1935 पारित किया।

□ 1935 ई. का एक्ट और प्रांतीय चुनाव

1935 ई. के एक्ट द्वारा भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अधिकार मिल गया। कुछ प्रारंभिक आलोचना के बावजूद कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। 1936 ई. के लघनऊ तथा 1937 ई. फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया गया।

1935 ई. के एक्ट के अनुसार 1937 ई. में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। 11 में से 5 प्रांतों (मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास) में स्पष्ट बहुमत मिला। इसके अतिरिक्त बॉम्बे में लगभग स्पष्ट बहुमत मिला। पश्चिमोत्तर प्रांत व असम में कांग्रेस को सबसे बड़ा दल होने का लाभ प्राप्त हुआ। बम्बई में डॉ. अम्बेडकर की इंडिपेन्डेन्स लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 जीती थीं। चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह पराजित हुई। पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में लीग एक भी सीट नहीं पा सकी, जबकि पंजाब में केवल 2 और सिंध में केवल 3 स्थानों पर ही विजय प्राप्त कर सकी।

कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों (मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, पश्चिमोत्तर प्रांत व असम) में अपनी सरकार बनाई। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। बंगाल में फजलूल हक की कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर तथा पंजाब में अप्सर हुसैन (आगे सिकन्दर हयात खान) की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। सिंध में अलग-अलग नेताओं के अधीन गैर-कांग्रेसी सरकार गठित हुई।

□ कांग्रेस मंत्रीमण्डल का कार्यकाल (1937-1939 ई.)

1937 ई. के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मद्रास में सी. राजगोपालाचारी, बिहार में श्रीकृष्ण सिन्हा, उड़ीसा में बी. एन. दास, मध्य प्रांत में बी. एन. खरे (इनके इस्तीफे के बाद रविशंकर शुक्ल), संयुक्त प्रांत में गोविन्द बल्लभ पंत, मुम्बई में बी. जी. खरे, असम में सादुल्ला खान (इनके इस्तीफे के बाद गोपीनाथ बारदोलाई) तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में डॉ. खान साहब प्रधानमंत्री बने। बंगाल में फजलूल हक, पंजाब में सिकन्दर हयात खान तथा सिंध में अल्लाह बख्शा (इनके इस्तीफे के बाद बंदे अलीखा खान) प्रधानमंत्री बने।

□ त्रिपुरी अधिवेशन (1939 ई.)

सुभाषचन्द्र बोस को 1938 ई. में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। 1939 ई. में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी अध्यक्ष पद हेतु सुभाषचन्द्र बोस ने दावा प्रस्तुत किया, जबकि गांधीजी ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया। अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाषचन्द्र बोस ने जीत हासिल की। पट्टाभि सीतारमैया की हार को गांधीजी ने अपनी हार माना।

गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सुभाषचन्द्र पर यह दबाव डाला कि वे गांधीजी के परामर्श से कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन करें। सुभाष इसके लिए तैयार नहीं हुए तथा उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात् सुभाषचन्द्र बोस ने 1939 ई. में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाषचन्द्र बोस के त्यागपत्र देने के उपरान्त राजेन्द्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।

□ कांग्रेस मंत्रिमण्डल का त्यागपत्र (30 अक्टूबर, 1939 ई.)

1 सितम्बर, 1939 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की तथा यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। परिणामस्वरूप 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अक्टूबर, 1939 ई. को 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर, 1939 ई. को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, जिसमें उनका साथ डॉ. अम्बेडकर ने भी दिया।

□ अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त, 1940 ई.)

अब तक यूरोप में युद्ध की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। डेनमार्क, पोलैण्ड, नार्वे, हॉलैण्ड, बेल्जियम तथा फ्रांस सारे जर्मनी की सेना के सामने घुटने टेक चुके थे। इंग्लैण्ड पर भी पराजय का खतरा मंडरा रहा था। अतः युद्ध में भारत का समर्थन अनिवार्य हो गया था। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से इस शर्त पर सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। सरकार के इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे –

- 1) युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान संस्था का गठन किया जाएगा।
- 2) वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।
- 3) एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित की जाएगी।
- 4) भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा, जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली व प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो।

कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को “दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह” कहा। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह भारत विभाजन से कम कोई अन्य व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी।

□ पाकिस्तान की मांग (23 मार्च, 1940)

23 मार्च, 1940 ई. को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकन्दर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलूल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमां ने उसका समर्थन किया था। पाकिस्तान का नाम सर्वप्रथम 1933 ई. में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ई. में गढ़ा। इसके अन्तर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान आते थे। हालांकि मुस्लिमों के लिए पंजाब, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल कर एक पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकाबल ने दिया था।

□ व्यक्तिगत सत्याग्रह (17 अक्टूबर, 1940 ई.)

गांधीजी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर, 1940 ई. में पवनार आश्रम (महाराष्ट्र) से शुरू किया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आन्दोलन को दिल्ली चलो आन्दोलन भी कहा गया। आगे 1951 ई. में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भू-दान आन्दोलन भी प्रारंभ किया था।

□ क्रिप्स प्रस्ताव (मार्च, 1942 ई.)

इस समय तक द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर ने यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस पर भी आक्रमण कर दिया था। इधर, पूर्व में जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौ-सेना पर हमला किया तथा शीघ्र ही वह मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एवं बर्मा को ब्रिटेन से छीनकर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से कहा कि वे भारतीयों से कोई समझौता करे, ताकि जापानी खतरे को रोका जा सके। परिणामस्वरूप चर्चिल ने मार्च, 1942 ई. में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा। इस कमीशन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए –

- 1) युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा तथा एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

2) मुस्लिम लीग और देशी रियासतों को संघ को स्वीकार करने या अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया गया (सर्वप्रथम ब्रिटिश समर्थित स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान बनने के बीज इसी प्रस्ताव में दिखाई देते हैं)।

3) नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा।

अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार तथा संविधान निर्माण का अधिकार मिला हुआ था। दूसरी ओर मुस्लिम लीग के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की संभावना भी थी, परन्तु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार दिया।

महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को “दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक (पोस्ट डेटेड चेक)” कहा।

भारत छोड़ो आन्दोलन (अगस्त क्रांति)

क्रिप्स मिशन की असफलता से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के बीच किसी भी प्रकार के समझौते और वास्तविक संवैधानिक रियायतें देने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा। अतः एक ठोस आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया। गांधीजी को भी लगने लगा कि अब देर करना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती भी दे डाली की कि अगर उसने संघर्ष का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो “मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दूंगा।” नतीजतन कांग्रेस ने वर्धा में अपनी कार्यसमिति की बैठक बुलाई।

□ वर्धा प्रस्ताव (14 जुलाई, 1942 ई.)

जुलाई, 1942 ई. में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा (महाराष्ट्र) में बुलाई गई। इसमें गांधीजी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्हें भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारंभ करने हेतु अधिकृत किया गया।

□ बम्बई अधिवेशन (7 अगस्त 1942 ई.)

7 अगस्त, 1942 ई. में बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। यहां उल्लेखनीय है कि भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में कैद होने के कारण कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया, अतः 1941-1945 ई. तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहे।

इस अधिवेशन में गांधीजी द्वारा तैयार किए गए भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिसे 8 अगस्त, 1942 ई. को स्वीकार कर लिया गया। गांधीजी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में “करो या मरो” का नारा दिया।

□ कार्यक्रम

भारत छोड़ो आन्दोलन हेतु गांधीजी ने लोगों को जो निर्देश दिए, वे इस प्रकार थे -

- 1) सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, किन्तु कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें।
- 2) छात्र तभी पढ़ाई छोड़े, जबकि आजादी प्राप्त होने तक वे इस पर अड़िग रह सकें।
- 3) राजे-महाराजे भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें और देशी रियासतों में रहने वाली जनता स्वयं को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर दें।
- 4) यदि जमींदार काश्तकारों का साथ न दे, तो काश्तकार कर चुकता न करें।

□ प्रारंभ

9 अगस्त 1942 ई. से भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारंभ हो गया, किन्तु इसी दिन की सुबह “ऑपरेशन जीरो ऑवर” के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधीजी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। आन्दोलन नेतृत्वविहीन हो गया। इस आन्दोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणामस्वरूप इस आन्दोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढाँचा भी तैयार हो गया।

भूमिगत आन्दोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राममनोहर लोहिया के हाथों में थी। हजारी बाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आन्दोलन की बागडोर संभाली। इस आन्दोलन में सबसे रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्तरूप से संचालन किया जाना था। सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता ने प्रारंभ किया था, जबकि राममनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर बोलते थे।

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानान्तर सरकारों की स्थापना हुई।

1) **बलिया (उत्तर प्रदेश)** - यहां चितू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानान्तर राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई।

2) **तामलुक (बंगाल)** - यहां सतीश सामंत के नेतृत्व में जातीय सरकार की स्थापना की। यहां 73 वर्षीय किसान विधवा मातंगिनी हाजरा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झण्डे को ऊँचा रखा था।

3) **सतारा (महाराष्ट्र)** - यहां वाई. बी. चाहाण के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई। यह सरकार सबसे दीर्घजीवी रही।

□ आन्दोलन का सामाजिक आधार

आन्दोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता आदि महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों तथा छोटे जर्मीदारों ने आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन का हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, भीमराव अम्बेडकर, साम्यवादी दल तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन नहीं किया।

□ गांधीजी का उपवास (10 फरवरी, 1943 ई.)

अंग्रेजी सरकार ने फरवरी, 1943 ई. में भारत छोड़ो आन्दोलन के समय हुई हिंसा का पूरा दोष गांधीजी एवं कांग्रेस पर थोप दिया। गांधीजी ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार के द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर गांधीजी ने 10 फरवरी, 1943 ई. से 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। देश की जनता ने सरकार पर गांधीजी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों व संस्थाओं ने भी गांधीजी को रिहा करने का सुझाव दिया, परन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि “जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तो ऐसे समय एक कम्बख्त बुद्धे के समक्ष कैसे झुक सकते हैं, जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है।” सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय कॉन्सिल के सदस्य सर मोदी, सर एन. एन. सरकार एवं अणे ने इस्तीफा दे दिया। गांधीजी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई, 1944 ई. को रिहा कर दिया गया। इस बीच गांधीजी की पली कस्तुरबा गांधी एवं गांधीजी के निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी।

□ आन्दोलन की समाप्ति

प्रारंभ से ही सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण भारत छोड़ो आन्दोलन को सफलता प्राप्त नहीं हुई, किन्तु इस आन्दोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। चीन, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया।

आजाद हिन्द फौज

♦ परिचय

नेताजी के नाम से विख्यात सुभाषचंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 ई. को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। सुभाष 1919 ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड चले गए। सुभाष का 1920 ई. में इंडियन सिविल सर्विस में चयन हुआ, परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वे 1921 ई. में चितरंजन दास की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हो गए। चितरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु थे।

♦ प्रारंभिक उपलब्धि

1928 ई. में सुभाषचंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। उन्होंने 1938 ई. के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन (गुजरात) की अध्यक्षता की। 1939 ई. के त्रिपुरी अधिवेशन में फिर इस पद के लिए खड़े होने का निर्णय किया। सुभाष ने पट्टाभि सीतारमैया को पराजित कर अध्यक्ष पद प्राप्त भी किया, किन्तु आगे विवाद होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात् सुभाष ने 1939 ई. में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 ई. में उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। जनवरी, 1941 ई. में सुभाष एक पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकल गए तथा कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। वहां से काबुल होते हुए रूस, फिर जर्मनी पहुंच गए और हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। यहीं पर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से बर्लिन में उन्होंने द फ्री इंडियन लीज़न नामक सेना बनाई।

- **टोकियो सम्मेलन (मार्च, 1942 ई.)**

इन दिनों भारत के पुराने व प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासविहारी बोस जापान में थे। उन्होंने 28 मार्च, 1942 ई. को टोकियो में सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग तथा आजाद हिन्द फौज बनाने की घोषणा की और जून, 1942 ई. में बैंकाक में भारतीय का पूर्ण प्रतिनिधि सम्मेलन करने का निर्णय लिया।

- **बैंकाक सम्मेलन (जून, 1942 ई.)**

इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासविहारी बोस ने की थी, जिसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले भारतीय सम्मेलित हुए। इस सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता लीग (इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग) की स्थापना की और सुभाषचंद्र बोस को पूर्वी एशिया में आने का निमंत्रण दिया गया।

- **कैप्टन मोहन सिंह एवं आजाद हिन्द फौज (सितम्बर, 1942 ई.)**

फरवरी, 1942 ई. में जापान द्वारा सिंगापुर पर अधिकार कर लेने से यहां 40,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। मेजर फूजीहारा ने उन्हें कैप्टन मोहन सिंह (जापान की ओर से सैनिक) के सुरुद कर दिया। इन युद्धबंदियों को लेकर मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (इंडियन नेशनल आर्मी) नाम से आजाद हिन्द फौज का निर्माण किया। इस प्रकार प्रारंभिक रूप से सितम्बर, 1942 ई. में सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का गठन हो गया। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। इस प्रकार आजाद हिन्द फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह ने दिया था।

- **सुभाषचंद्र बोस एवं आजाद हिन्द फौज (अक्टूबर, 1943 ई.)**

सुभाषचंद्र बोस 2 जुलाई, 1943 ई. को सिंगापुर पहुंचे, यहां पर रासविहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाषचंद्र बोस को सौंप दी। अब ये नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर, 1943 ई. को सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस प्रकार विधिवत रूप से 21 अक्टूबर, 1943 ई. में आजाद हिन्द फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। यहाँ से दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा तथा जय हिन्द का नारा दिया गया। यहाँ से रेडियो में सुभाषचंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था, जबकि सुभाष को देशनायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी।

रंगून अस्थायी सरकार की राजधानी एवं आजाद हिन्द फौज की कमांड बना। आजाद हिन्द फौज का राष्ट्रीय गान टैगोर की कविता थी। कांग्रेस का तिरंगा झंडा इसका झंडा था। इसकी तीन ब्रिगेडों के नाम थे – सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं की ब्रिगेड का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया।

सुभाषचंद्र बोस की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, इटली, चीन आदि सम्मिलित थे। इस सरकार ने 23 अक्टूबर, 1943 ई. को मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन) के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर इसका शासन नेताजी की सरकार को सौंप दिया। दिसम्बर, 1943 ई. को सुभाषचंद्र बोस वहां गए तथा वहां उन्होंने तिरंगा झण्डा फहराया।

- **आजाद हिन्द फौज का संघर्ष**

4 फरवरी, 1944 ई. को आजाद हिन्द फौज रंगून से अराकान की पहाड़ियों की तरफ बढ़ी। यहां अराकान के मोर्चे पर ब्रिटिश सेनाओं की टुकड़ी को बुरी तरह पराजित किया। यहां विजय प्राप्त करने के पश्चात् आजाद हिन्द फौज भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। जापानियों की सहायता से उन्होंने कोहिमा पर अधिकार कर लिया और पहाड़ की चोटी पर आजाद हिन्द फौज ने भारत का तिरंगा झण्डा फहरा दिया।

आजाद हिन्द फौज का उत्साह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, परन्तु इसी बीच युद्ध में परिस्थितियां बदल गई और पूर्वी एशिया में जापान की कई स्थानों पर हार हुई। जापान की पराजय के साथ आजाद हिन्द फौज की योजना भी असफल हो गई। अगस्त, 1945 ई. में सुभाषचंद्र बोस बैंकाक से टोकियो रवाना हुए, परन्तु फारमोसा द्वीप के पास विमान में आग लग जाने कारण 18 अगस्त, 1945 ई. को उनकी मृत्यु हो गई।

- **आजाद हिन्द फौज पर मुकदमा (नवम्बर, 1945 ई.)**

आजाद हिन्द फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवम्बर, 1945 ई. को मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त तीन अधिकारी – मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सेहगल और कर्नल गुरु दयालसिंह ढिल्लो पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके समर्थन में पूरे देश में सहानुभूति की लहर चल पड़ी और ये तीनों देश के विभिन्न सम्प्रदायों की सांकेतिक एकता के प्रतीक बन गए। न केवल कांग्रेस बल्कि सभी राजनीतिक दलों जैसे मुस्लिम लीग, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि ने भी मुकदमे की सुनवाई का विरोध किया।

आजाद हिन्द फौज के बचाव के लिए कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें तेजबहादुर सप्त्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू तथा जिन्ना प्रमुख वकील थे। फौजी अदालत द्वारा इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में “लाल किले को छोड़ दो, आजाद हिन्द फौज को छोड़ दो” के नारे लगने लगे। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदण्ड की सजा को माफ कर दिया।

□ राजगोपालाचारी फार्मूला (10 जुलाई, 1944 ई.)

10 जुलाई, 1944 ई. को राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार

- 1) मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करें तथा अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका निभाए।
- 2) द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के उत्तर-पश्चिम व पूर्वी भागों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पहचान हेतु एक आयोग गठित किया जाए, फिर इन क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान करवा, भारत से उनके विच्छेद के प्रश्न पर निर्णय किया जाए।
- 3) उपर्युक्त शर्तें तभी माने जाएंगी, जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करे।

गांधीजी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, किन्तु जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। इसी दौरान गांधीजी ने जिन्ना को कायदे आजम (महान नेता) कहा था। यहां उल्लेखनीय है कि सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिन्दू-मुस्लिम एकता का दूत कहा था। चूंकि जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर ही अटल रहे, अतः वार्ता असफल हो गई। कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। इस प्रकार राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था।

□ वेवेल योजना (14 जून, 1945 ई.)

अक्टूबर, 1934 ई. में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वेवेल ने गतिरोध दूर करने हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख प्रावधान थे –

- 1) वायसराय की कार्यकारणी परिषद् का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस प्रकार प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त विषय भारतीयों को दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।
- 2) कार्यकारिणी परिषद् एक अंतरिम सरकार के समान होगी।
- 3) कार्यकारिणी परिषद् में मुसलमान सदस्यों की संख्या सर्वप्रथम हिन्दुओं के बराबर होगी।
- 4) युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे।
- 5) कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा।

□ शिमला सम्मेलन (25 जून, 1945 ई.)

वेवेल योजना पर विचार-विमर्श हेतु शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य महत्वपूर्ण नेता थे – जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफार खां आदि। गांधीजी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि वे शिमला में उपस्थित थे।

कांग्रेस ने जब अपने 5 प्रतिनिधियों में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि (मौलाना अबुल कलाम तथा खान अब्दुल गफार खां) को वायसराय की कार्यकारणी परिषद् में भेजना चाहा, तब इस पर जिन्ना ने गहरी आपत्ति जताई। उनका मानना था कि भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग ही हो सकती है, इसलिए कांग्रेस को मुस्लिम प्रतिनिधि भेजने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रूख शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना।

□ भारत में आम चुनाव (दिसम्बर, 1945)

15 अगस्त, 1945 ई. को जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इससे एक माह पूर्व ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की कंजरवेटिव पार्टी चुनाव हार गई और क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी सत्ता में आई। क्लीमेंट एटली की सरकार ने भारत में दिसम्बर, 1945 ई. में चुनाव करवाए, जिसमें केन्द्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानमण्डलों में कांग्रेस को बहुमत मिला।

केन्द्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में **91.3 प्रतिशत** मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। **प्रांतीय विधानमण्डल** में कांग्रेस को **6 प्रांतों** (मद्रास, मुम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा) में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें भी शामिल थीं, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 17 सीटें मिली। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल एवं यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में ही बहुमत प्राप्त हो सका।

□ शाही नौ-सेना का विद्रोह (18 फरवरी, 1946 ई.)

रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत मुम्बई में 18 फरवरी, 1946 ई. को हुई, जब तलवार श्रेणी के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव तथा खराब भोजन के विरोध में हड़ताल कर दी। नौ-सैनिकों की एक मांग यह भी थी कि नाविक बी. सी. दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, को रिहा किया जाए। 19 फरवरी को करांची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। अम्बाला और जबलपुर के सैनिकों ने भी सहानुभूति के रूप में हड़ताल कर दी। 22 फरवरी तक हड़ताल देशभर के नौ-सैनिक केंद्रों के साथ समुद्र में खड़े कुछ जहाजों पर भी फैल गई।

नौ-सेना विद्रोह में इनकलाब जिन्दाबाद, जय हिन्द, हिन्दू-मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिन्द फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस देशव्यापी विस्फोटक स्थिति में सरदार बल्लभभाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार कर लिया। **24 फरवरी, 1946 ई.** को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि “हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं”।

□ कैबिनेट मिशन (24 मार्च, 1946 ई.)

ब्रिटेन में 1945 ई. को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने सत्ता ग्रहण की। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। इस शिष्टमण्डल में 3 सदस्य थे - भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौ-सेना के प्रमुख ए. बी. अलेकजेन्डर। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की -

- 1) भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्य सम्मिलित हों। इस अखिल भारतीय संघ के पास विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, सूचना आदि का अधिकार हो। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए।
- 2) कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की, जिसके सदस्य प्रांतीय परिषद् व देशी रियासतों से चुने जाने थे।
- 3) कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया तथा भारत विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

□ संविधान सभा का गठन

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए, जो निम्नलिखित सुझावों के अनुरूप थे -

- 1) संविधान सभा के गठन हेतु व्यस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार किया गया, क्योंकि इसमें अत्यन्त विलम्ब होता। यह व्यवस्था की गई कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। प्रत्येक **10 लाख लोगों** पर **1 सीट** आवंटित की जानी थी।
- 2) प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख व सामान्य समुदाय) के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाना था।
- 3) प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था।
- 4) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।
- 5) संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत (**292 प्रांत + 4 कमिशनरी**) व 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी।
- 6) 292 प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में विभक्त किया गया था - भाग-क (मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा), भाग-ख (पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध) तथा भाग-ग (बंगाल एवं असम)।

इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली में एकत्रित होकर संविधान सभा का गठन करेंगे। तत्पश्चात् ये प्रांतीय प्रतिनिधि प्रत्येक भाग के प्रांत के लिए संविधान निर्माण की दिशा में अग्रसर होंगे और यह भी निर्णय करेंगे कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई समूह संविधान बनाया जाएगा और

यदि ऐसा हो, तो समूह किन प्रांतीय विषयों के साथ व्यवहार करेगा। जब समूह संविधान का निर्माण हो जाएगा, तब तीनों भागों के प्रतिनिधि एवं राज्यों के प्रतिनिधि संघ संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से पुनः एकत्रित होंगे।

कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्तावों से सहमत हो गई, जबकि मुस्लिम लीग ने 6 जून, 1946 ई. को इसे स्वीकार कर लिया, किन्तु 29 जुलाई को उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु सीधी कार्यवाही के लिए मुसलमानों का आह्वान किया।

□ संविधान सभा का चुनाव (जुलाई, 1946 ई.)

जुलाई, 1946 ई. में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए 210 साधारण स्थानों में से कांग्रेस ने 199 स्थान जीत लिए, जो 11 स्थान बचे उनमें से स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 6, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 2, दलित उद्घार संघ ने 2 तथा कम्यूनिस्ट पार्टी ने 1 स्थान जीते। 78 मुस्लिम स्थानों से मुस्लिम लीग ने 73 स्थान जीते। शेष 5 स्थानों में से कांग्रेस ने 3, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 तथा बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने 1 स्थान जीते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 296 सदस्यों में कांग्रेस का साथ देने के लिए 212 सदस्य थे, जबकि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। शेष 11 सदस्यों में से 6 सदस्य भी कांग्रेस का नेतृत्व मानने के लिए तैयार थे।

□ सीधी कार्यवाही दिवस (16 अगस्त, 1946 ई.)

कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली थी और लीग ने अस्वीकार कर दी थी। इसलिए वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, 1946 ई. को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन से होने वाले साम्प्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। दंगों का आरंभ कलकत्ता से हुआ, जो बम्बई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखाली तक फैल गया। मार्च, 1947 ई. तक पंजाब भी दंगे की चपेट में आ गया। इन दंगों को रोकने के लिए तथा शांति की पुनर्स्थापना के लिए महात्मा गांधी नोआखाली गए। इसी समय माउन्टबेटन ने गांधीजी को बन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी।

□ अंतरिम सरकार का गठन (2 सितम्बर, 1946 ई.)

मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने से इनकार करने के बाद वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अंततः 2 सितम्बर, 1946 ई. को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया।

लॉर्ड वेवेल के बहुत समझाने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने को तैयार हो गई। अतः 26 अक्टूबर, 1946 ई. को सरकार का पुनर्गठन किया गया तथा मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। लीग के 5 सदस्यों में से 2 सदस्य जोगेन्द्रनाथ मण्डल एवं लियाकत अली के लिए मंत्रीमण्डल में जगह पहले से थीं, किन्तु 3 सदस्यों को शामिल करने हेतु कांग्रेस के 3 सदस्यों शरदचन्द्र बोस, शफाक अहमद खान एवं सैयद अली जहीर को अपना स्थान रिक्त करना पड़ा।

मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का मूल उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करना, शासकीय कार्य में बाधा डालना तथा देश की प्रगति को अवरुद्ध करना था। मुस्लिम लीग के विरोधी दृष्टिकोण के कारण ही अंतरिम सरकार एक बेकार-सी निकाय सिद्ध हुई।

□ संविधान सभा की बैठक (9 दिसम्बर, 1946 ई.)

मंत्री	विभाग
जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
बल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
बलदेवसिंह	रक्षा
जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
सी. एच. भाभा	कार्य, खान तथा बंदरगाह
गजनकर अली खां	स्वास्थ्य
आई. आई. चुन्द्रीगर	वाणिज्य
अब्दुल रब नश्तर	संचार
जोगेन्द्रनाथ मण्डल	विधि
आसफ अली	रेलवे
जगजीवन राम	श्रम
लियाकत अली खान	वित्त

संविधान सभा के चुनाव के आधार पर 9 दिसम्बर, 1946 ई. को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द मिन्हा थे। 11 दिसम्बर, 1946 ई. को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, तब डॉ. राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया।

13 दिसम्बर, 1946 ई. को पं. नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सर बी. एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 जून, 1947 ई. की माउन्टबेटन योजना के अधीन विभाजन के कारण पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 थी। 31 दिसम्बर, 1947 ई. में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी।

□ एटली की घोषणा (20 फरवरी, 1947 ई.)

ब्रिटिश सरकार के लिए साम्प्रदायिक दंगों तथा अव्यवस्था के बीच भारत का प्रशासन चलाना महंगा होता जा रहा था। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 ई. को घोषणा की कि जून, 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउन्टबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त की भी घोषणा की।

□ माउन्टबेटन योजना (3 जून, 1947 ई.)

24 मार्च, 1947 ई. को माउन्टबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। भारत आते ही उन्होंने यहां की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से विचार-विमर्श किया। सर्वप्रथम उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, फिर बल्लभभाई पटेल, जिना, मौलाना आजाद, जे. बी. कृपलानी, कृष्ण मेनन, लियाकत अली, गांधीजी आदि से भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त भारत की सभी रियासतों के राजाओं से बातचीत की। माउन्टबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है।

गांधीजी ने अपनी मुलाकात के दौरान यह सुझाव दिया था कि अंतरिम सरकार पूर्णरूप से लीग के नेता जिना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में साम्प्रदायिक दंगों को रोका जा सके, परन्तु गांधी के इस सुझाव का नेहरू और पटेल ने विरोध किया। अब माउन्टबेटन ने सबसे पहले सरदार पटेल को देश के बंटवारे के पक्ष में किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को बंटवारे के पक्ष में किया। परन्तु अबुल कलाम आजाद देश विभाजन के खिलाफ थे। गांधीजी ने कहा - “अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी न होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत न दूंगा।” अंततः देश के उग्र साम्प्रदायिक दंगों के कारण विवश होकर गांधीजी ने भी भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया।

कांग्रेस और लीग से बात करने के बाद माउन्टबेटन लंदन गए और ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की योजना पेश की। ब्रिटिश सरकार की अनुमति पाकर 3 जून, 1947 ई. को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी, जिसे कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू एवं बल्लभभाई पटेल से विचार-विमर्श करने के बाद तय किया गया था। इसे ही माउन्टबेटन योजना कहा जाता है। कुछ लोग इसे मनबाटन योजना के नाम से भी पुकारते हैं। इस योजना के अनुसार -

- 1) हिन्दुस्तान को दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा।
- 2) संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा, जो इसे मानने के लिए तैयार न हो।
- 3) समस्त ब्रिटिश प्रांतों को या तो भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल होना था, जबकि देशी रियासतों के पास 3 विकल्प थे कि वे या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर पूर्व के समान ब्रिटेन के अधीन ही बनी रहे।
- 4) बंगाल एवं पंजाब में हिन्दू तथा मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग-अलग बैठकें बुलाई जाए और यदि उसमें कोई भी पक्ष विभाजन चाहेगा, तो विभाजन कर दिया जाएगा।
- 5) उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसमें शामिल होना चाहते हैं।

3 जून, 1947 ई. की माउन्टबेटन योजना को मुस्लिम लीग ने 10 जून, 1947 ई. को दिल्ली में हुई बैठक में स्वीकार कर लिया। 14 जून, 1947 ई. को दिल्ली में ही हुई कांग्रेस की बैठक में भी इस योजना को स्वीकार कर लिया गया, जिसकी अध्यक्षता जे. पी. कृपलानी ने की थी। भारत को जब स्वतंत्रता मिली, उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जे. पी. कृपलानी ही थे। कांग्रेस की दिल्ली बैठक में गोविन्द बल्लभ पंत ने माउन्टबेटन योजना का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका समर्थन अबुल कलाम आजाद, बल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा गांधीजी ने भी किया। हालांकि इस प्रस्ताव का कांग्रेस के नेता चौथाराम मिटवानी, डॉ. किचलू, पुरुषोत्तमदास टंडन, मौलाना हफीजुर्रहान आदि ने विरोध किया था।

इस दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी माउन्टबेटन योजना को स्वीकार नहीं किया तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में से पञ्चान्तरिस्तान नामक पृथक राष्ट्र की मांग हेतु यहां जनमत संग्रह कराने को कहा, किन्तु माउन्टबेटन ने इसे अस्वीकार कर दिया।

□ भारत स्वतंत्रता अधिनियम-1947 ई. (18 जुलाई, 1947 ई.)

माउन्टबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई, 1947 ई. को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई, 1947 ई. को स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत को 2 डोमिनियनों (भारत तथा पाकिस्तान) में बांट दिया गया। मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। वहीं दूसरी ओर माउन्टबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर

जनरल नियुक्त किए गए। 15 अगस्त, 1947 ई. से 26 जनवरी, 1950 ई. को भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन स्टेट) का रहा।

□ भारत का एकीकरण

552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। माउन्टबेटन योजना के अनुसार इनके पास स्वतंत्र रहने का विकल्प था। इनमें से अधिकांश ने स्वतंत्र रहने की अपनी महत्वकांक्षा को संजोए रखा। इसी संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया तथा उनके सचिव के रूप में वी. पी. मेनन नियुक्त किया गया। सरदार बल्लभभाई पटेल ने गाजर और छड़ी की नीति अपनाते हुए 15 अगस्त, 1947 ई. तक अधिकांश रियासतों का विलय भारत में कह लिया था, किन्तु तीन रियासतें (कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदरबाद) बच गईं, जो विलय के लिए तैयार नहीं थीं। कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया – कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और हैदरबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया।

इनके अलावा अन्य यूरोपीय देश फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश भी भारत में थे। चंद्रनगर, यमन, माहे, करइकाल और पांडेचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश थे, जिन पर भारत का 1 नवम्बर, 1954 ई. को नियंत्रण हो गया था। इस संबंध में 1956 ई. में भारत और फ्रांस के मध्य विलय संधि पर हस्ताक्षर हो गए। पुर्तगाल के पास दमन एवं दीब, दादर नागर हवेली तथा गोवा क्षेत्र थे। 18 दिसम्बर, 1961 ई. को भारतीय सेना ने कार्यवाही कर इन पुर्तगाली क्षेत्रों को भारत में मिला लिया।

कम्युनिस्ट पार्टी

1948 ई. में कार्ल मार्क्स और माइकल एंजिल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो लिखी। इसी पुस्तक में पहली बार साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया। 1920 ई. में नरेन्द्र भट्टाचार्य अर्थात् – मानवेन्द्रनाथ राय (एम. एन. राय) कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मास्को गए। यहां औपनिवेशिक देशों में कम्युनिस्टों की रणनीति को लेकर इनका लेनिन के साथ प्रसिद्ध वाद-विवाद हुआ।

भारत के साम्यवादी दल के संस्थापक एम. एन. राय थे। 17 अक्टूबर 1920 ई. में ताशकंद में एम एन. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। सितम्बर, 1924 ई. में कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की, जबकि दिसम्बर, 1925 ई. को बम्बई में सिंगार वेलुचेट्रियार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई।

भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध पेशावर घट्यंत्र केस (1922 ई.), कानपुर घट्यंत्र केस (1924 ई.), मेरठ घट्यंत्र केस (1929–33 ई.) आदि चलाए गए, जिससे कम्युनिस्टों की कमर टूट गई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मेरठ घट्यंत्र केस (1929–33 ई.) था। इस केस में 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, जिनमें मुजफ्फर अहमद, डांगे, सोहनसिंह जोश तथा 3 विदेशी बैडलै, स्प्रेट व हचिंसन के नाम प्रमुख थे। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके बचाव के लिए एक केन्द्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, डॉ. एफ. एच. अन्सारी, मोहम्मद अली जिना, छागला आदि प्रमुख थे।

इस केस का फैसला 1933 ई. को सुनाया गया, जिसमें 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई। मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी आजीवन कारावास की सजा दी गई।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी

मई, 1934 ई. में पटना में प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस कॉन्फ्रेन्स का आयोजन बिहार समाजवादी पार्टी की ओर से जयप्रकाश नारायण (महासचिव) के द्वारा किया गया था। इस कॉन्फ्रेन्स की अध्यक्षता आचार्य नरेन्द्र देव ने की थी। इसके पश्चात् जयप्रकाश नारायण ने देश के विभिन्न भागों में समाजवादी पार्टी की शाखाएं स्थापित करने का प्रचार किया। अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर, 1934 ई. में बम्बई में सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में हुआ।

कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोस भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, किन्तु ये दोनों इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। अगस्त, 1928 ई. में जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस के अंदर एक प्रभावक गुट के रूप में इंडिपेंडेन्स फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसने अपना लक्ष्य समाजवाद को बनाया। 1929 ई. के लाहौर अधिवेश की अध्यक्षता करते हुए नेहरू ने स्पष्ट घोषणा की कि मैं समाजवादी तथा गणतंत्रवादी हूं।

देशी रियासतें

1927 ई. में बटलर समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। दिसम्बर, 1927 ई. में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेन्स (ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेन्स) का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1939 ई. में जवाहरलाल नेहरू को भारत प्रजामण्डल (ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेन्स) के अध्यक्ष बने।

मजदूर संघ आन्दोलन

एन. एम. लोखण्डे ने 1890 ई. में बॉम्बे मिल हेप्टिस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन कहा जाता है। 1918 ई. में बी. पी. वाडिया के नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की गई, जो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। आगे 1918 ई. में गांधीजी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यहाँ गांधीजी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त दिया।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना 1920 ई. में बम्बई में एन. एम. जोशी ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमनलाल थे। इसमें प्रथम विभाजन 1929 ई. में इसके नागपुर अधिवेशन के दौरान हुआ, जब इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 ई. में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एम. एन. राय ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। 1940 ई. में ही एम. एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) की स्थापना 1947 ई. में बल्लभभाई पटेल व वी. वी. गिरी ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बल्लभभाई पटेल थे।

भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 ई. में लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पर गठित किया गया। इसका उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों का अध्ययन करना था। 1881 ई. में पारित प्रथम कारखाना कानून के अनुसार सात वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने के घटाऊं को समिति किया गया। साथ ही खतरनाक मशीनों को बाड़े से घेरने का निर्देश दिया गया। 1891 ई. में पारित द्वितीय कारखाना कानून के अनुसार बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु 9 वर्ष निर्धारित की गई तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समय सीमित किया गया। इसमें डेढ़ घण्टे के मध्यावकाश एवं साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई। 1911 ई. में पारित तृतीय कारखाना कानून के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। इसी प्रकार 1922 ई. में चतुर्थ कारखाना कानून पारित हुआ, जो केवल फैक्ट्रियों पर लागू किया गया।

किसान आन्दोलन

भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आन्दोलन बिजौलीया आन्दोलन था। फरवरी, 1918 ई. में मदनमोहन मालवीय, इंद्रनारायण द्विवेदी तथा गोरीशंकर मिश्र के प्रयासों से यू. पी. किसान सभा की स्थापना हुई। 1919 ई. में अवध के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद समाजिक बहिष्कार किसानों द्वारा की गई पहली संगठित कार्यवाही थी। 1920 ई. में ही बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों को संगठित कर किसान आन्दोलन चलाया।

1927 ई. में बिहार किसान सभा का गठन स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किया। 1928 ई. में आन्ध्र प्रांतीय किसान सभा तथा 1935 ई. में संयुक्त प्रांत किसान संघ का गठन एन. जी. रंगा ने किया। 1936 ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द सरस्वती व महासचिव एन. जी. रंगा थे। यहाँ 1 सितम्बर को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन

अधिवेशन	स्थान	वर्ष	अध्यक्ष	महत्वपूर्ण तथ्य
पहला	बम्बई	1885 ई.	व्योमेशचंद्र बनर्जी	<ul style="list-style-type: none"> - प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। - प्रारंभ में यह अधिवेशन पूना में होना था, परंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान मुम्बई कर दिया गया।
दूसरा	कलकत्ता	1886 ई.	दादाभाई नौरोजी	
तीसरा	मद्रास	1887 ई.	बद्रुद्दीन तैय्यबजी	- कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष।
चौथा	इलाहाबाद	1888 ई.	जॉर्ज यूले	- कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष।
पांचवां	बम्बई	1889 ई.	विलियम वेडरबर्न	<ul style="list-style-type: none"> - इस अधिवेशन ने पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। - विलियम डिंगबी की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किया गया।
छठा	कलकत्ता	1890 ई.	फिरोजशाह मेहता	- इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया।
सातवां	नागपुर	1891 ई.	आनन्द चारलू	
आठवां	इलाहाबाद	1892 ई.	डब्ल्यू. सी. बनर्जी	
नौवां	लाहौर	1893 ई.	दादाभाई नौरोजी	
दसवां	मद्रास	1894 ई.	अल्फ्रेड बेब	- इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ।
ग्यारहवां	पूना	1895 ई.	सुरेंद्रनाथ बनर्जी	
बारहवां	कलकत्ता	1896 ई.	रहीमतुल्ला सयानी	- कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदेमातरम् गान हुआ।
तेरहवां	अमरावती	1897 ई.	शंकरन नायर	
चौदहवां	मद्रास	1898 ई.	आनन्द मोहन बोस	
पंद्रहवां	लखनऊ	1899 ई.	रमेशचंद्र दत्त	
सौलहवां	लाहौर	1900 ई.	एन. जी. चंद्राकर	
सत्रहवां	कलकत्ता	1901 ई.	दिनशा वाचा	
अठारहवां	अहमदाबाद	1902 ई.	सुरेंद्रनाथ बनर्जी	
उन्नीसवां	मद्रास	1903 ई.	लाल मोहन घोष	
बीसवां	बम्बई	1904 ई.	हेनरी काटन	
इक्कीसवां	वाराणसी	1905 ई.	गोपालकृष्ण गोखले	<ul style="list-style-type: none"> - इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। - स्व-शासन का प्रस्ताव पारित किया।
बाइसवां	कलकत्ता	1906 ई.	दादाभाई नौरोजी	- इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया।
तेइसवां	सूरत	1907 ई.	रास बिहारी घोष	- इस अधिवेश में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
चौइसवां	मद्रास	1908 ई.	रास बिहारी घोष	
पच्चीसवां	लाहौर	1909 ई.	मदन मोहन मालवीय	
छब्बीसवां	इलाहाबाद	1910 ई.	विलियम वेडरबर्न	
सत्ताइसवां	कलकत्ता	1911 ई.	बिशननारायण धर	- कांग्रेस के मंच से पहली बार जन गण मन गया।
अट्ठाइसवां	बांकीपुरा	1912 ई.	आर. एन. माधोलकर	

DR. RAVI AGRAWAL GALLI, HOME SCIENCE COLLEGE ROAD, NEPIER TOWN, JABALPUR
CONTACT : 8435049416

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन

अधिवेशन	स्थान	वर्ष	अध्यक्ष	महत्वपूर्ण तथ्य
उन्नतीसवां	करांची	1913 ई.	सैयद मोहम्मद बहादुर	
उन्नतीसवां	करांची	1913 ई.	सैयद मोहम्मद बहादुर	
तीसवां	मद्रास	1914 ई.	भूपेंद्रनाथ बसू	
इकतीसवां	बम्बई	1915 ई.	एस. पी. सिन्हा	
बत्तीसवां	लखनऊ	1916 ई.	अम्बिका शरण मजूमदार	<ul style="list-style-type: none"> - तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। - मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकारा। - लखनऊ अधिवेशन में ही तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकारी है।
तैतीसवां	कलकत्ता	1917 ई.	एनी बेसेन्ट	- कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
विशेष अधि.	बम्बई	1918 ई.	सैयद हसन इमाम	- यह अधिवेश रोलेट एक्ट पर विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया।
चौतीसवां	दिल्ली	1918 ई.	मदन मोहन मालवीय	- इस अधिवेशन में तिलक अध्यक्ष चुने जाने वाले थे।
पैंतीसवां	अमृतसर	1919 ई.	पं. मोतीलाल नेहरू	
विशेष अधि.	कलकत्ता	1920 ई.	लाला लाजपत राय	- इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया।
छत्तीसवां	नागपुर	1920 ई.	बीर राघवाचारी	<ul style="list-style-type: none"> - इसमें कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। - पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की।
सैंतीसवां	अहमदाबाद	1921 ई.	सी. आर. दास	<ul style="list-style-type: none"> - सी. आर. दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी।
अड़तीसवां	गया	1922 ई.	सी. आर. दास	
उनतालीसवां	काकीनाडा	1923 ई.	मौलाना मोहम्मद अली	
विशेष अधि.	दिल्ली	1923 ई.	अबुल कलाम आजाद	- कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष।
चालीसवां	बेलगांव	1924 ई.	महात्मा गांधी	- गांधीजी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
इकतालीसवां	कानपुर	1925 ई.	श्रीमति सरोजनी नायडू	<ul style="list-style-type: none"> - कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। - हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया।
बयालीसवां	गोहाटी	1926 ई.	एस. श्री निवास आयंगर	- सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य।
तेतालीसवां	मद्रास	1927 ई.	डॉ. एम. ए. अंसारी	- पूर्ण स्वाधीनता की मांग।
चौवालीसवां	कलकत्ता	1928 ई.	पं. मोतीलाल नेहरू	
पैतालीसवां	लाहौर	1929 ई.	प. जवाहरलाल नेहरू	<ul style="list-style-type: none"> - पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित - 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मानाने का निर्णय लिया गया।
छियालीसवां	करांची	1931 ई.	बल्लभभाई पटेल	- मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया।
सैतालीसवां	दिल्ली	1932 ई.	अमृत रणछोड़दास सेठ	
अड़तालीसवां	कलकत्ता	1933 ई.	श्रीमति नलिनी सेनगुप्ता	
उनचासवां	बम्बई	1934 ई.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	
पचासवां	लखनऊ	1936 ई.	पं. जवाहरलाल नेहरू	- कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया।

DR. RAVI AGRAWAL GALI, HOME SCIENCE COLLEGE ROAD, NEPIER TOWN, JABALPUR
CONTACT : 8435049416

अधिवेशन	स्थान	वर्ष	अध्यक्ष	महत्वपूर्ण तथ्य
इक्यानवां	फैजपुर	1937 ई.	पं. जवाहरलाल नेहरू	- पहली बार अधिवेशन का आयोजन गांव में किया गया। - इस अधिवेशन में 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया।
बावनवां	हरिपुरा	1938 ई.	सुभाषचंद्र बोस	- इस अधिवेश में सुभाषचन्द्र बोस ने 1938 ई. में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे।
तिरपनवां	त्रिपुरी	1939 ई.	सुभाषचंद्र बोस	- सुभाषचंद्र बोस के त्यागपत्र दिए जाने के कारण डॉ. राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
चौवनवां	रामगढ़	1940 ई.	अबुल कलाम आजाद	- 1940-1945 ई. (सबसे अधिक समय) तक अध्यक्ष बने रहे।
पचपनवां	मेरठ	1946 ई.	जे. बी. कृपलानी	- आजादी के समय अध्यक्ष।
विशेष अधि.	दिल्ली	1947 ई.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	
छप्पनवां	जयपुर	1948 ई.	बी. पट्टाभि सीतारमैया	

ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास

□ रेगुलेटिंग एक्ट - 1773 ई.

रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैण्ड दोनों स्थानों में नियंत्रित करना तथा व्याप्त दोषों को दूर करना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ द्वारा 1773 ई. में इसी उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया।

- 1) इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
- 2) इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। (जबकि पहले एक-दूसरे से अलग-अलग थे।)
- 3) इस अधिनियम के तहत् 1774 ई. में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे।

□ पिट्स इंडिया एक्ट - 1784 ई.

यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा छह सदस्यीय नियंत्रक मंडल (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नियुक्त किया गया। इसका गठन ब्रिटिश संसद से किया गया। सभी सैनिक असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बगैर किसी भी भारतीय नरेश (राजा) से संघर्ष आरंभ करने अथवा किसी सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार के शासन की द्वैध प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 ई. तक चलती रही।

□ 1786 ई. का अधिनियम

इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने (वीटो) तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यह अधिनियम मूलरूप से लॉर्ड कॉर्नवॉलिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मनाने उद्देश्य से लाया गया था, क्योंकि कॉर्नवॉलिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्राप्त करना चाहता था।

□ चार्टर एक्ट - 1813 ई.

- 1) इस अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
- 2) कंपनी को भारत में शिक्षा पर एक लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया।
- 3) ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई तथा वे यहां धर्म प्रचार भी कर सकते थे।

□ चार्टर एक्ट - 1833 ई.

- 1) इस अधिनियम द्वारा कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा उसे प्रशासनिक व राजनीतिक संस्था बना दिया गया।
- 2) भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलयम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
- 3) इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिये गवर्नर जनरल की कार्यकारणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।
- 4) भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने तथा सुधारने की भवाना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया।
- 5) इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति, वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया।
- 6) भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 ई. में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया।

□ चार्टर एक्ट - 1853 ई.

- 1) इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद् के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया।
- 2) इसने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया। यह प्रतियोगिता भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई।

□ भारत सरकार अधिनियम - 1858 ई.

- 1) यह अधिनियम 1857 ई. के विद्रोह के परिणामस्वरूप आया। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और समस्त शक्ति ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया।
- 2) अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा।
- 3) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इस प्रकार 1784 ई. में स्थापित द्वैध शासन का अंत हुआ।
- 4) भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें सात सदस्यों की नियुक्ति को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तथा आठ सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी।

□ भारत परिषद अधिनियम - 1861 ई.

इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद् को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न-भिन्न सदस्यों को अलग-अलग विभाग सौंप कर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली।

□ भारत परिषद अधिनियम - 1892 ई.

यह अधिनियम भारतीय आंदोलनों के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बना था, परन्तु इसमें केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां, कार्य तथा रचना की ही बात की गई थी।

- 1) इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था।
- 2) विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। इनके सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।

□ भारत परिषद अधिनियम - 1909 ई. (मार्ले-मिंटो सुधार)

मार्ले-मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 ई. के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। इन सुधारों के मूल में सरकार की यह इच्छा विद्यमान थी कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को प्रसन्न कर दिया जाए और साम्प्रदायिकता की भावना को दूढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन कर दिया जाए।

- 1) इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की।
- 2) इसने विधान परिषदों के चर्चा का दायरा बढ़ाया। अब सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रखने, प्रश्न पूछने तथा पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया।
- 3) इस अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसके द्वारा भारत सचिव की परिषद् तथा भारत के वायसराय की कार्यकारणी परिषद् में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। सत्येन्द्र प्रसाद मिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने।
- 4) इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया तथा मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में जाना जाता है।

□ भारत सरकार अधिनियम - 1919 ई. (माटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

- 1) इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की।
- 2) इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैथ शासन स्थापित किया। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया - हस्तांतरित व आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसे ही दोहरा शासन व्यवस्था कहा गया।
- 3) इसने साम्प्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को विस्तारित किया।
- 4) इस अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।

□ भारत शासन अधिनियम - 1935 ई.

भारत के लिए तैयार किए गए सर्वैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम था। साइमन आयोग रिपोर्ट, तीन गोलमेज सम्मेलन तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा श्वेत पत्र, यह सभी 1935 ई. के भारत शासन अधिनियम का आधार बने।

- 1) इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मिलन अनिवार्य, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलन उनके राजाओं की इच्छा पर निर्भर था।
- 2) संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)।
- 3) इसने प्रांतों में द्वैथ शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्ता का प्रारंभ किया।
- 4) इसने केंद्र में द्वैथ शासन प्रणाली का प्रारंभ किया।
- 5) इसने ग्यारह राज्यों में से छह में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की।
- 6) इसने भारत शासन अधिनियम 1858 ई. द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया।
- 7) इसके अंतर्गत 1935 ई. में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- 8) इसके तहत् 1937 ई. में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
- 9) इसके तहत् बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।

□ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम - 1947 ई.

20 फरवरी 1947 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 ई. को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 03 जून 1947 ई. को माउंट बेटेन ने भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। माउंट बेटेन योजना को कानूनी रूप देने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ई. को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा भारत-पाकिस्तान दो राष्ट्रों का जन्म हुआ।

- 1) इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 ई. को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।
- 2) इसने 15 अगस्त 1947 ई. को भारतीय रियासतों पर (देशी राज्य) ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की।
- 3) इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं।

□ संविधान सभा का गठन

कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत् नवम्बर, 1946 ई. में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन ने गठन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव सुझाए -

- 1) संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल से किया जाएगा।
- 2) संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा और दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।
- 3) देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल होंगे और दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होंगे।

□ कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन

कैबिनेट मिशन योजना के तहत् जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तथा संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।

□ संविधान सभा का प्रारंभ

9 दिसम्बर 1946 ई. को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सचिवदानंद सिन्हा द्वारा की गई। मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार किया व अलग पाकिस्तान की मांग की। 11 दिसम्बर 1946 ई. को डॉ. राजेंद्र प्रसाद और एच. सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया। बी. एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया।

□ संविधान निर्माण की प्रक्रिया

संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 02 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा में संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिनमें महत्वपूर्ण समितियों के नाम इस प्रकार हैं -

समिति	अध्यक्ष	समिति	अध्यक्ष
नियम समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	राज्य समिति	जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
झंडा समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	परामर्श समिति	सरदार पटेल
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू	मूल अधिकार उपसमिति	जे. बी. कृपलानी
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू	अल्पसंख्यक उपसमिति	एच. सी. मुखर्जी

□ प्रारूप समिति

प्रारूप समिति से विधानसभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त, 1947 ई. को हुआ था। इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें एक अध्यक्ष व छह सदस्य थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे।

□ संविधान का प्रवर्तन

26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 08 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को उसी दिन अर्थात् 26 नवम्बर, 1949 ई. को प्रवर्तित कर दिया गया। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई. को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

□ महत्वपूर्ण तथ्य

- संविधान सभा में सरोजनी नायडू, हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख महिला सदस्य के रूप में थीं।
- भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में मुम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी।
- 22 जुलाई, 1947 ई. को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 ई. को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया।